

Index

Page(पृष्ठ)

Section I [I]

Inland Waterways Authority of India : 3-19
Act, 1985

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण : 59-74
अधिनियम, 1985

Section II [II]

Prevention of Collision on National : 20-32
Waterways Regulations, 2002

राष्ट्रीय जलमार्ग पर टक्कर निवारण विनियम, 2002 : 75-89

Section III [III]

National Waterways, Safety of Navigation : 33-53
and Shipping Regulations, 2002

राष्ट्रीय जलमार्ग, नौपरिवहन और पोत परिवहन की : 90-109
सुरक्षा विनियम, 2002

Section IV [IV]

Inland Waterways Authority of India : 54-58
(Classification of Inland Waterways in
India) Regulations, 2006

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण(भारत में : 110-113
अंतर्देशीय जलमार्ग का वर्गीकरण) विनियम, 2006

FOREWORD

IWAI has brought out a compilation of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 and the navigational regulations made thereunder viz; (i) Prevention of Collision on National Waterways Regulations, 2002 (ii) National Waterways, safety of Navigation and Shipping Regulations, 2002 and (iii) Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations, 2006 in a handy book form. Navigational safety on Inland Waterways is of paramount importance, more so when traffic on the National Waterways is poised for an exponential growth in the coming years. I am sure that this compilation would help generate awareness on issues of navigational safety and would be useful to all the stakeholders in using the IWT mode of transportation. We would welcome feedback or suggestions on this subject.

Bhupinder Prasad
Chairperson

संक्षेप

भा0 अ0 ज0 प्रा0 ने भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा0अ0ज0प्रा0) अधिनियम, 1985 और नौचालन संबंधी विनियम के तहत बने (i) राष्ट्रीय जलमार्ग पर टक्कर निवारण विनियम, 2002 (ii) राष्ट्रीय जलमार्ग, नौपरिवहन और पोत परिवहन की सुरक्षा विनियम, 2002 एवं (iii) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का वर्गीकरण) विनियम, 2006 के संकलन का प्रकाशन छोटी पुस्तक के रूप में किया है। अन्तर्देशीय जलमार्गों पर नौचालन संबंधी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, विशेषकर जबकि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात में अत्यधिक वृद्धि होना अवश्यम्भावी है। मुझे विश्वास है कि यह संकलन नौचालन संबंधी सुरक्षा के मामलों में जागरूकता फैलाने में सहायक होने के साथ-साथ अ0ज0प0 परिवहन साधन का उपयोग करने वाले सभी शेर धारकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस विषय पर प्राप्त होने वाले सुझावों का हम स्वागत करेंगे।

भा0अ0ज0प्रा0
व/; {k

SECTION - I

THE INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA ACT, 1985

No. 82 OF 1985
(30TH December, 1985)

An Act to provide for the constitution of an Authority for the regulation and development of inland waterways for purposes of shipping and navigation and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Chapter – I PRELIMINARY

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Inland Waterways Authority of India Act, 1985. | Short title and commencement. |
| | (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. | |
| 2. | In this Act, unless the context otherwise requires- | Definitions |
| | (a) "appurtenant land" means all lands appurtenant to national waterway, whether demarcated or not; | |
| | (b) "Authority" means the Inland Waterways Authority of India constituted under section 3; | |
| | (c) "Channel" means any waterway, whether natural or artificial; | |
| | (d) "conservancy" includes dredging training, closure, diversion or abandoning channels; | |
| | (e) "conservancy measures" means measures for purposes of conservancy, but does not include measures for protection of banks against floods or for restricting banks which have become eroded mainly on account of reasons not connected with shipping and navigation; | |
| | (f) "infrastructure" includes structures such as docks, wharves, jetties, landing stages, locks, buoys, inland ports, cargo handling equipment, road and rail access and cargo storage spaces, and the expression "infrastructure facilities" shall be construed accordingly; | |
| | (g) "member" means a member of the Authority appointed under sub-section (3) of section 3; | |
| | (h) "national waterway" means the inland waterway declared by section 2 of the National Waterway | |

(Allahabad-Haldia Stretch of the Ganga-Bhagirathi-Hooghly River) Act, 1982, to be a national waterway.

Explanation-If Parliament declares by law any other waterway to be a national waterway, then from the date on which such declaration takes effect, such other waterway-

- (i) Shall be deemed also to be a national waterway within the meaning of this clause; and
 - (ii) the provisions of this Act shall, with necessary modifications (including modifications for construing any reference to the commencement of this Act as a reference to the date aforesaid), apply to such national waterway;
- (i) "navigable channel" means a channel navigable during the whole or a part of the year;
 - (j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
 - (k) "regulations" means regulations made by the Authority under this Act; and
 - (l) "rules" means rules made by the Central Government under this Act.

Chapter – II

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

Constitution and incorporation of the Inland Waterways Authority of India

- 3. (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf, there shall be constituted for the purposes of this Act an Authority, to be called the Inland Waterways Authority of India.
- (2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by the said name sued and be sued.
- (3) The Authority shall consist of the following members, namely:-
 - (a) a Chairman;
 - (b) a Vice-Chairman;
 - (c) not more than three full-time members; and
 - (d) not more than three part-time members to be appointed by the Central Government by notification in the official Gazette.

- (4) The Authority may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations, any person whose assistance or advice it may desire in complying with any of the provisions of this Act and a person so associated shall have the right to take part in the discussions of the Authority relevant to the purpose for which he has been associated, but shall not be entitled to vote.
4. The term of office and other conditions of service of the members shall be such as may be prescribed. Conditions of service of members.
4. (A) A person shall be disqualified for being appointed as a member, if he- Disqualifications for appointment as members
- (a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
- (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a company owned or controlled by the Government; or
- (e) has, in the opinion of the Central Government such financial or other interest in the Authority as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member.
5. (1) The Chairman of the Authority shall, in addition to presiding over the meeting of the authority, exercise and discharge such powers and duties of the Authority as may be delegated to him by the Authority and such other powers and duties as may be prescribed. Powers of Chairman and Vice Chairman
- (2) The Vice-Chairman of the authority shall exercise and discharge such of the powers and duties of the Chairman as may be prescribed or as may be delegated to him by the Authority.
- 5 (A) (1) The Authority shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings, including the quorum thereat, as may be provided by regulations. Meetings
- (2) The Chairman or in his absence, the Vice-Chairman, or in the absence of both, such other member as is chosen by the members present at

the meeting of the Authority shall preside at the meeting.

- (3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairman or in his absence, the Vice-Chairman, or in the absence of both, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.
6. (1) The Central Government may remove from the Authority any member who, in its opinion.....
- (a) refuses to act,
- (b) has become incapable to act,
- (c) has so abused his office as to render his continuance in office detrimental to the public interest, or
- (d) is otherwise unsuitable to continue as a member.
- (2) The Central Government may suspend any member pending an inquiry against him.
- (3) No order of removal under this section shall be made unless the member concerned has been given an opportunity to submit his explanation to the Central Government and when such order is passed, the seat of the member removed shall be declared vacant.
- (4) A member who has been removed under this section shall not be eligible for re-appointment as a member or in any capacity under the Authority.
7. No act or proceeding of the Authority shall be invalidated merely by reason of-
- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of the Authority; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Authority; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.
8. (1) The Authority may appoint the Secretary and such other officers and employees as it considers necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.
- (2) The terms and conditions of service of the Secretary and other officers and employees of the
- Removal etc., of members
- Vacancy, etc., not to invalidate proceedings of the Authority
- Secretary and other officers.

- Authority shall be such as may be determined by regulations.
9. (1) Subject to any rules made in this behalf, the Authority may from time to time constitute such Advisory Committees as may be necessary for the efficient discharge of its functions. Advisory Committees
- (2) Every Advisory Committee shall consist of such number of persons connected with shipping and navigations and allied aspects as the Authority may deem fit.
10. In the discharge of its functions under this Act, the Authority shall act, so far as may be, on business principles. Authority to act on business principles.

Chapter – III PROPERTY AND CONTRACTS

11. (1) As from such day as the Central Government may appoint by notification in the Official Gazette,- Transfer of assets and liabilities of the Central Government to the Authority
- (a) all properties and other assets vested in the Central Government for the purposes of Inland Water Transport Directorate, and administered by the Chief Engineer-cum-Administrator, Inland Water Transport Directorate, immediately before such day shall vest in the Authority;
- (b) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with, or for the Central Government immediately before such day for or in connection with purposes of Inland Water Transport Directorate shall be deemed to have been incurred; entered into and engaged to be done by, with, or for the Authority;
- (c) all non-recurring expenditure incurred by the Central Government for or in connection with purposes of Inland Water Transport Directorate up to such day and declared to be capital expenditure by the central Government shall subject to such terms and conditions as may be determined by the Central Government, be treated as capital provided by the Central Government to the Authority;
- (d) all sums of money due to the Central Government in relation to Inland Water Transport Directorate immediately before such day shall be deemed to be due to the Authority;
- (e) all suits and other legal proceedings with respect to any matter in relation to Inland Water Transport

Directorate which having been instituted by or against the Central Government are pending, or which could have been so instituted, immediately before such date shall on and after such date be continued or instituted by or against the Authority; and

- (f) every employee holding any office under the Central Government immediately before such day solely or mainly for or in connection with such affairs of the Inland Water Transport Directorate as are relevant to the functions of the Authority under this Act shall be treated as on deputation with the Authority but shall hold his office in the Authority by the same tenure and upon the same terms and conditions of service as respects remuneration, leave, provident fund retirement or other terminal benefits as he would have held such office, if the Authority had not been constituted and shall continue to do so until the Central Government either on its own motion or at the request of the Authority recalls such employee to its service or until the Authority, with the concurrence of the Central Government, duly absorbs such employee in its regular service, whichever is earlier:

Provided that during the period of deputation of any such employee with the Authority, the Authority shall pay to the Central Government in respect of every such employee, such contribution towards his leave salary, pension and gratuity as the Central Government may, by order, determine:

Provided further that any such employee, who has, in respect of the proposal of the Authority to absorb him in its regular service intimated within such time as may be specified in this behalf by the Authority his intention of not becoming a regular employee of the Authority, shall not be absorbed by the Authority in its regular service.

- (2) If any dispute or doubt arises as to which of the properties, rights or liabilities of the Central Government have been transferred to the Authority or as to which of the employees serving under the Central Government are to be treated as on deputation with the Authority, under this section, such dispute or doubt shall be decided by the Central Government in consultation with the Authority and the decision of the Central Government thereon shall be final.

- (3) Notwithstanding anything contained in the Industrial Disputes Act, 1947 or in any other law for the time being in force, the absorption of any employee by the Authority in its regular service under this section shall not entitle such employee to any compensation under that Act or other law and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority.
12. Subject to the provisions of section 13, the Authority shall be competent to enter into and perform any contract necessary for the discharge of its functions under this Act. 14 of 1947
- 13.(1) Every contract shall, on behalf the Authority, be made by the Chairman or such other member or such officer of the Authority, as may be generally or specially empowered in this behalf by the Authority and such contracts or class of contracts as may be specified in the regulations shall be sealed with the common seal of the Authority: Contracts by the Authority
- Mode of executing contracts on behalf of the Authority
- Provided that no contract exceeding such value or amount as the Central Government may, from time to time, by order, fix in this behalf shall be made unless it has been previously approved by the Authority,
- Provided further that no contract for the acquisition or sale of immovable property or for the lease of any such property for a term exceeding thirty years and no other contract exceeding such value or amount as the Central Government may, from time to time, by order, fix in this behalf shall be made unless it has been previously approved by the Central Government.
- (2) Subject to the provisions of sub-sections(1), the form and manner in which any contract shall be made under this Act shall be such as may be prescribed by regulations.
- (3) No contract which is not in accordance with the provisions of this Act and the regulations shall be binding on the Authority.

Chapter – IV

FUNCTIONS AND POWERS OF THE AUTHORITY

14. (1) The Authority may- Functions of the Authority.
- (a) carry out surveys and investigations for the development, maintenance and better utilization of the national waterways and the appurtenant land for shipping and navigation and prepare schemes in this behalf;
- (b) provide or permit setting up of infrastructural facilities for national waterways;

- (c) carry out conservancy measures and training works and do all other acts necessary for the safety and convenience of shipping and navigation and improvement of the national waterways;
 - (d) control activities such as throwing rubbish, dumping or removal of material, in or from the bed of the national waterways and appurtenant land, in so far as they may affect safe and efficient, shipping and navigation, maintenance of navigable channels, river training and conservancy measures;
 - (e) remove or alter any obstruction or impediment in the national waterways and the appurtenant land which may impede the safe navigation or endanger safety of infrastructural facilities or conservancy measures where such obstruction or impediment has been lawfully made or has become lawful by reason of long continuance of such obstruction or impediment or otherwise, after making compensation to person suffering damage by such removal or alteration;
 - (f) provide for the regulation of navigation and traffic (including the rule of the road) on national waterways;
 - (g) regulate the construction or alteration of structures on across or under the national waterways;
 - (h) disseminate navigational meteorological information about national waterways;
 - (i) ensure co-ordination of inland water transport on national waterways with other modes of transport; and
 - (j)) establish and maintain pilotage on national waterways.
 - (k) enter into joint ventures concerning inland shipping by way of equity participation.
- (2) The Authority may also-
- (a) advise the Central Government on matters relating to inland water transport;
 - (b) study the transport requirement with a view to co-ordinating inland water transport with other modes of transport;

- (c) carry out hydrographic surveys and publish river charts;
 - (d) assist, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon, any State Government in formulation and implementation of scheme for inland water transport development;
 - (e) develop consultancy services and provide such services, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon, in India and abroad in relation to planning and development of waterways for shipping and navigation or any facility thereat;
 - (f) conduct research in matters relating to inland water transport including development of craft design mechanization of country crafts, technique of towage, landing and terminal facilities, port installations and survey techniques;
 - (g) lay down standards for classification of inland waterways;
 - (h) arrange programme of technical training for inland water transport personnel within and outside the country; and
 - (i) perform such other functions as may be necessary to carry out the provisions of this Act.
- (3) Any dispute arising out of or concerning the compensation referred to in clause(e) of sub-section(1) shall be determined according to the law relating to like disputes in the case of land required for public purposes.
- (4) Every scheme, prepared by the Authority to carry out functions under sub-sections(1) and (2), involving capital expenditure exceeding the amount as may be prescribed, shall be submitted to the Central Government for approval.
- (5) The Central Government may either approve the scheme submitted to it under sub-section(4) without modification or with such modifications as it may consider necessary or reject the scheme with directions to the Authority to prepare a fresh scheme according to such directions.
15. The Authority shall not make any material change in the scheme approved under sub-section(5) of section 14 without the prior approval of the Central Government.

Amendment of schemes.

Explanation:- For the purpose of this section, "material change" means an increase in the cost of the scheme by more than twenty per cent, of its cost or a change in the benefit and cost ratio which either makes the cost component in the ratio exceeds the benefit or reduces the benefit component by more than twenty per cent.

Power to fix maximum and minimum rates for passenger fares and freight for goods.

16. Omitted vide Bill No 100 of 1992 introduced in L.S. on 14-7-92. The Gazette of India Extraordinary Part-2 Section-2 No-39.

Chapter – V FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Levy and Collection of fees and charges.

17. (1) The Authority may, with the previous approval of the Central Government, levy fees and charges at such rates as may be laid down by regulations made in this behalf for services or benefits rendered in relation to the use of the national waterways for the purposes of shipping, navigation, infrastructural facilities including facilities for passengers and facilities relating to the berthing of vessels handling of cargoes and storage of cargoes.
- (2) The fees and charges levied under sub-section-(1) shall be collected in such manner as may be determined by regulations.

Grants and loans by the Central Government.

18. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, make to the Authority grants and loans of such sums of money as that Government may consider necessary.

Borrowing powers of the Authority

18. A. The Authority may, in such manner and subject to such terms and conditions as may be determined by regulations, borrow money from any source by the issue of bonds, debentures or other instruments as it may think fit for discharge of all or any of its functions under the Act.

Constitution of Fund

19. (1) There shall be constituted a Fund to be called the Inland Waterways Authority of India Fund and there shall be credited thereto-
- (a) any grants and loans made to the Authority by the Central government under section 18;
- (b) all fees and charges received by the Authority under this Act and
- (c) all sums received by the Authority from such other sources as may be decided upon by the Central Government.

- (2) The Fund shall be applied for meeting-
- (a) salary, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Authority;
 - (b) expenses of the Authority in the discharge of its functions under section 14; and
 - (c) expenses on objects and for purposes authorised by this Act.
20. The Authority shall prepare, in such form and at such time each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same to the Central Government. Budget
21. The Authority may invest its funds (including any reserve fund) in the securities of the Central Government or in such other manner as may be prescribed. Investments of funds
22. The Authority shall prepare, in such form and at such time each financial year as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year, and submit a copy thereof to the Central Government. Annual Report
23. The accounts of the Authority shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, be prescribed and the Authority shall furnish, to the Central Government, before such date as may be prescribed, its audited copy of accounts together with the auditors' report thereon. Accounts and audit
24. The Central Government shall cause the annual report and auditors' report to be laid, as soon as may be after they are received, before each House of Parliament. Annual report and auditors' report to be laid before Parliament

Chapter – VI
MISCELLANEOUS

25. (1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Authority shall, in the discharge of its functions and duties under this Act, be bound by such directions on questions of policy as the Central Government may give in writing to it from time to time. Power of Central Government to issue directions
- Provided that the Authority shall, as far as practicable, be given opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section.
- (2) The decision of the Central Government whether a question is one of policy or not shall be final.
26. Any land required by the Authority for discharging its functions under this Act shall be deemed to be needed for a public purpose and such land may be acquired for the Authority under the provisions of the Land Acquisition Act, Compulsory acquisition of land for the Authority

		1894 or of any other corresponding law for the time being in force.
1 of 1894	27.	(1) The provisions of this Act shall be in addition to the provisions of the Indian Ports Act, 1908 and the Major Port Trusts Act, 1963 and in particular nothing in this Act shall affect any jurisdiction, functions, powers or duties required to be exercised, performed or discharged by-
Application, etc., of certain laws		
15 of 1908		(a) the conservator of any port or by any officer or authority under the Indian Ports Act, 1908, or
38 of 1963		(b) the Board of Trustees for any major port or by any officer or authority under the Major port Trusts Act, 1963, in or in relation to any portion of an inland waterway (including the national waterway) falling within the limits of such port or major port.
15 of 1908		
38 of 1963	(2)	Nothing in this Act shall affect the operation of the Inland Vessels Act, 1917 or any other Central Act (other than the Indian Ports Act, 1908 and the Major Port Trusts Act, 1963) or any State or Provincial Act in force immediately before the commencement of this Act with respect to shipping and navigation on any national waterway. Remaining portion of Section 27(2) omitted vide Bill No. 100 of 1992 introduced in L.S. on 14-7-92. The Gazette of Indian Extraordinary Part-2 Section-2 No. 39.
1 of 1917		
15 of 1908		
38 of 1963	28.	Subject to any rules made in this behalf, any person, generally specially authorised by the Authority in this behalf, may, whenever it is necessary so to do for any of the purposes of this Act, at all reasonable times, enter upon any land or premises and-
Power to enter		
		(a) make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;
		(b) take levels;
		(c) dig or bore into sub-soil;
		(d) set out boundaries and intended lines of work;
		(e) mark such level boundaries and lines by placing marks and cutting trenches; or
		(f) do such other acts or things as may be prescribed;
		Provided that no such person shall enter any building or any enclosed court or garden attached to a dwelling house (unless with the consent of the occupier thereof) without previously giving such occupier at least twenty-four hours' notice in writing of his intention to do so,

- | | | |
|-----|--|---|
| 29. | The Authority may by general or special order in writing, delegate to the Chairman or any other member or to any officer of the Authority, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act (except the powers under section-35) as it may deem necessary, | Delegation |
| 30. | All orders and decisions of the Authority shall be authenticated by the signature of the Chairman or any other member authorised by the Authority in this behalf and all other instruments executed by the Authority shall be authenticated by the signature of an officer of the Authority authorized by the Authority in this behalf. | Authentication of orders and other instruments of the Authority |
| 31. | All members, officers and other employees of the Authority shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. | Members, officers and employees of the Authority to be public servants. |
| 32. | (1) No suit prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any officer of the Government or any member, officer or employee of the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder. | 45 of 1860
Protection of action taken in good faith |
| | (2) No suit or other legal proceedings shall lie against the Authority for any damage caused or likely or be caused by anything in good faith done or purported to be done under this Act or the rules or regulations, and in particular, it shall not be the responsibility of the Authority to provide for relief measures necessitated by floods or by breaches and failures of works. | |
| 33. | (1) If, at any time, the Central Government is of opinion-
(a) that on account of a grave emergency, the Authority is unable to discharge the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act; or
(b) that the Authority has persistently made default in complying with any direction issued by the Central Government under this Act or in the discharge of the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act and as a result of which default the financial position of the Authority or the administration of any national waterway has deteriorated; or | Power of Central Government to supersede the Authority |

- (c) that circumstances exist which render it necessary in the public interest so to do, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, supersede the Authority for such period, not exceeding six months, as may be specified in the notification;
- Provided that before issuing a notification under this subsection for the reasons mentioned in clause (b), the Central Government shall give a reasonable opportunity to the Authority to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanations and objection, if any, of the Authority .
- (2) Upon the publication of a notification under sub-section(1) superseding the Authority,-
- (a) all the members shall, as from the date of supersession, vacate their offices as such;
- (b) all the powers, functions and duties which may, by or under the provisions of this Act, be exercised or discharged by or on behalf of the Authority, shall, until the Authority is reconstituted under sub-section(3), be exercised and discharged by such person or persons as the Central Government may direct;
- (c) all property owned or controlled by the Authority shall, until the Authority is reconstituted under sub-section(3), vest in the Central Government.
- (3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under sub-section(1), the Central Government may-
- (a) extend the period of supersession for such further term, not exceeding six months, as it may consider necessary; or
- (b) reconstitute the Authority by fresh appointment and in such case any persons who vacated their offices under clause (a) of sub-section(2) shall not be deemed disqualified for appointment;
- Provided that the Central Government may, at any time before the expiration of the period of supersession, whether as originally specified under sub-section(1) or as extended under

this sub-section, take action under clause(b) of this sub-section.

- (4) The Central Government shall cause a notification issued under sub-section (1) and a full report of any action taken under this section and the circumstances leading to such action to be laid before such House of Parliament at the earliest opportunity.
34. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette make rules to carry out the purposes of this Act. Power to make rules.
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters namely:-
- (a) the terms of office and other conditions of service of the members of the Authority under section 4;
 - (b) the powers and duties of the Chairman and Vice-Chairman under section 5;
 - (c) the matters with respect to the Advisory committee referred to in sub-section (1) of section 9;
 - (d) the amount required to be prescribed under subsection (4) of section 14;
 - (e) the form in which, and the time at which, the Authority shall prepare its budget under section 20 and its annual report under section 22;
 - (f) the manner in which the Authority may invest its funds under section 21;
 - (g) the manner in which the accounts of the Authority shall be maintained and audited under section 23;
 - (h) the conditions and restrictions with respect to exercise of the power to enter under section 28 and the matters referred to in clause (f) of that section; and
 - (i) any other matter which is to be or may be, prescribed or in respect of which provision is to be, or maybe made by rules.
35. (1) The Authority may, with the previous approval of the Central Government, by notification in the Official Gazette, make regulations consistent with this Act and the rules generally to carry out the purposes of this Act. Power to make regulations.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) the manner in which and the purposes for which, the Authority may associate with itself any person under sub-section (4) of section 3;
 - (b) the terms and conditions of service of the Secretary and other officers and employees of the Authority under sub-section (2) of section 8;
 - (c) the contracts or class of contracts which are to be sealed with the common seal of the Authority and the form and manner in which a contract may be made by the Authority;
 - (d) the manner in which, and the conditions subject to which any functions in relation to the matters referred to in sub-sections (1) and (2) of section 14 may be performed;
 - (e) the rule of the road on a national waterway;
 - (f) the safe, efficient and convenient use, management and control of the infrastructurals and infrastructural facilities;
 - (g) the reception, portorage, storage and removal of goods brought on a national waterway, and the procedure to be followed for taking charge of goods which may have been damaged before landing, or may be alleged to have been so damaged;
 - (h) regulating, declaring and defining the docks, wharfs, jetties, landing stages on which goods shall be landed from vessels and shipped on board vessels;
 - (i) regulating the manner in which and the conditions under which the loading and unloading of vessels on a national waterway shall be carried out; and
 - (j) the exclusion from a national waterway of disorderly or other undesirable persons and of trespassers.
 - (k) the terms and conditions for issue of bonds, debentures or other instruments;
 - (l) the time, place and the rules of procedure with regard to the transaction of business at its meetings including the quorum under sub-section(1) of section 5A.

- (3) Any regulation made under any of the clauses (c) to (j) of sub-section (2) may provide that a contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to twenty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.
36. Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately, following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulations or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall there-after have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.
37. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty;
Provided that no order shall be made under this section after the expiry of five years from the commencement of this Act.
- (2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.
38. In the National Waterway (Allahabad-Haldia Stretch of the Ganga-Bhagirathi-Hooghly River) Act 1982,-
- (a) In section 3, for the words "Central Government", the word "Union" shall be substituted and for the words to "the extent hereinafter provided" the words and figures" to the extent provided in the Inland Waterways Authority of India Act, 1985" shall be substituted;
- (b) Sections 4 to 15 shall be omitted.

Rules and regulations to be laid before Parliament

Power to remove difficulties.

Amendment of Act 49 of 1982

R.V.S. PERI SASTRI
Secretary to the Govt. of India

SECTION - II

MINISTRY OF SHIPPING (Inland Waterways Authority of India)

Notification

New Delhi, the 30th November, 2004

In exercise of the powers conferred by section 35 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Inland Waterways Authority of India, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations for prevention of collision on national waterways, as under, namely: -

1. **Short title and commencement:-** (1) These regulations may be called the Prevention of Collision on National Waterways Regulations, 2002.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Scope and application:-** (1) These regulations shall apply to all vessels on the National Waterways.
(2) All vessels plying in the National Waterway shall be adhere to these rules having regard to precautions required by the ordinary practice of Seamen and limitations of the vessel.

Chapter – I

DEFINITIONS

3. In these regulations, unless the context otherwise requires -
 - (a) “Act” means the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985);
 - (b) “Authority” means Inland Waterways Authority of India constituted under section 3 of the Act;
 - (c) “Competent Officer” means an officer appointed as such by the Authority to be in incharge of a section of the National Waterways for the development, management and maintenance;
 - (d) “Length and breadth of a vessel” means maximum length and breadth of a vessel;
 - (e) “Mechanically propelled vessel” means every description of vessel propelled wholly or in part by electricity, steam or other mechanical power;
 - (f) “Sailing vessel” means any vessel under sail provided that propelling machinery if fitted, is not being used;
 - (g) “Underway” means a vessel is not at anchor or made fast to the shore or aground;
 - (h) “Vessel engaged in fishing” means any vessel fishing with nets, lines, trawls or other fishing apparatus which restrict maneuverability;
 - (i) “Vessel not under command” means a vessel, which through some exceptional circumstances is unable to manoeuvre as required by these rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel;

- (j) “Vessel restricted in her ability to manoeuvre” means a vessel which from the nature of her work is restricted in her ability to manoeuvre as required by these rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel. The following vessels shall be regarded as vessels restricted in their ability to manoeuvre;
 - (i) A vessel engaged in laying, servicing or picking up a navigation mark, submarine cable or pipeline;
 - (ii) A vessel engaged in dredging, surveying or under water operations;
 - (iii) A vessel engaged in towing operation which renders her unable to deviate from her course;
- (k) Vessels shall be deemed to be “in sight of one another” only when one can be observed visually from the other;
- (l) “Vessel” means every description of water craft, including small craft vessel under oars or sail, floating equipment and non-displacement craft.
- (m) “Restricted visibility” means any condition in which visibility is restricted by fog, mist heavy rainstorms, sandstorms or any other similar causes.
- (n) “Rules” means rules of the road.
- (o) Words used but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter – II
STEERING AND SAILING RULES
PART- I

Conduct of vessels in any condition of visibility

4. **Application** – Regulations in this Part apply in any condition of visibility.
5. **Look-Out** – Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision. Vessels shall make use of searchlights to locate luminous marks used for channel marking.
6. **Safe speed** – (1) Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and grounding, and be stopped within a distance appropriate to the prevailing circumstances and conditions.
 - (2) In determining a safe speed the following factors shall be among those taken into account.
 - (a) By all vessels
 - (i) The state of visibility;
 - (ii) The traffic density including concentrations of fishing vessel or other vessels;
 - (iii) The manoeuvrability of the vessel with special reference to stopping distance and turning ability in the prevailing conditions;

- (iv) The state of the river, wind, current and the proximity of navigational hazards;
 - (v) State and availability of shore navigational aids and channel marking by day and night;
 - (vi) Speed restrictions imposed by the waterway authority;
 - (vii) The draught of the vessel in relation to available depth of water; and
 - (viii) At nights, the presence of background light such as from the shore lights or from the back scatter of her own lights.
- (b) Additionally, by vessels with operational radar;
- (i) The characteristics, efficiency of the radar equipment;
 - (ii) The number, location and movement of vessels detected by radar; and
 - (iii) The more exact assessment of the visibility that may be possible when radar is used to determine the range of vessels or objects in the vicinity.
- 7. Risk of collision –** (a) Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circumstance and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt, such risk shall be deemed to exist.
- (b) In determining if risk of collision exists the following consideration shall be among those taken into account -
- (i) Such risk shall be deemed to exist if a compass bearing of an approaching vessel does not appreciably change and apparent distance from own vessel decreases;
 - (ii) Such risk may some times exist even when an appreciable bearing change is evident, particularly when approaching a very large vessel or a tow or when approaching a vessel at close range; and
 - (iii) For vessel not fitted with a compass, if the relative position remains unchanged.
- 8. Action to avoid collision:–** (a) Any action taken to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit be positive, made in ample time and with due regard to the observance of good seamanship.
- (b) Any alteration of course or speed to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit be large enough to be readily apparent to another vessel. A succession of small alterations of course and / or speed should be avoided.
- (c) If there is sufficient room, alteration of course alone may be the most effective action to avoid a close quarters situation provided that it is made in good time, is substantial and does not result in another close quarters situation.
- (d) Action taken to avoid collision with another vessel shall be such as to result in passing at a safe distance the effectiveness of the action shall be carefully checked until the other vessel is finally passed and clear.

- (e) If necessary to avoid collision or allow more time to assess the situation, a vessel shall slacken her speed or take the way off by stopping or reversing her means of propulsion.
9. **Narrow channels** – (a) A vessel proceeding along the course of a narrow channel shall keep as near to the outer limit of the channel which lies on her starboard side as is safe and practicable. A vessel of less than 10 meters in length or a sailing vessel shall not impede the passage of a vessel which can safely navigate only within the marked channel;
- (b) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel in the navigable channel;
- (c) A vessel shall not cross a navigable channel if such crossing impedes the passage of vessel proceeding upstream or downstream along the navigable channel;
- (d) In a narrow channel when over taking can take place only if the vessel to be overtaken has to take action to permit safe passing, the vessel intending to overtake shall indicate her intention by sounding the appropriate signals prescribed in regulation 34 (b). The vessel to be overtaken shall if in agreement, sound appropriate signals prescribed in regulation 34 (b) and take action to permit safe passing. If in doubt she may sound the signal prescribed in regulation 34 (c). This regulation does not relieve the overtaking vessel of her obligation under regulation 13;
- (e) A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel where other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall navigate with particular alertness and caution and shall sound the appropriate signal prescribed in regulation 34 (d); and
- (f) Every vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid anchoring in a narrow channel.
10. **Single lane traffic** – When single lane traffic is in force, vessels shall join the lane only when the traffic signal permits to do so. While in the lane, the vessels shall proceed with maximum permissible speed and clear the channel as quickly as possible. Vessels shall not stop or anchor in a traffic lane and shall exercise caution while joining or leaving the single lane to avoid collision with waiting vessels at anchor.

PART- II

Conduct of vessels in sight of one another

11. **Application** – Regulations in this Part shall apply to vessels in sight of one another.
12. **Sailing vessels** – (a) when two sailing vessels are approaching one another so as to involve risk of collision, one of them shall keep out of the way of the other as follows:
- (i) In a non tidal river when one vessel is proceeding upstream and the other vessel proceeding downstream the vessel proceeding upstream shall keep out of the way of the other;

- (ii) When both are proceeding, upstream or downstream and in a tidal lagoon the vessel which is to windward shall keep out of the way of the vessel which is to leeward;
 - (iii) A vessel which is running free shall keep out of the way of a vessel which is close-hauled; and
 - (iv) A vessel which is close-hauled on the port tack shall keep out of the way of a vessel which is close-hauled on the starboard tack.
- (b) For the purposes of the regulation, “upstream” shall be deemed the direction against current and downstream the direction with the current. “Wind ward” side shall be deemed to be the side opposite to that of which the main sail or the largest fore and aft sail is carried.
- 13. Overtaking –** (a) Notwithstanding anything contained in the regulations of this Part any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken;
- (b) A vessel shall be deemed to be overtaking when coming up with another vessel from a direction more than 22.5 degrees abaft her beam. That is, in such a position with reference to the vessel she is overtaking, that at night she would be able to see only the stern light / towing light of that vessel but neither of her sidelights.; and
 - (c) Any subsequent alteration of bearing between two vessels shall not make the over taking vessel a crossing vessel within the meaning of these rules or relieve her the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally passed and clear.
- 14. Head-on situation –** When two mechanically propelled vessels are meeting on reciprocal or nearly reciprocal courses so as to involve risk of collision each shall alter her course to starboard so that each shall pass on the port side of the other.
- 15. Crossing situation –** When two mechanically propelled vessels are crossing so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side shall keep out of the way and shall, if the circumstances of the case admit avoid crossing ahead of the other vessel.
- 16. Action by give-way vessel –** Every vessel which is directed by these regulations to keep out of the way of another vessel shall, so far as possible take early and substantial action to keep well clear.
- 17. Action by stand-on vessel –** (a) (i) Where by any of these regulations one of two vessels is to keep out of the way, the other shall keep her course and speed. (ii) The later vessel may however take action to avoid collision by her manoeuvre alone, as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action in compliance with these regulations;
- (b) When from any cause, the vessel required to keep her course and speed finds herself so close that collision cannot be avoided by the action of the give-way vessel alone, she shall take such action as will best aid to avoid collision;

- (c) A vessel which takes action in a crossing situation in accordance with sub paragraph a(ii) of this regulation to avoid collision with another vessel, shall if the circumstances of the case admit, not alter course to port for a vessel on her own port side; and
- (d) This regulation does not relieve the give-way vessel of her obligation to keep out of the way.

18. Responsibilities of (between) vessels:-

Except where regulations 9, and 13 otherwise require:-

- (a) A mechanically propelled vessel underway shall keep out of the way of:
 - (i) A vessel not under command;
 - (ii) A vessel restricted in her ability to manoeuvre;
 - (iii) A vessel engaged in fishing;
 - (iv) A sailing vessel, vessel under oars or country boat; and
 - (v) A vessel proceeding down stream by a vessel proceeding upstream, if the prevailing circumstances permit.
- (b) A sailing vessel under way shall keep out of the way of:-
 - (i) A vessel not under command;
 - (ii) A vessel restricted in her ability to manoeuvre; and
 - (iii) A vessel engaged in fishing.
- (c) A vessel engaged in fishing when underway shall, so far as possible, keep out of the way of:-
 - (i) A vessel not under command; and
 - (ii) A vessel restricted in her ability to manoeuvre.

PART-III

Conduct of vessels in restricted visibility

- 19. Application –** (a) This regulation applies to vessels not in sight of one another when navigating in or near an area of restricted visibility;
- (b) Every vessel shall make appropriate sound signals in accordance with regulation 34 and exhibit lights while navigating in restricted visibility.
 - (c) Every vessel shall proceed at a safe speed adopted to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility. A mechanically propelled vessel shall have her engines ready for immediate manoeuvre.
 - (d) Every vessel shall have due regard to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility when complying with the regulation of this Part.
 - (e) Except where it has been determined that risk of collision does not exist, every vessel which hears apparently forward of her beam the fog signal of another vessel or which cannot avoid a close-quarters situation with

another vessel forward of her beam, shall reduce her speed, she shall if necessary take all her way off and in any event navigable with extreme caution until danger of collision is over.

Chapter – III

LIGHTS AND SHAPES

20. Application – (a) Regulations in this Chapter shall be complied with in all weathers.

- (b) The regulations concerning lights shall be complied with from sunset to sunrise, and during such times no other lights shall be exhibited, except such, lights as cannot be mistaken for the lights specified in these rules or do not impair their visibility or distinctive character, or interfere with the keeping of a proper look-out.
- (c) The lights prescribed by these regulations shall, if carried, also be exhibited from sunrise to sunset in restricted visibility and may be exhibited in all other circumstances when it is deemed necessary.
- (d) The regulations concerning shapes shall be complied with by day.
- (e) The lights and shapes unless otherwise specified in these regulations shall comply with the positioning and technical details as per the provisions of Annex-I to International Regulations for prevention of collision at sea (1972).

21. Definitions –

- (a) “Masthead light” means a white light placed over the fore and aft centreline of the vessel showing an unbroken light over an arc of the horizon of 225 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on either side of the vessel. This light shall be placed as far as practicable at height above the hull of not less than 3 meters for vessels of 20 meters or more in length and 2 meters for vessels of less than 20 meters in length.
- (b) “Sidelights” means a green light on the starboard side and a red light on the port side each showing an unbroken light over an arc of the horizon of 112.5 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on its respective side. In a vessel of less than 20 meters in length the sidelights may be combined in one lantern carried on the fore and aft centreline of the vessel. Side lights shall be placed not less than 1 meter below the mast head light.
- (c) “Stern light” means a white light placed as nearly as practicable at the stern showing an unbroken light over an arc of the horizon of 135 degrees and so fixed as to show the light 67.5 degrees from light aft on each side of the vessel.
- (d) “Towing light” means a yellow light having the same characters as the “stern light” defined in paragraph (c) of this regulation.
- (e) “All-round light” means a light showing an unbroken light over an arc of the horizon of 360 degrees.
- (f) “Flashing light” means a light flashing at regular intervals.

22. Visibility of lights – The lights prescribed in these regulations shall be visible at the following minimum ranges:-

- (a) A vessel of 20 meters or more in length, mast head light, 3 miles, side light 2 miles stern lights 2 miles, towing light 2 miles, all round light 1 mile.
- (b) A vessel less than 20 meters in length, a mast head light 2 miles and side light one mile. Stern light 1 mile, towing light 1 mile, white, red, green or yellow all round light 1 mile.

Lights to be exhibited by vessels

23. Lights to be exhibited by mechanically propelled vessel under-way –

- (a) A mechanically propelled vessel under-way shall exhibit:
 - (i) A mast head light forward.
 - (ii) Side lights
 - (iii) A stern light.
- (b) A mechanically propelled vessel of less than 10 meters in length, in-lieu of the lights prescribed in paragraph (a) may exhibit and all round white light, and shall if practicable also exhibit side lights or a combined lantern.

24. Lights to be exhibited by towing & pushing vessels – (a) A mechanically propelled vessel when towing or pushing shall exhibit:-

- (i) Two mast head lights forward in a vertical line when the length of the tow exceeds 200 meters; Three such light in a vertical line. These lights will be in-lieu of light prescribed in regulation 23 (a) (i). The lights shall be placed not less than 1 meter apart and the lowest light placed at a height not less than 2 meters above the hull.
- (ii) Side lights.
- (iii) A stern light.
- (iv) A towing light in a vertical line above the stern light.
- (b) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are connected in a composite unit, they shall be regarded as a mechanically propelled vessel and exhibit the lights prescribed in regulation-23.
- (c) A vessel or object being towed shall exhibit:-
 - (i) Side lights.
 - (ii) A stern light.

Provided that any number of vessels being towed or pushed in a group shall be lighted as one vessel.

- (d) A vessel being pushed ahead, not being part of a composite unit, shall exhibit at the forward end, side lights.
- (e) A vessel being towed aside shall exhibit a stern light at the forward end side lights.

- (f) Where from any sufficient cause, it is impracticable for vessel or object being towed to exhibit the lights prescribed in this regulation, all possible measures shall be taken to light the vessel or the object towed at least to indicate the presence of unlighted vessel or object.
- 25. Lights to be exhibited by sailing vessel and vessels under oars –** (a) A sailing vessel shall exhibit:
- (i) Side lights.
 - (ii) A stern light.
- (b) In a sailing vessel of less than 20 meters in length the lights prescribed in paragraph (a) may be combined in one lantern carried at or near the top of the mast where it can be seen.
- (c) A sailing vessel underway may in addition to the lights prescribed in paragraph (a) of this regulation, exhibit at or near the top of the mast, where they can best be seen two all round lights in a vertical line, the upper being red and lower be green.
- (d) A sailing vessel less than 10 meters in length, a vessel under oars may exhibit lights prescribed in this regulation, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.
- 26. Lights to be exhibited by fishing vessels –** (a) A vessel engaged in fishing shall exhibit: -
- (i) Two all round lights in a vertical line the upper being red and the lower white and during day a shape consisting of two cones with their apexes together in a vertical line or a basket.
 - (ii) When making way through the water in addition to the lights prescribed in (i) side lights, and a stern light.
- (b) A vessel less than 10 m in length, a vessel under oars may exhibit a lantern and shall have ready at hand an electric torch which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.
- 27. Lights to be exhibited by vessels not under command or restricted in their ability to manoeuvre –** (a) A vessel not under command shall exhibit:
- (i) Two all round red lights in a vertical line where they can best be seen by night.
 - (ii) Two balls or similar shapes in a vertical line by day.
 - (iii) When making way through the water; side lights and a stern light in addition to the lights prescribed in (i).
- (b) A vessel restricted in her ability to manoeuvre shall exhibit:-
- (i) Three all round lights in a vertical line, the highest and lowest of these shall be red and the middle light shall be white.
 - (ii) Three shapes in a vertical line, the highest and lowest shapes shall be balls and the middle one a diamond.
 - (iii) When making way through the water, mast head lights, side lights and stern light in addition to the lights prescribed in (i).

- (iv) When at anchor, in addition to the lights prescribed in (i) and (ii) above lights and shapes prescribed in regulation 30 for anchored vessels shall also be exhibited.
- 28. Lights to be exhibited by vessel engaged in dredging** – A vessel engaged in dredging, in addition to the lights in 27 (b) shall exhibit:-
Two all round red lights or two balls in a vertical line to indicate the side on which obstruction exists.
- 29. Lights to be exhibited by pilot vessel** – A vessel engaged on pilotage duty shall exhibit:-
- (i) At or near the mast head two all round lights in vertical line the upper white and the lower red.
- (ii) When under way, in addition side lights and stern light.
- 30. Lights to be exhibited by anchored vessels and vessels aground** – (a) A vessel at an anchor shall exhibit :-
- (i) In the fore part, an all round white light or one ball by day.
- (ii) At or near the stern and at a lower level than the light in (i) an all round white light.
- (b) A vessel of less than 20 meters in length may exhibit one all round white light, where it can best be seen.
- (c) A vessel aground shall exhibit in addition to the lights prescribed in paragraph (a) or (b), where they can best be seen -
- (i) Two all-round red lights in a vertical line.
- (ii) Three balls in a vertical line by day.
- (d) A vessel of less than 10 meters in length shall have ready at hand and electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to warn the approaching vessels.
- 31. Lights to be exhibited by hydrofoils & mechanized country craft** – Where it is impracticable for a mechanized country craft or a hydrofoil to exhibit lights and shapes of the characteristics or in positions prescribed in the Regulations she shall exhibit lights and shapes as closely similar in characteristics and position as is possible.

Chapter – IV

SOUND AND LIGHT SIGNALS

- 32. Definition** – (a) The word “whistle” means any sound signaling appliances capable to producing the prescribed blast.
- (b) The term “short blast” means a blast of about one second duration.
- (c) The term “prolonged blast” means a blast of about 4 to 6 seconds duration.
- (d) The sound signal appliances unless otherwise specified in the regulations shall comply with the technical requirements as per the provisions of Annexure-III of the International Regulations for prevention of collision at sea (1972).

- 33. Equipment for sound signals** – A vessel of 20 meters or more in length shall be provided with a whistle and a ball and a vessel of 100 meters or more in length, in addition shall be provided with a gong.
- 34. Manoeuvring and warning signals** – (a) Single vessel when vessels are in-sight of one another a mechanically propelled vessel underway, when manoeuvring as authorized or required by these regulations, shall indicate her intentions by the following signals on her whistle:
- (i) One short blast to mean “I am altering my course to starboard”.
 - (ii) Two short blasts to mean, “I am altering my course to port”.
 - (iii) Three short blast to mean “I am operating stern propulsion”.
- (b) Overtaking vessels:-**
- (i) Two prolonged blast followed by one short blasts to mean “I intended to over take you on your starboard side”.
 - (ii) Two prolonged blasts followed by two short blasts to mean “I intended to over take you on your port side”.
- A vessel being overtaken shall indicate her agreement by the following signals on her whistle; one prolonged, one short, one prolonged, one short blast, in that order, if in doubt she may sound signals prescribed in paragraph (c).
- (c) When in doubt** – When vessels in sight of one another are approaching each other and from any cause either vessel fails to understand the intentions or actions of the other or is in doubt whether sufficient action is being taken by the other to avoid collision, the vessel in doubt shall immediately indicate such doubt by giving at least 5 short and rapid blasts on the whistle, the signal may be supplemented by a light signal of at least 5 short and rapid flashes.
- (d) At bends** – A vessel nearing bend or an area of a channel where other vessels may be obscured, shall sound one prolonged blast, such signal shall be answered with a prolonged blast by any approaching vessel.
- 35. Sound signals in restricted visibility** – In or near an area of restricted visibility, where by day or night, signals prescribed in this regulation shall be used as follows:-
- (a) A mechanically propelled vessel making way through the water shall sound at intervals of not more than 2 minutes one prolonged blast.
 - (b) A mechanically propelled vessel underway but stopped and making no way through the water shall sound at intervals of not more than 2 minutes. Two prolonged blasts in succession with an interval of about 2 seconds between them.
 - (c) A vessel not under command, a vessel restricted in her ability to manoeuvre, a vessel constrained by her draught, vessel engaged in towing, fishing or pushing another vessel, shall at intervals of not more than 2 minutes three blasts in succession namely one prolonged followed by two short blasts.

- (d) A vessel at anchor shall at intervals of not more than one minute ring the bell rapidly for about 5 seconds. A vessel at anchor may in addition sound three blasts in succession namely one short one prolonged and one short blast to give warning on her position, and possibility of collision to any approaching vessel. A vessel aground shall give three separate and distinct strokes on the bell immediately before and after the rapid ringing of the bell.
 - (e) A vessel of less than 10 meters in length shall not be obliged to give the above mentioned signals but shall make some other effective sound signal at intervals of not more than 2 minutes.
- 36. Distress signals** – When a vessel is in distress and requires assistance from other vessels or from shore, the following shall be the signals to be used or displayed by her either together or separately.
- (a) A continuous sounding of any sound signal apparatus.
 - (b) A flag or a light waved in a circle to draw attention.
 - (c) Flares on the deck.
 - (d) “May day” transmitted by radio telephony.
 - (e) International code of signal N.C. hoisted on the vessel.

Chapter – V

EXEMPTIONS

- 37.** Any vessel (or class of vessel) provided that she complies with the requirement of the Inland Vessels Act, 1917, the keel of which is at corresponding stage of construction before the entry into force of these regulations may be exempted from compliance therewith of the following provisions until 2 years after the date of entry into force of these regulations.
- (a) The installation of lights with colour specifications and intensity as prescribed in regulation 20 (e).
 - (b) Repositioning of masthead lights and side lights on vessels resulting from prescriptions of regulations 21.
 - (c) The installation of lights with ranges prescribed in regulation 22.
- 38. Exemption**
- Exemption “in vessels or class of vessels provided that she complies with the requirement of the Inland Vessels Act, 1917, the keel of which is at corresponding stage of construction before the entry into force of these regulations may be exempted from compliance therewith of the provision for carriage of life boats until two years after the date of entry into force of these regulations provided that adequate life raft in lieu are provided on board.
- (a) Fishing boats;
 - (b) Cargo vessels

Chapter – VI

SUSPENSION, CANCELLATION AND APPEAL

39. **Power to suspend and cancel endorsement on certificate of survey –**
(1) The Competent Officer reserves the right to suspend forthwith the endorsement on certificate of survey of the vessel for a period not exceeding fifteen days in the case of contravention of any of the regulation mentioned herein before at first instance.
(2) In the case of repeated contravention the Competent Officer shall have the power to cancel the endorsement on certificate of survey of the vessel forthwith.
40. **Appeals –** (1) Any person aggrieved by an order of the Competent Officer issued under regulation 3, may within ten days from the date on which he receives such order, appeal against it to the officer so designated.
(2) The officer so designated shall cause notice of every such appeal to be given to the Competent Officer in such manner, as may be prescribed and after giving an opportunity to the Competent Officer and to the appellants to be heard, shall pass such order thereon as deems fit and his decision shall be final.

Chapter – VII

PENALTIES AND LEGAL PROCEEDINGS

41. **Penalty for contravening regulations of the Road for National Waterways –** If any person contravenes any of the regulations of the Road as mentioned hereinbefore, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees for each contravention.
42. **Application of the provisions of Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) –** Notwithstanding anything mentioned above, the provisions of Chapter VII of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) shall also apply mutadis mutandis, to the mechanically propelled vessels making voyage on National Waterways as they apply to mechanically propelled vessels on any inland water.

S. S. PANDIAN, Secy.

[ADVT.III/IV/306/04-Exty]

SECTION - III

National Waterway, Safety of Navigation and Shipping Regulations, 2002

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2004

In exercise of the powers conferred by section 35 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Inland Waterways Authority of India, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations for ensuring safety of navigation and shipping on the national waterways, namely: -

1. Short Title and Commencement -

- (1) These regulations may be called the National Waterway, Safety of Navigation and Shipping Regulations, 2002
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations extend to all National Waterways.

2. Definitions -

In these regulations, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Act" means Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985);
- (b) "Annexure" means Annexure to these regulations;
- (c) "Competent Officer" means an officer appointed as such by the Authority to be incharge of a Section of the National Waterway for the development, management and maintenance;
- (d) "Channel marks" includes bamboo marks, buoys and beacon.
- (e) "Convoy" means a group of vessels, floating equipment or raft towed or pushed by a mechanically propelled vessel;
- (f) "Drifting" means being driven by the current with the engine stopped;
- (g) "Ferry boat" means any vessel providing a transport service across or along a waterway;
- (h) "Inland mechanically propelled vessel" means a mechanically propelled vessel which ordinarily plies on any inland water;
- (i) "Lock" means confined section of river or canal where level can be changed for raising and lowering boats between adjacent sections by use of gates and sluices;
- (j) "Lock basin" means the approach to the lock narrowing towards the lock from upstream and downstream;
- (k) "Master" means any person not being a pilot, harbour master, berthing master, has for the time being the command or charge of a vessel;

- (l) “Mechanically propelled vessel” means every description of vessel propelled wholly or in part by electricity, steam or other mechanical power;
- (m) “Navigable channel” means the channel intended for passage of ships;
- (n) “Owner” means when used in relation to goods, includes any consignor consignee, shipper or agent for the safe custody thereof and when used in relation to any vessel, includes, any part owner, charterer consignee, mortgage or agent in charge thereof;
- (o) “Port” means an inland port;
- (p) “Small craft” means any vessel with a hull length less than 10 metres and less than 3 metres wide;
- (q) “Section” means a portion of the waterway controlled by one field headquarter;
- (r) “Terminal” means the place where the cargo and passengers change from one mode to other mode of transportation.
Terminal facilities include berthing, cargo transfer, storage and ticketing and passenger rest, comfort rooms and
- (s) “Vessel” means every description of watercraft, including small craft, vessel under oars or sail, floating equipment and non-displacement craft.

Chapter - I

WATERWAYS AND SAFETY MEASURES ON WATERWAYS

3. **Marking of Navigable Channel** - A navigable channel may be marked to indicate safe limits of the Channel by channel marks like bamboo marks or buoys. Details of channel marking are given in Annexure-I. In case there is night navigation marks shall be provided with light or painted with luminous paint.
4. **Traffic Signals and Signs** - Traffic Signals or Signs may be erected on the banks of the river or on any fixtures on the river to ensure safety on the navigable channel. The signs boards shall be painted with bright luminous paint. Different signals and signs are given in Annexure-II.
5. **Passage through Bridges** - When a vessel is passing under a bridge, the height of the mast or the height of the collapsed mast and that of the wheelhouse / super structure should be less than that between waterway level and the height of the road bridge.
Speed of such vessel should be regulated with reference to prevailing weather conditions and the currents likely to be experienced.
6. **Passage through locks** – (1) While navigating through the locks and lock basin, the master shall comply with any orders given to him by the lock master to ensure safety and orderly movement of ship and quick passage through the lock.

- (2) The order of priority for passage through the lock shall be as follows:-
 - (a) Vessels of the Authority, government vessels, vessels belonging to the military and police;
 - (b) Passenger craft;
 - (c) Fishing boats;
 - (d) Cargo vessels;
 - (e) Other craft;
 - (3) The master shall take the following precautions while navigating through the lock -
 - (a) Vessels approaching a lock basin shall reduce speed and navigate with caution. Overtaking is prohibited near lock basin unless instructed to do so by the lock master.
 - (b) Vessels shall not trail anchors, cables or chains in locks or lock basin.
 - (c) While the lock is being filled or emptied, vessels shall be moored and mooring shall be so handled as to prevent bumping against the walls or gates.
 - (d) Vessels shall provide adequate fenders to avoid damage to the lock structure.
 - (e) Vessel under sails shall lower their sails before entering the lock.
 - (4) The passage through locks shall be in the order of arrival of the vessels in the lock basin.
 - (5) Notwithstanding anything contained in Section 6 (2) any vessel expressly granted priority of passage by the Authority shall have priority for locking or unlocking.
- 7. Reduction of speed in certain circumstances** - (1) Every vessel shall regulate their speed to avoid creating excessive wash or suction likely to cause damage to stationary or other moving vessels or structures.
- (2) In particular the vessel shall reduce speed in good time, but without losing the steering way required for safety:
- (a) out side port entrances;
 - (b) near vessels made fast to the bank or to a landing stage loading or discharging cargo;
 - (c) near vessels lying at normal stopping places.
- 8. Drifting of a vessel on the National Waterway** - Drifting of a vessel in the National Waterway unless authorized by the Competent Officer, is prohibited.
- 9. Crossing of navigable channel by ferry vessels** - While crossing the navigable channel, the ferry vessels shall keep at such distance from vessels or rafts moving along the navigable channel, so that the latter are not obliged to change their course or reduce speed.
- Provided that ferry vessels, under special circumstances may be granted priority of passage across the navigable channel by the Competent Officer

and such vessel shall exhibit a green all round light by night and a green flag by day, and shall have right of way as the circumstances permit.

- 10. Navigational and meteorological information** - Competent Officer shall arrange for dissemination of information on storm, flash flood, channel depth and dangers in navigation by issuing river notices, publishing river charts and displaying appropriate cautionary signals as given in Annexure-III at the river ports.

Chapter - II SAFETY OF VESSELS

- 11. Certification of Survey and Registration** - Every certificate of registration and every certificate of survey issued in respect of a mechanically propelled vessel under the Merchant Shipping Act, 1958, the Coasting Vessels Act, 1938, the Canals and Public Ferries Act, 1890 (Madras Act II of 1890) and the Inland Vessels Act, 1917 shall be valid and effective as a certificate of registration or certificate of survey as the case may be, for making voyage in the national waterways.

Provided that the certificate of survey shall be suitably endorsed by the Competent Officer having regard to the safety requirements as per regulations.

- 12. Certificate of Competency** - Certificate of competency or certificate of service as master, serang, engineer and engine driver issued under the Merchant Shipping Act, 1958 and the Inland Vessels Act, 1917, shall be valid for making voyage in national waterways.
- 13. Identification marks on vessels** - (1) Every vessel except a small craft shall bear the following identification marks on its hull.
- (a) Name of vessel, (Name shall be inscribed on each bow and stern of the vessel).
 - (b) Registration No.
 - (c) Place of registry and year of registration
- (2) The identification mark shall be inscribed with letters not less than 20 cm in height and 2 cm. wide and shall be painted in light colour on a dark background or in a dark colour on a light background.
- (3) In addition to the identification marks, every vessel shall display on a fixed board, exhibited on the upper deck, the following information
- a) gross registered tonnage
 - (b) maximum permissible number of passengers
 - (c) name of the owner
 - (d) date of last survey
- (4) Every vessel shall have the load line marked at least for one meter amidship on both sides and draught scale marked in meters and decimeters at both ends of the vessel.
- (5) Every small craft shall have its registration No. and name of owner inscribed on both sides of the vessel.

- (6) Every craft shall have its registration number or the name of the owner, or both, exhibited on a wide board at a conspicuous part of the craft.
- 14. Vessels to ply with certain conditions for movement on national waterways** - Vessels making voyage in the national waterways shall;
- (a) ensure that the length, breadth, height, draught and speed of the vessel, convoys, and side by side formations are suitable and in accordance with the limits as specified by the Competent Officer from time to time.
 - (b) ensure that no object is allowed to project beyond the sides of the vessel or raft that would constitute a danger to other vessels, rafts, floating establishments or installations on or adjacent to the waterway or channel except under the condition specified at (c).
 - (c) ensure strict compliance of the safety requirements for carriage of over dimensional cargo as specified by the competent officer in each case.
- 15. Conditions relating to mooring or anchoring of vessels in port area** - No vessel shall be moored or anchored within a port except in areas designated for such purposes by the Competent Officer.
- 16. Stationary Vessels** - All stationary vessels, rafts and floating equipments must be anchored or made fast securely enough to withstand the current in such a way that they can adjust to the changes in water level.
- 17. Pilotage** - (1) The Competent Officer shall:
- (a) classify the river stretch where pilotage shall be compulsory and where the pilotage shall be optional.
 - (b) arrange positioning of experienced pilots and
 - (c) provide services of the pilot to the vessels in areas where pilotage is declared compulsory.

Chapter - III

NAVIGATIONAL SAFETY AND THE RESPONSIBILITY OF THE MASTER AND THE OWNER

- 18. Instructions to the Master** - (1) The master shall be responsible for ensuring that the vessel is river worthy. He should follow the regulations relating to the safety measures for navigation in particular:
- (a) take all precautions required to exercise vigilance and to avoid damage to the vessel, installations in the national waterway and avoid causing obstructions to shipping and navigation;
 - (b) to avoid imminent danger, take all steps required by the situation (according to the general practice of seamanship) even if this entails departing from these regulations;
 - (c) be responsible for compliance with the rules or regulations applicable to his vessel and his crew and to the vessels in tow, while his vessel is engaged in towing of other vessels;
 - (d) ensure possession of a valid certificates of registration and survey of the vessel and valid certificate or licence by the crew, ships article or the crew list, ships log and engine log;

- (e) ensure that at no time the vessel is over loaded or carried more than the number of passengers it is certified to carry;
 - (f) ensure that dangerous goods or explosive materials are carried on board as authorized by Competent Authority and procedures and safety precautions as per the Explosives Rules, 1983 are taken for carrying of such goods or material onboard;
 - (g) on sighting a vessel or raft which has suffered an accident endangering persons or the vessel or threatening to obstruct the channel, give immediate assistance to such vessels without endangering safety of his own vessel;
 - (h) in case of any marine casualty, give warning to the approaching vessels to enable them to take necessary action in good time and steer clear of the channel when in danger of sinking or goes out of control;
 - (i) ensure that life saving appliances as specified in Annexure-IV are carried onboard, in good condition and in a position available for immediate use;
 - (j) ensure that no time the vessel discharge in the waterway except at places designated by the Competent Officer, raw sewage, oily substances garbage etc.
- (2) The master of a passenger vessel shall display the disposition and use of life saving appliances carried onboard and demonstrate the use of life jackets before commencement of journey;
- (3) The master shall ensure that all the navigational aids, fire fighting and flooding control appliances are on board in proper working condition and in a position available for immediate use and cause regular conduct of exercises to his crew for the efficient use of such appliances;
- (4) The master shall make immediate report to the nearest competent officer on -
- (i) sighting of any other vessel in distress;
 - (ii) grounding or sinking of the vessel;
 - (iii) outbreak of fire or flooding in his vessel;
 - (iv) damage caused to any waterway installations or permanent structures;
 - (v) observing uncharted obstruction or failure of navigational aid is noticed;
 - (vi) falling over board of any object which may become an obstruction or danger to navigation;
 - (vii) spillage of oil into National Waterway;
 - (viii) piracy or theft onboard.
- (5) Master or persons in charge of a vessel shall give the competent officer or any person authorized by him all necessary facilities for verifying compliance with these regulations.

- 19. Instructions to the Owner** - (1) Owner of the vessel shall make sure that the vessel is river worthy in all respect and has competent crew on it.
- (2) The owner shall -
- (a) ensure that the vessel does not proceed on any voyage or be used for any service unless the vessel has a valid certificate of survey in force applicable for such voyage or service;
 - (b) ensure that only qualified personnel with a valid certificate of competency certificate of service or licence are employed on board the vessel as master / serang, engineer or driver and the crew;
 - (c) ensure that the crew provided is sufficiently huge and skilled to ensure the safety on those onboard and safe navigation;
 - (d) provide insurance for his vessel against third party risks;
 - (e) arrange displaying of the distinguishing mark (registration mark) in a conspicuous place;
 - (f) ensure that the certificate of registration granted in respect of any vessel shall be used only for the lawful navigation of that vessel;
 - (g) report alterations carried out on his vessel which do not correspond with the particulars relating to the vessel or the description entered in the certificate of registration to the registering authority;
 - (h) if it is an abandoned vessel, in the navigable channel, make arrangements for immediate marking of the vessel to avoid danger to other vessels;
 - (i) make arrangements for the removal of a vessel from the navigation channel as early as possible or as directed by the competent officer;
 - (j) forthwith give notice to the nearest competent officer, whenever-
 - (i) a vessel has been wrecked abandoned or materially damaged;
 - (ii) any casualty happening to or on board any vessel, including loss of life, material damage to any other vessel or structures;
 - (iii) a vessel has spilled oil into National Waterway.
- (3) If an owner fails to remove a vessel under clause (h) of sub regulation (2), the Competent Officer shall cause the removal of such vessel and recover the cost of such removal from the owner.

Chapter - IV

SUSPENSION, CANCELLATION AND APPEAL

- 20. Power to suspend and cancel endorsement on certificate of survey-**
- (a) The Competent Officer reserves the right to suspend forthwith the endorsement on Certificate of Survey of the vessel for a period not exceeding sixty days in the case of contravention of any of the regulation mentioned herein before at the first instance.

- (2) In the case of repeated contravention, the Competent Officer shall have the power to cancel the endorsement on Certificate of Survey of the vessel forthwith.
21. **Appeal** - (1) Any person aggrieved by an order of the Competent Officer issued under regulation 20, may within thirty days from the date on which he receives such order, appeal against it to the officer so designated.
- (2) The officer so designated shall cause notice of every such Appeal to be given to the Competent Officer in such manner as may be prescribed and after giving an opportunity to the appellant to be heard, shall pass such order thereon as deems fit and his decision shall be final.

Chapter - V

PENALTIES AND LEGAL PROCEEDINGS

22. **Penalty for failure to observe navigable channel** - If the master of the vessel fails to observe the navigable channel mark in contravention of Regulation 3, he shall be punishable with fine which may extend to four hundred rupees.
23. **Penalty for failure to observe traffic signals and sign** - If the master of the vessel fails to observe any of the traffic sign or signal in contravention of Regulation 4, he shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.
24. **Penalty for failure to observe overhead clearance** - If the master of the vessel fails to ascertain the overhead clearance of his vessel or fails to regulate the speed by passing through the bridge in contravention of Regulation 5, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.
25. **Penalty for non-compliance with this order from lock master** - If the master of the vessel fails to comply any of the order given to him by the lock master to ensure the safety and orderly movement of the vessel and quick passage through the locks in contravention of Regulation 6(1) and (2) he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.
26. **Penalty for failure to take precaution while negotiating through lock** - If the master fails take any one of the precautions while passing through lock in contravention of Regulation 6(3), he shall be punishable with fine which may extend to three hundred rupees.
27. **Penalty for failure to regulate speed to avoid creation of excessive wash or suction** - If the master of the vessel fails to regulate the speed of the vessel to avoid creation of excessive wash or suction likely to cause damage the stationary or other moving vessel or structures in contravention of Regulation 7, he shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.
28. **Penalty for causing the vessel to drift** - If the master of the vessel, not being authorized by the Competent Officer, causes his vessel to drift in contravention of Regulation 8, he shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees.
29. **Penalty for failure to keep safe distance** - If the master of a ferry vessel while crossing the navigable channel fails to keep such distance from vessels or rafts moving along the navigable channel, so that the later are forced to

change their course or reduce speed in contravention of Regulation 9, he shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees.

30. **Penalty for failure to observe Navigational and Meteorological information** – If the master of the vessel fails to observe the river notices or river charts or cautionary signals issued by the Competent Officer in contravention of Regulation 10, he shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.
31. **Penalty for failure to obtain endorsement on Certificate of Survey for voyage in National Waterways** - If any vessel proceeds on a voyage on National Waterway without obtaining the endorsement on Certificate of Survey in contravention of Regulation 11, the owner and the master shall each be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.
32. **Penalty for failure to keep valid Certificate of Competency for making voyage on National Waterways** - If the vessel proceeds on a voyage on National Waterway without the Certificate of Competency in contravention of Regulation 12, the master, serang, engineer and engine driver shall each be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.
33. **Penalty for failure to bear identification marks on vessel** – If any vessel makes a voyage on National Waterway without bearing any of the identification mark in contravention of Regulation 13, the master and the owner shall each be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees at first instance and rupees four hundred in case of continued contravention.
34. **Penalty for failure to comply with waterway limits** – If the master of the vessel fails to ensure that the length, breadth, height and draught of his vessel and speed of the vessel and convoy in contravention of Regulation 14(a) he shall be punishable with fine which may extend to three hundred rupees.
35. **Penalty for causing an object to project beyond the sides of the vessel** – If the master of a vessel causes an object to project beyond the sides of the vessel constituting a danger to other vessel or installation in contravention of Regulation 14 (b), he shall be punishable with fine which may extend to four hundred rupees.
36. **Penalty for non-compliance with safety requirement for over dimensional cargo** – If the master of the vessel fails to comply with the safety requirements for carriage of over-dimensional cargo in contravention of Regulation 14 (c) he shall be punishable with fine which may extend to three hundred rupees.
37. **Penalty for anchoring of the vessel outside the designated area in a port** – If the master of the vessel causes his vessel to be moored or anchored in area not designated for such purposes within a port in contravention of Regulation 15, he shall be punishable with fine which may extend to one hundred at first instance and rupee one hundred per day in case of continued contravention.
38. **Penalty for improper mooring** – If the owner or master of a stationary vessel, raft and floating equipment fails to anchor or make fast the vessel securely enough to withstand the current and change in water level in contravention of Regulation 16, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

- 39. Penalty for failure to observe the river stretch for compulsory pilotage –** If the master of the vessel makes a voyage on national waterway without a pilot on a river stretch where pilotage is compulsory, as classified by the Competent Officer, in contravention of Regulation 17, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.
- 40. Penalty for failure to observe instruction to the master -** If the master of the vessel fails to observe any of the instructions given to him in contravention of Regulation 18, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees for each contravention.
- 41. Penalty for failure to observe instructions to the owner -** If the owner of the vessel fails to observe any of the instructions given to him in contravention of Regulation 19, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees for each contravention.
- 42. Application of the provision of Inland Vessels Act 1917 -** Notwithstanding anything mentioned herein before, the provisions of Chapter 7, of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) shall also mutatis-mutandis apply to all the mechanically propelled vessels making voyage on national waterway as they apply to mechanically propelled vessels on any Inland Waterways.
- 43. Provision for punishment of offences not otherwise provided for -** If any person contravening any of these regulations for which no specific penalty has been provided for, he shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.

S. S. PANDIAN, SECY.
[ADVT. III/IV/306/04-Exty.]

ANNEXURE – I

(See regulation 3)

MARKING OF THE WATERWAY

A. Buoyage and marking of the waterway

(i) Direction of buoyage

The direction of buoyage shall be defined as follows:-


- The general direction taken by the mariner when approaching harbour, river or estuary or waterway from seaward.
- In case of non-tidal rivers the direction against the flow of the river.
- The direction in which the kilometer chainage increases in case of estuary.

(ii) Port hand Marks

These marks indicate the left side of the channel.

By day: Red Buoys, preferably cylindrical (CAN), or red spars. Red Cylindrical top mark is compulsory on the spars and on the buoys if they are not cylindrical.


By night: Rhythmic red lights, of any type.



(iii) Starboard hand Marks

These marks indicate the right side of the channel.

By day: - Green buoys, preferably conical, or green spars. A green conical top mark point upward is compulsory on the spars and on the buoys if they are not conical.



By night: - Rhythmic green lights, of any type.


R = RED

G = GREEN

(iv) **Isolated danger Marks**

An isolated danger mark is a mark created on, or moored on, or above an isolated danger which has navigable water, all round it.

Description of an isolated danger mark




B. Conventional Marks

(i) **Direction of marking**


Conventional marks are made of bamboo strips and used only in rivers. The direction of marking will be downstream the river.

(ii) **Bamboo mat marks at the beginning and end of the channel**

Right Hand Marks



Left Hand Marks




(iii) Bamboo marks in between and marks


**Right Hand Marks
(Ball mark)**




**Left Hand Marks
(Bamboo strips; mark)**




(iv) Under water snag marks (painted with lime)



a) To indicate snag which can be crossed from either side




b) Snag to be kept on left.



c) Snag to be kept on right.

(v) Closing of channel



ANNEXURE – II
(See regulation 4)

C. Signs and Signals

1. Day and Night marking

Where the prescribed mark consists of: -

- (a) Light only, the lights may be used by day and by night;
- (b) Boards only, the boards may be used as night marks if illuminated. Boards shall be rectangular in shape of 1.5 metre x 1 metre size minimum;
- (c) Boards and lights, by day, either boards or lights may be used; by night either lights or illuminated boards may be used.

2. Lighting

Lights may be provided at night for lighting of the lower parts of a bridge, of the piers of a bridge, of the approaches to a lock, of a section of small canal etc.

3. Intensity of lights

The lights recommended in this rules shall be visible for a distance of at least 2 kms., and shall be distinct from the surrounding lights.

4. Fixed lights

- (i) Single red light



"No passage"

Either to some of the channels or arms of the waterway, or to the whole of the waterway

- (ii) Two red light placed one above the other




Complete and prolonged stoppage of navigation (blockage of waterway bridges or locks out of service)

- (iii) Two or more red lights set apart



"No passage" (between the lights).

(iv) Single green light



"Go ahead" (the green light is always placed at side of the navigable channel). The use of this signal shall however, be restricted to cases where a single green light is sufficient clearly to indicate the clear passage. In other cases, the use of two green lights set apart, and indicating the passage is recommended.

(v) Two green lights set apart



"Go ahead between the lights."

(vi) Single yellow light, along or between green lights



"Go ahead, but look out for traffic coming the other way". Vessels may steer towards the light, which is placed above the navigable channel.

Or

Proceed with caution.

(vii) A red light above a White light



"Do not cause wash".



(viii)




Do not exceed the speed indicated (in km/hour).

(ix)



Clearance above water level limit.

(x)
















Width of fairway or channel limit.

W = WHITE
R = RED
G = GREEN
Y = YELLOW
B = BLACK

ANNEXURE – III
(See regulation – 10)

STORM WARNING SIGNALS

	Day	Night
1. WARNING: A storm may affect you shortly		
2. DANGER: A storm will soon strike you		 
3. DANGER: The port is threatened by a Bore-tide or flash flood; sudden rise in water level and strong current expected.		  
4. GREAT DANGER: A violent storm will soon strike you.		  

ANNEXURE - IV
(See regulation 18 (1) (i))
DETAILS OF LIFE SAVING APPLIANCES TO BE CARRIED
ON BOARD INLAND VESSELS

1. Classification of vessels

Inland vessels shall be classified as follows namely:-

Class I	Passenger vessels
Class II	Ferry launches and boats
Class III	Cargo vessels and vessels other than those falling under Class – I, II, IV & V
Class IV	Non propelled vessels (barges)
Class V	Pleasure crafts

2. Vessels of Class - I

2.1 Every vessel of Class I shall be provided with:

- (a) Sufficient number of boat(s) as per requirement of sub rule 2.2 and life rafts to accommodate total number of passengers and crew on board.
- (b) (i) One life jacket for 50% of the passengers and crew on board only in WCC and 100% in respect of NW- I and II.
(ii) Life jacket for child, for 10% of total number of persons certified to carry. For the purpose of this section, child means persons weighing below 30 kg.
- (c) At least four life buoys for vessels up to 25 metre length, six life buoys for vessel 25-45 metre length and 8 life buoys more than 45 metre length. At least two of the lifebuoys supplied shall be equipped with self igniting light if the vessel navigates at night.

2.2 At least one boat minimum carrying capacity of ten persons for every vessel up to 25 metre length except for small crafts and at least two boats for vessel of more than 25 metre length shall be provided. The boat shall be provided with necessary davit for launching. Boats are to be stowed equally on either side of the vessel if more than one boat provided.

3. Vessels of Class - II

3.1 Every vessel of Class II shall be provided with:

- (a) Sufficient number of boat (s) as per the requirement of sub rule 3.2 and life rafts to accommodate the total number of passengers and crew on board.
- (b) (i) Life jackets for 50% of the passengers and crew on board only in WCC and 100% in respect of NW-I & II
(ii) Life jackets for child, for 10% of total number of persons certified to carry. For the purpose of this section, child means person weighing below 30 kg.
- (c) At least eight life buoys of which at least two shall be equipped with self igniting light if the vessel navigates at night.

3.2 At least one boat with minimum carrying capacity of 10 persons for every vessel between 25 metre to 45 metre length and two boats for every vessel of more than 45 metre length shall be provided. Boat shall be provided with required davit for launching. If more than one boat supplied they may be stowed on either side of the vessel. For vessels used for single continuous voyages not exceeding 5 kms., the competent officer may permit use of buoyant apparatus or life buoys in lieu of boats.

4. Vessels of Class - III

Every vessel of Class III shall be provided with:

- (a) At least one life raft to accommodate all crew for vessel over 10 metre.
- (b) One life jacket for each crew or person on board.
- (c) At least two life buoys for vessel up to 25 metre length and four life buoys for vessel of above 25 metre length of which one shall be equipped with self igniting light if the vessel navigates at night.

5. Vessels of Class - IV

Every manned vessel of Class IV shall be provided with:

- (a) At least two life buoys one of which shall be equipped with a self igniting light if the vessel navigates at night.
- (b) One life jacket for every crew on board.

6. Vessels of Class - V

Every vessel of Class V up to 10 metre in length shall carry life jacket for each person. Vessel above 10 metre shall carry sufficient life raft / life buoys for all persons on board. However, all vessels of Class V shall carry at least 2 Life Buoys of which one to be of self igniting type if the vessel navigates at night.

7. Technical requirements

Every life saving appliances provided as per the provision of these regulations shall meet the requirement of Schedule- I.

8. Stowage

Every life saving appliances provided as per the provision of these rules shall be stowed according to the requirement of Schedule – II as far as applicable.

9. Display of usage

On every vessel of Class I & II, the list of life saving appliances and instruction of their use shall be displayed at conspicuous places.

10. Exemption

Exemption in vessels or class of vessels provided that she complies with the requirement of the I.V. Act, 1917, the keel of which is at corresponding stage of construction before the entry into force of these regulations may be exempted from compliance therewith of the provision for carriage of life boats until two years after the date of entry into force of these regulations provided that adequate life raft in lieu are provided on board.

SCHEDULE – I TO ANNEXURE IV
SPECIFICATION OF LIFE SAVING APPLIANCES

1. Boats

- (a) All boats shall be well designed and of such shape and proportions that they sufficient stability and freeboard when carrying their full load of persons and equipment. Its stability shall be deemed to be adequate if, with half the maximum permissible number of persons standing on one side of the boat, there remains a freeboard of not less than 100 mm.
- (b) All boats shall be capable of being lowered into the water with their full load of persons and equipment. They shall be of such strength that they will not suffer permanent deformation if subjected to an overload of 25 percent.

2. Life rafts

- (a) Every life raft shall be fitted with securely beackets.
- (b) Every life raft shall be so constructed as to comprise units containing a volume of air of at least 0.096 m³.
(or equivalent buoyancy devices in the case of rigid life rafts) an a deck are of at least 0.372 sq. m., for every person it is permitted to carry.
- (c) The life raft shall be so constructed that if it is dropped into the water from the highest deck neither the life raft nor its equipment will be damaged.
- (d) Every rigid life raft shall be constructed as to retain its shape in all weather conditions, on deck and in the water.

3. Life jackets

A life jacket shall satisfy the following requirements:-

- (a) It shall be properly designed and made of suitable material.
- (b) It shall be capable of supporting a mass of 7.5 kg. in fresh water for 24 hours.
- (c) It shall be capable of keeping the head of an exhausted or unconscious person above water.
- (d) It shall be so designed as to eliminate so far as possible all risk of its being put on incorrectly, however, it shall be capable of being worn inside out.
- (e) It shall be capable of turning the wearer's body, on entering the water to a safe floating position slightly inclined backwards from the vertical.
- (f) It shall withstand the effects of oil and oil products and of temperatures up to 50°C.
- (g) It shall be reflecting orange in colour.
- (h) It shall be easy and quick to put on, and shall fasten securely to the body.
- (i) It shall be fitted with a whistle held in a pocket.
- (j) It shall bear the following particulars:-

Name of manufacturer

Type

Year of manufacture.

4. Life buoys

- (a) Every life buoy shall:-
- (i) Be capable of supporting a mass of 14.5 kg. in fresh water for 24 hours.
 - (ii) Be made of suitable materials and withstand the effects of oil and oil products and of temperatures up to 50°C.
 - (iii) Be reflecting orange in colour.
 - (iv) Have a mass of not less than 6.5 kg.
 - (v) Have an internal diameter of 0.45metre + 10 percent.
 - (vi) Be encircled with rope which can be grasped.
- (b) At least one life buoy on each side of the vessel shall be fitted with self igniting light and buoyant life line which is not less than 25 meter long and which is firmly secured by a hook.

SCHEDULE – II TO ANNEXURE IV

STOWAGE AND HANDLING OF LIFE SAVING APPLIANCES

All buoyant apparatus and life buoys shall be so placed as to be capable of floating off the vessel freely.

Suitable arrangements shall be made for access to the boats and rafts.

Effective means shall be provided for lighting the life saving appliances and their launching devices.

The launching devices provided for boats shall be so designed and arranged that the boats can be lowered reliably, quickly and without danger to persons.

The launching devices davits, falls, blocks and other gear shall be of such strength that the boats can be safely lowered on either side in unfavorable conditions of list or trim.

Life saving appliances shall be so stowed that they are easily accessible and can be launched as quickly as possible.

SECTION - IV

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS,
(INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA)

Notification

New Delhi, dated the....., 2006

GSR In exercise of the powers conferred by section 35 read with clause (g) of sub-section (2) of section 14 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations, 2006.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) 'act' means the Inland Waterways Authority of India Act, 1985;
 - (b) 'chairman' means the Chairman of the Authority;
 - (c) 'inland waterway' means any canal, river, lake or any other navigable water as defined under Inland Vessels Act, 1917;
 - (d) words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.
3. CLASSIFICATION OF INLAND WATERWAYS.- (1) The waterways shall be classified in the following categories for safe plying of self propelled vessels up to 2000 tonne Dead Weight Tonnage (DWT) and tug-barge formation in push-tow units of carrying capacity up to 8000 tonne, namely:-
 - (a) Class I - Waterways with the following configuration of navigable channel:-
 - (i) *Rivers*: - Minimum of 1.2 metre depth, 30 metre bottom width, 300 metre bend radius, 4 metre vertical clearance and 30 metre horizontal clearance between piers, and
 - (ii) *Canals*: - Minimum of 1.5 metre depth, 20 metre bottom width, 300 metre bend radius, 4 metre vertical clearance and 20 metre horizontal clearance between piers.
 - (b) Class II - Waterways with the following configuration of navigable channel:-
 - (i) *Rivers*: - Minimum of 1.4 metre depth, 40 metre bottom width, 500 metre bend radius, 5 metre vertical clearance and 40 metre horizontal clearance between piers, and
 - (ii) *Canals*: - Minimum of 1.8 metre depth, 30 metre bottom width, 500 metre bend radius, 5 metre vertical clearance and 30 metre horizontal clearance between piers.

- (c) Class III - Waterways with the following configuration of navigable channel:-
- (i) *Rivers*: - Minimum of 1.7 metre depth, 50 metre bottom width, 700 metre bend radius, 7 metre vertical clearance and 50 metre horizontal clearance between piers, and
 - (ii) *Canals*: - Minimum of 2.2 metre depth, 40 metre bottom width, 700 metre bend radius, 7 metre vertical clearance and 40 metre horizontal clearance between piers.
- (d) Class IV - Waterways with the following configuration of navigable channel:
- (i) *Rivers*: - Minimum of 2.0 metre depth, 50 metre bottom width, 800 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 50 metre horizontal clearance between piers, and
 - (ii) *Canals*: - Minimum 2.5 metre depth, 50 metre bottom width, 800 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 50 metre horizontal clearance between piers.
- (e) Class V - Waterways with the following configuration of navigable channel:
- (i) *Rivers*: - Minimum of 2.0 metre depth, 80 metre bottom width, 800 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 80 metre horizontal clearance between piers in case of rivers only.
- (f) Class VI - Waterways with the following configuration of navigable channel:
- (i) *Rivers*: - Minimum of 2.75 metre depth, 80 metre bottom width, 900 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 80 metre horizontal clearance between piers, and
 - (ii) *Canals*: - Minimum of 3.5 metre depth, 60 metre bottom width, 900 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 60 metre horizontal clearance between piers.
- (g) Class VII - Waterways with the following configuration of navigable channel:
- (i) *Rivers*: - Minimum of 2.75 metre and above depth, 100 metre and above bottom width, 900 metre bend radius, 10 metre vertical clearance and 100 metre horizontal clearance between piers in case of rivers only.
- (2) Vertical clearance for power cables or telephone lines or cables for any transmission purpose for all the classes of waterways mentioned at 3(1) shall be as follows:
- i) Low voltage transmission lines including telephone lines - 16.5 metres
 - ii) High voltage transmission lines, not exceeding 110 kilo volt - 19.0 metres
 - iii) High voltage transmission line, exceeding 110 kilovolt - 19.0 metres
+1 centimetres extra for each additional kilovolt
- (3) In case of underwater pipelines, power cables and other cables, norms to be followed shall be decided as per the site conditions and navigational requirement.

Provided that this classification shall be effective only if-

- (a) Minimum depth of channel should normally be available for about 330 days of the year.
- (b) Vertical clearance at cross structure over the waterway should be available at least in central 75% portion of each of the spans in entire width of the waterway.

Explanation for the purpose of this regulations,- Reference level for vertical clearance in different types of channel shall be-

- (i) for rivers, over Navigational High Flood Level (NHFL), which is the highest flood level at a frequency of 5% in any year over a period of last twenty years.
 - (ii) for tidal canals, over the highest high water level.
 - (iii) for other canals, over designed full supply level.
4. (1) Class I waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 100 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 32 metre overall length, 5 metre moulded breadth and 1.0 metre loaded draft) or one tug and two barges combination of 200 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 80 metre overall length, 5 metre moulded breadth and 1.0 metre loaded draft).
- (2) Class II waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 300 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 45 metre overall length, 8 metre moulded breadth and 1.2 metre loaded draft) or one tug and two barges combination of 600 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 110 metre overall length, 8 metre moulded breadth and 1.2 metre loaded draft).
- (3) Class III waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 500 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 58 metre overall length, 9 metre moulded breadth and 1.5 metre loaded draft) or one tug and two barges combination of 1000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 141 metre overall length, 9 metre moulded breadth and 1.5 metre loaded draft).
- (4) Class IV waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 1000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 70 metre overall length, 12 metre moulded breadth and 1.8 metre loaded draft) or one tug and two barges combination of 2000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 170 metre overall length, 12 metre moulded breadth and 1.8 metre loaded draft).
- (5) Class V waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 1000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 70 metre overall length, 12 metre moulded breadth and 1.8 metre loaded draft) or one tug and four barges combination of 4000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 170 metre overall length, 24 metre moulded breadth and 1.8 metre loaded draft).
- (6) Class VI waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 2000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 86 metre

overall length, 14 metre moulded breadth and 2.5 metre loaded draft) or one tug and two barges combination of 4000 tonne Dead Weight Tonnage (approximate size 210 metre overall length, 14 metre moulded breadth and 2.5 metre loaded draft).

- (7) Class VII waterway shall be used for plying self propelled vessel of carrying capacity upto 2000 tonne Dead Weight Tonnage and above (approximate size 86 metre overall length, 14 metre moulded breadth and 2.5 metre loaded draft or with higher dimensions) or one tug and four barges combination of 8000 tonne Dead Weight Tonnage and above (approximate size 210 metre overall length, 28 metre moulded breadth and 2.5 metre loaded draft or with higher dimensions).
5. All the new structures to be constructed across the national waterways classified under these regulations shall conform to the respective criteria of horizontal and vertical clearances of the appropriate class of waterway as provided.
6. Before construction of any structure across the national waterway, any person shall apply in the form annexed to these regulations to obtain clearance from the Authority.

(Pradeep Kumar)
Secretary

**FORM FOR GETTING CLEARANCE FOR STRUCTURES
FROM THE AUTHORITY**

(See Regulation 6)

- Location of the proposed structure :
- National Waterway :
- Notified Class :
- Type of structure :
- Horizontal clearance between piers :
- Number of navigational spans :
- Vertical clearance (above Navigational High Flood Level) :
- Distance from the nearest existing structure, if any, :
- If so, whether the alignment of piers in the same line or not? :
- Obliquity of the structure with respect to direction of flow :
- Period of construction :

(Necessary general engineering lay out drawing indicating the horizontal clearance, vertical clearance and location map to be submitted with this form)

DECLARATION

On behalf ofI do hereby undertake that the construction of the above mentioned structure will commence only after obtaining necessary clearance from the Authority and the construction will be carried out in conformity with the stipulated guidelines for the appropriate Class of waterway as per the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulation, 2006.

(Office seal) (signature with date)
For and on behalf of
Name and Designation of the officer

FOR THE USE OF AUTHORITY

Received an application dated.....from.....in respect of clearance for structure at.....in.....stretch of National Waterway 1/2/3.

Clearance : issued/ rejected

Dated :

[K & I

Hkjrh; varZkr; tyeKZi f/kdj.k vf/lfu; e] 1985

¼1985 dk vf/lfu; e l q; kd 82 ½

(30 दिसम्बर, 1985)

ikr ifjogu vls ulsifjogu dsiz k uldsfy, varZkr;
t yek dsfofu; eu vls fodk dsfy, rFlk ml l s
l af/kr ; k ml l svu fkd fo"k dsfy,
i f/kdj.k ds xBu dk mi cak
djus dsfy,
vf/lfu; e

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

v/; k & 1

i kj fkd

1- l fkr ule vls i kj k &

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2- ifjHk, a & इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अनुलग्न भूमि" से राष्ट्रीय जलमार्ग से अनुलग्न सभी भूमि अभिप्रेत है, चाहे वह सीमांकित हो या न हो ;
- (ख) "प्राधिकरण" से धारा 3 के अधीन गठित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
- (ग) "जलसरणी" से कोई जलमार्ग अभिप्रेत है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम ;
- (घ) "संरक्षण" के अंतर्गत जलसरणियों की झमाई, नियंत्रण, बंद करना, मोड़ना या परित्याग करना भी है ;
- (ङ) "संरक्षण उपाय" से संरक्षण के प्रयोजनों के लिए उपाय अभिप्रेत हैं किन्तु इनके अंतर्गत बाढ़ों से तटों की रक्षा के लिए या ऐसे तटों के जिनका मुख्यतया ऐसे कारणों से कटाव हो गया है जो पोत परिवहन और नौ परिवहन से संबंधित नहीं हैं, पुनःस्थापन के लिए उपाय नहीं आते हैं ;
- (च) "अवसंरचना" के अन्तर्गत ऐसी संरचनाएं हैं जैसे कि डॉक, घाट, जैटी, उतराई मंच, जलबंध, वोया, अंतर्देशीय पत्तन, स्थोरा उठाई धराई उपस्कर, सड़क और रेल प्रवेश मार्ग और स्थोरा भंडारण स्थान तथा "अवसंरचनात्मक सुविधाएं" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

- (छ) "सदस्य" से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;
- (ज) "राष्ट्रीय जलमार्ग" से ऐसा अंतर्देशीय जलमार्ग अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के इलाहाबाद-हलदिया खण्ड) अधिनियम, 1982 (1982 का 49) की धारा 2 द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है ;

Li "Vhdj. l& यदि संसद् विधि द्वारा किसी अन्य जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करती है तो उस तारीख से, जिसको ऐसी घोषणा प्रभावी होती है,—

- (i) ऐसा अन्य जलमार्ग भी इस खंड के अर्थान्तर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग समझा जाएगा ; और
- (ii) इस अधिनियम के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों सहित (जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का पूर्वोक्त तारीख के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वयन करने के लिए उपांतरण भी है) ऐसी राष्ट्रीय जलमार्ग को लागू होंगे।
- (झ) "नाव्य जलसरणी" से ऐसी जलसरणी अभिप्रेत है, जो पूर्ण वर्ष भर या उसके किसी भाग के दौरान नाव्य है ;
- (ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (ट) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ; और
- (ठ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ।

v/; k &2

Hkjrht vrnZkrt t yekZi f/kdj. k

3- **Hkjrht vrnZkrt t yekZi f/kdj. k dk xBu vls fuxeu &**

- (1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसका नाम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण होगा।
- (2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।
- (3) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-
- (क) अध्यक्ष ;
- (ख) उपाध्यक्ष ; और
- (ग) पांच से अनधिक इतने व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं।
- (4) प्राधिकरण ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, ऐसे किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयोजित कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह की वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का पालन करने में वांछा करे और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को प्राधिकरण के ऐसे विचार-विमर्श में भाग लेने का

अधिकार होगा जो उन प्रयोजनों से, जिनके लिए वह सहयुक्त किया गया है, सुसंगत है किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

4- l nL; k dh l ok dh 'kr& सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

ubZ/kjk
4d dk va%
LFki uA

l nL; ds: i
eafu; Dr ds
fy, fujgzk

4(क)* कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए निरहित होगा, यदि वह,—

- (क) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या
- (ख) अनुमोचित दिवालिया है ; या
- (ग) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ; या
- (घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कंपनी की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, या
- (ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिसके कारण सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

5- vè; {k vls mi k'; {k dh 'kDr; ka&

- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।
- (2) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं या प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

ubZ/kjk
5d dk va%
LFki uA

cBda

- 5(क)* (1) प्राधिकरण की बैठकें, ऐसे समय और स्थान पर होंगी और अपनी बैठकों में कारबार किए जाने के संबंध में, जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं।
- (2) अध्यक्ष या यदि वह किसी कारण से प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थिति होने में असमर्थ है तो, उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में, उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई अन्य सदस्य उस बैठक में पीठासीन होगा।
- (3) प्राधिकरण की किसी बैठक में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के

4.(क)* भा.अ.ज.प्रा. (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा अंतः स्थापित।

5.(क)* भा.अ.ज.प्रा. (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा अंतः स्थापित।

बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का और दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

6- **l nL; kdk gVk k t luk vkn &**

- (1) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण से ऐसे किसी सदस्य को हटा सकेगी जो उसकी राय में,—
 - (क) कार्य करने से इंकार करता है ;
 - (ख) कार्य करने में असमर्थ हो गया है ;
 - (ग) सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जिसके कारण उनका पद पर बना रहना लोक हित में हानिकारक है, या
 - (घ) सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अन्यथा अनुपयुक्त है।
- (2) केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को उसके विरुद्ध किसी जांच के लंबित रहने तक निलंबित कर सकेगी।
- (3) इस धारा के अधीन हटाए जाने का कोई आदेश तक तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को अपना स्पष्टीकरण केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया है और जब ऐसा आदेश पारित कर दिया जाता है तब, हटाए गए सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा।
- (4) ऐसा कोई सदस्य जिसे इस धारा के अधीन हटा दिया गया है, प्राधिकरण के अधीन सदस्य के रूप में या किसी अन्य हैसियत में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

7- **fjDr vkn l si k/kj.k dh dk; Zkg; kdk vfof/keL; u gkuk &** प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

- (क) प्राधिकरण में कोई रिक्त है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है ;
- (ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या
- (ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

8- **l fpo vLj vL; vf/kdjh &**

- (1) प्राधिकरण, सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।
- (2) प्राधिकरण के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

9- **l ylgdkj l fefr &**

- (1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण, समय-समय पर, ऐसी सलाहकार समितियों का गठन कर सकेगा जो उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(2) प्रत्येक सलाहकार समिति पोत परिवहन और नौ परिवहन तथा सहबद्ध पहलुओं से संबंधित उतने व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जितने प्राधिकरण ठीक समझे।

10- **i f/kdj.k dk dljckj ds fl) l k l i j dk Zdjuk &** इन अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण, जहां तक हो सकेगा, कारबार के सिद्धांतों पर कार्य करेगा।

v/; k & 3

l Ei fÜk vLj l fonk

11- **dñhz l jdkj dh vLr; l vLj nk; l k l i j dk i f/kdj.k dk vj.k k &**

- (1) उस दिन से ही, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—
- (क) उस दिन से ठीक पहले अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित तथा मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय द्वारा प्रशासित सभी संपत्ति और आस्तियां प्राधिकरण में निहित होंगी ;
- (ख) उस दिन से ठीक पहले अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें उस प्राधिकरण के द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी ;
- (ग) अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के प्रयोजनों के लिए या उनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा उस दिन तक उपगत और पूंजीगत व्यय के रूप में घोषित सभी अनावर्ती व्यय ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण के लिए उपबंधित की गई पूंजी समझी जाएंगी ;
- (घ) अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के संबंध में उस दिन से ठीक पहले, केन्द्रीय सरकार को देय सभी धनराशियां प्राधिकरण को देय समझी जाएंगी ;
- (ङ) अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय से संबंधित किसी विषय की बाबत सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, जो ऐसी तारीख से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किए जाने पर लंबित हैं, या जो इस प्रकार संस्थित की जा सकती थी, ऐसी तारीख को और उसके पश्चात् प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी ; और
- (च) अनन्यतः या मुख्यतः अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के ऐसे मामलों के लिए या उनके संबंध में जैसे इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों से सुसंगत है, उस दिन से ठीक पहले, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी पद को धारण करने वाला प्रत्येक कर्मचारी प्राधिकरण में प्रतिनियोजन पर समझा जाएगा किन्तु वह प्राधिकरण में अपने पद को उसी अवधि तक और पारिश्रमिक, छुट्टी, भविष्य निधि, निवृत्ति या अन्य सेवांत सुविधाओं की बाबत सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करेगा जिन पर वह ऐसे पद को प्राधिकरण का गठन न होने की दशा में धारण करता और जब तक केन्द्रीय सरकार अपनी

स्वप्रेरणा से या प्राधिकरण के निवेदन पर उस कर्मचारी को अपनी सेवा पर वापस नहीं बुला लेती है या जब तक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की सहमति से, उस कर्मचारी को अपनी नियमित सेवा में सम्यक् रूप से आमेलित नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तब तक वह ऐसा करता रहेगा :

परंतु ऐसे किसी कर्मचारी के प्राधिकरण में प्रतिनियोजन की अवधि के दौरान प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में, उसकी छुट्टी, वेतन, पेंशन और उपदान हेतु इतना अंशदान करेगा, जितना केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, अवधारित करे ;

परंतु यह और कि कोई ऐसा कर्मचारी प्राधिकरण द्वारा अपनी नियमित सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा जिसने उसे अपनी सेवा में आमेलित करने के प्राधिकरण के प्रस्ताव की बाबत अपना यह आशय कि वह प्राधिकरण का नियमित कर्मचारी नहीं होना चाहता, उतने समय के भीतर जितना प्राधिकरण इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सूचित कर दिया हो।

- (2) यदि कोई ऐसा विवाद या ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि इस अधीन केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों, अधिकारों या दायित्वों में से कौन से प्राधिकरण को अंतरित कर दिए गए हैं या केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाले कर्मचारियों में से कौन से प्राधिकरण में प्रतिनियोजन पर माने जाने हैं तो ऐसे विवाद या ऐसी शंका का विनिश्चय प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
- (3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण द्वारा इस धारा के अधीन अपनी नियमित सेवा में किसी कर्मचारी को आमेलित किया जाना ऐसे कर्मचारी को उस अधिनियम या अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

12- **11/12.1.13** धारा 13 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और उसका पालन करने के लिए समक्ष होगा।

13- **11/12.1.13** प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा या उसके ऐसे अन्य सदस्य या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे प्राधिकरण इस निमित्त साधारणतया या विशिष्टतया सशक्त करे और ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्राधिकरण के सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जाएंगी :

- (1) प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक संविदा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा या उसके ऐसे अन्य सदस्य या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे प्राधिकरण इस निमित्त साधारणतया या विशिष्टतया सशक्त करे और ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्राधिकरण के सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जाएंगी :

परंतु उतने मूल्य या रकम से, जितनी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा नियत करे, अधिक की कोई संविदा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्राधिकरण द्वारा उसका पूर्व अनुमोदन न कर दिया गया हो :

परन्तु यह और कि स्थावर संपत्ति के अर्जन या विक्रय के लिए या ऐसी किसी संपत्ति के तीस वर्ष से अधिक के पट्टे के लिए कोई संविदा तथा इतने मूल्य या रकम से जितनी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे, अधिक

की कोई अन्य संविदा तब तक नहीं की जाएगी जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा उसका पूर्व अनुमोदन न कर दिया गया हो।

- (2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह प्ररूप और रीति जिससे इस अधिनियम के अधीन कोई संविदा की जाएगी ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।
- (3) कोई भी संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधों तथा विनियमों के अनुसार नहीं है, प्राधिकरण पर आबद्धकर नहीं होगी।

v/; k &4
i k/kdj. k ds NR, vls 'kDr; ka

14- i k/kdj. k ds NR &

(1) प्राधिकरण—

- (क) पोत परिवहन और नौ परिवहन के लिए, राष्ट्रीय जलमार्ग और अनुलग्न भूमि के विकास, अनुरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कर सकेगा और इस निमित्त स्कीमें तैयार कर सकेगा ;
- (ख) राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा या उनका गठन करने की अनुज्ञा दे सकेगा ;
- (ग) संरक्षण उपाय और नियंत्रण संकर्म कार्यान्वित कर सकेगा तथा ऐसे सभी अन्य कार्य कर सकेगा, जो पोत परिवहन और नौ परिवहन की सुरक्षा और सुविधा के लिए तथा राष्ट्रीय जलमार्ग के सुधार के लिए आवश्यक हों ;
- (घ) राष्ट्रीय जलमार्ग के तल और अनुलग्न भूमि में कूड़ा करकट फेंकने, सामग्रियों के संनिक्षेपण या वहां से उनको हटाने जैसे क्रियाकलापों का, जहां तक वे सुरक्षित और दक्ष पोत परिवहन और नौ परिवहन, नाव्य जल सरणियों के अनुरक्षण, नियंत्रण और संरक्षण उपायों को प्रभावित कर सकते हों, नियंत्रण कर सकेगा ;
- (ङ) राष्ट्रीय जलमार्ग और अनुलग्न भूमि में से ऐसी किसी बाधा या अड़चन को, जो सुरक्षित नौ परिवहन में अड़चन डाल सकती हो या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की या संरक्षण उपायों की सुरक्षा को संकटापन्न कर सकती हो, उस दशा में जहां ऐसी बाधा या अड़चन विधिपूर्वक की गई हो या ऐसी बाधा या अड़चन दीर्घकाल तक बने रहने के कारण या अन्यथा विधिपूर्ण हो गई हो, उस व्यक्ति को जिसको ऐसी बाधा के हटाने या परिवर्तन द्वारा नुकसान हो प्रतिकर देने के पश्चात्, हटा सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा ;
- (च) राष्ट्रीय जलमार्ग पर नौ परिवहन और यातायात के (जिसके अन्तर्गत पथ नियम भी हैं) विनियमन का उपबंध कर सकेगा ;
- (छ) राष्ट्रीय जलमार्ग पर, उसके आरपार या उसके नीचे संरचनाओं के सन्निर्माण या परिवर्तन का विनियमन कर सकेगा ;
- (ज) राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में नौ परिवहन संबंधी, मौसम विज्ञान संबंधी सूचनाओं का प्रसार का सकेगा।
- (झ) राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जल परिवहन का परिवहन के अन्य प्रकारों से समन्वय सुनिश्चित कर सकेगा ; और

- (अ) राष्ट्रीय जलमार्ग पर यान मार्गदर्शन की व्यवस्था कर सकेगा और उसे बनाए रख सकेगा।
- (ट)* साधारण शेयर की सहभागिता के रूप में अंतर्देशीय पोत परिवहन से संबंधित सह-उद्यमों में सम्मिलित हो सकेगा।
- (2) प्राधिकरण निम्नलिखित भी कर सकेगा—
- (क) केन्द्रीय सरकार को अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित विषयों पर सलाह देना ;
- (ख) अंतर्देशीय जल परिवहन का परिवहन के अन्य प्रकारों के साथ समन्वय करने की दृष्टि से परिवहन की अपेक्षाओं का अध्ययन करना ;
- (ग) जलराशिक सर्वेक्षण और नदी चार्टों का प्रकाशन करना ;
- (घ) अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए स्कीम बनाने में और उसके कार्यान्वयन में किसी राज्य सरकार की, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परस्पर तय पाई जाएं, सहायता करना ;
- (ङ) पोत परिवहन और नौ परिवहन के लिए जलमार्गों की योजना और उसके विकास के या वहां किसी सुविधा के संबंध में भारत में और विदेशों में परामर्शी सेवाओं का विकास करना और ऐसी सेवाएं ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परस्पर तय पाई जाएं, प्रदान करना ;
- (च) अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित विषयों में, जिनके अंतर्गत यान की डिजाइन, देशी नावों का यंत्रीकरण, अनुकर्षण के तकनीक, उतरने की और टर्मिनल सुविधाएं, पत्तन संस्थापन और सर्वेक्षण तकनीकें हैं, अनुसंधान का संचालन करना ;
- (छ) अंतर्देशीय जलमार्ग के वर्गीकरण के लिए मानक अधिकथित करना ;
- (ज) देश के भीतर और बाहर अंतर्देशीय जल परिवहन कार्मिकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यक्रम की व्यवस्था करना ; और
- (झ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।
- (3) उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिकर से उद्भूत या संबंधित कोई विवाद लोक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि के मामले में वैसे ही विवादों से संबंधित, विधि के अनुसार अवधारित किया जाएगा।
- (4) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कृत्यों को करने के लिए प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रत्येक स्कीम, जिसमें उस रकम से, जो विहित की जाए, अधिक पूंजीगत व्यय अन्तर्वर्लित हो, अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत को प्रस्तुत की जाएगी।
- (5) केन्द्रीय सरकार उपधारा (4) के अधीन उसको प्रस्तुत की गई स्कीम का या तो उपांतरणों के बिना या ऐसे उपांतरणों सहित जो वह आवश्यक समझे अनुमोदन संबंधी, या स्कीम को प्राधिकरण को ऐसे निर्देशों के साथ नामंजूर कर सकेगी कि वह ऐसे निर्देशों के अनुसार एक नई स्कीम तैयार करे।

ट.* भा.अ.ज.प्रा. (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा अंतः स्थापित।

15- **Ldhekdck l akku &** प्राधिकरण धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित स्कीम को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, कोई तात्विक तब्दीली नहीं करेगा।

Li "Vhdj. k& इस धारा के प्रयोजनों के लिए "तात्विक तब्दीली" से स्कीम की लागत में, उसकी लागत से बीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि या फायदे और लागत अनुपात में ऐसी तब्दीली अभिप्रेत है जिससे लागत घटक अनुपात में फायदा अधिक हो जाता है या फायदा घटक बीस प्रतिशत कम हो जाता है।

16-^{*} ; **k=h HMs vls eky HMs dsfy, vf/kdre vls U wre njkdksfu; r djusdh 'kDr &** लोप

v/; k &5

foUk ys[kk vls ys[kk jhkk

17- **Qh l vls i Hkjdck mxg.k vls l xg.k &**

(1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, फीसों और प्रभार ऐसी दरों पर उद्गृहीत कर सकेगा, जो पोत परिवहन, नौ परिवहन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के, जिनके अंतर्गत यात्रियों के लिए सुविधाएं और जलयानों को घाट पर लगाने स्थोरा को उठाई-धराई और स्थोरा के संग्रहण से संबंधित सुविधाएं हैं, प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग के उपयोग के संबंध में की गई सेवाओं और दी गई सुविधाओं के लिए इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत फीसों और प्रभार ऐसी रीति से संगृहीत किए जाएंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

18- **dtzh l jdkj }kj vuoku vls m/kj &** केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को ऐसी धनराशि का अनुदान और उधार दे सकेगी जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

iH/kdj.k dh mekj yus dh 'kDr; ka 18(क)* प्राधिकरण, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए बंधपत्र, डिबेंचर या अन्य लिखित, जैसा वह ठीक समझे, निर्गमन करके, किसी स्रोत से धन उधार ले सकेगा।

19- **fuf/k dk xBu &**

(1) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें –

(क) धारा 18 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिए गए अनुदान और उधार ;

16.* दिनांक 14.7.92 को लोक सभा में पेश किए गए विधेयक सं. 1992 का 100 द्वारा लोप कर दिया गया। भारत का राजपत्र असाधारण भाग-2 खंड-2 सं.-39

18.(क)* भा.अ.ज.प्रा. (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा अंतः स्थापित।

- (ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को प्राप्त हुई सभी फीसों और प्रभार ; और
- (ग) ऐसे अन्य स्रोतों से जो केन्द्रीय सरकार विनिश्चित करे, प्राधिकरण को प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जाएंगी।
- (2) निधि का उपयोजन निम्नलिखित के लिए किया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक ;
- (ख) धारा 14 के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण के व्यय ; और
- (ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्यय।
- 20- **ct V &** प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा जिसमें प्राधिकरण का प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शि किए जाएंगे और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।
- 21- **fuf/k k dk fofu/ku &** प्राधिकरण अपनी निधियों का (जिनके अंतर्गत आरक्षित निधि भी है) विनिधान केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में या ऐसी अन्य रीति से, जो विहित को जाए, कर सकेगा।
- 22- **ok'kzi fj i k/Z&** प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिस में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।
- 23- **ys'kk v's y's'kijh'kk &** प्राधिकरण के लेखा ऐसी रीति से रखे और लेखा परीक्षित किए जाएंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित की जाए और प्राधिकरण ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए अपने लेखाओं की लेखा परीक्षित प्रति उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।
- 24- **ok'kzi fj i k/Zv's y's'kijh'kd dh fj i k/Zdk l a n-dsl e'kj [kk t luk &** केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को, उनकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

v/; k &6
i z h k

- 25- **d'sh'z l j d'k dh fun's k nsus dh 'kDr &**
- (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे :
- परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व प्राधिकरण को अपने विचार व्यक्त करने का यावत्साध्य दिया जाएगा।
- (2) केन्द्रीय सरकार का यह विनिश्चय कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं अंतिम होगा।
- 26- **i k/kdj. k dsfy, H'e dk vfuok Zvt Z &** प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित कोई भूमि लोक प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझी जाएगी और ऐसी भूमि का प्राधिकरण के लिए अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्समान विधि के उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा।

27- **dfn fof/k lck ykxwgluk vkn &**

- (1) इस अधिनियम के उपबंध भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और विशिष्टतया इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी अधिकारिता, कृत्यों, शक्तियों और कर्तव्यों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका प्रयोग, निर्वहन या पालन—
- (क) किसी पत्तन संरक्षक द्वारा या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, अथवा
- (ख) किसी महापत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा या महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग (जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग है) के किसी ऐसे प्रभाग में या उसके संबंध में, जो ऐसे पत्तन या महापत्तन की परिसीमाओं के भीतर आता है, किया जाना अपेक्षित है।
- (2) इस अधिनियम की किसी बात का राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौ परिवहन के संबंध में अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) या इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) से भिन्न किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य या प्रांतीय अधिनियम के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। *धारा 27(2) के शेष खंड दिनांक 14.7.92 को लोक सभा में पेश किए गए विधेयक सं. 1992 का 100 द्वारा लोप कर दिया गया। भारत का राजपत्र असाधारण भाग—2 खंड—2 सं. 39।

28- **izsk djus dh 'kDr &** इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत कोई व्यक्ति जब भी इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तब सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और—

- (क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन जांच कर सकेगा ;
- (ख) तल मापन कर सकेगा ;
- (ग) अवमृदा की खुदाई या वेधन कर सकेगा ;
- (घ) सीमाओं और कार्य की आशयित रेखाओं को उपवर्णित कर सकेगा ;
- (ङ) चिह्न लगाकर और खाइयां काट कर ऐसी तल सीमाओं और रेखाओं को चिह्नित कर सकेगा ; या
- (च) ऐसे अन्य कार्य या बातें कर सकेगा, जो विहित की जाएं :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन में या किसी निवास—गृह से संलग्न किसी परिवृत आंगन या उद्यान में प्रवेश (जब तक कि वह प्रवेश उसके अधिभोगी की सम्पत्ति से न हो) ऐसे अधिभोगी को पहले, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौबीस घंटों की लिखित सूचना देकर ही करेगा।

29- **izsk kktu &** प्राधिकरण लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के यदि कोई हों,

* लोप

अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 36 के अधीन शक्तियों को छोड़कर) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

30- **i k/kdj.k ds vks kkvf vU; fy[krkdv vf/kizk ku &** प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्राणित किए जाएंगे और प्राधिकरण द्वारा निष्पादित सभी अन्य लिखतें, इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्राणित की जाएंगी।

31- **i k/kdj.k ds l nL; k vf/kdfj; k vif dezkj; k dk ykd l od gkuk &** प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारी, और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं, उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

32- **l n koi vZl dh xBZdkj ZkZds fy, l j{k k &**

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम या नियमों अथवा विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं होगी और विशेषतया प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व नहीं होगा कि वह ऐसे अनुतोष उपायों के लिए उपबंध करे जो बाढ़ या संक्रमों के टूट जाने और पूरा न होने के कारण आवश्यक हो गए हैं।

33- **dkhZ l jdkj dh i k/kdj.k dks vfrf"Br djus dh 'kDr &**

(1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि—

(क) गंभीर आपात के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं ; या

(ख) प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या किसी राष्ट्रीय जलमार्ग प्रशासन को हानि हुई है ; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिक से अधिक छह मास की इतनी अवधि के लिए जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी :

परन्तु खण्ड (ख) में वर्णित कारणों से इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण को यह कारण दर्शित करने के लिए उचित अवसर देगी कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए और प्राधिकरण के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर ;
- (क) सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से, उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;
- (ख) उन सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका प्रयोग या निर्वहन इस अधिनियम से उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है, प्रयोग और निर्वहन, तब तक जब तक उप धारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार निदेश दे ;
- (ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्ति तब तक जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित काल की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार—
- (क) अतिष्ठित काल को अधिक से अधिक छह मास तक की इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जितनी आवश्यक समझे ; या
- (ख) नई नियुक्ति द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में वे व्यक्ति जिन्होंने उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए हैं, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे :
- परन्तु केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन मूलतः विनिर्दिष्ट अथवा इस उपधारा के अधीन बढ़ाई गई अतिष्ठित काल की समाप्ति के पूर्व किसी समय, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।
- (4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की तथा उन परिस्थितियों की जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

34- fu; e culusdh 'kDr &

- (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
- (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—
- (क) धारा 4 के अधीन प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ;
- (ख) धारा 5 के अधीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य ;
- (ग) धारा 9 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सलाहकार समिति से संबंधित विषय ;

- (घ) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन विहित किए जाने के लिए अपेक्षित रकम ;
- (ङ) वह रीति जिसमें और वह समय जब, प्राधिकरण धारा 20 के अधीन अपना बजट और धारा 22 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ;
- (च) वह रीति जिसमें प्राधिकरण धारा 21 के अधीन अपनी निधियों का विनिधान कर सकेगा ;
- (छ) वह रीति जिसमें प्राधिकरण के लेखा धारा 23 के अधीन रखे और लेखापरीक्षित किए जाएंगे ;
- (ज) धारा 28 के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग के संबंध में शर्तें और निबंधन और उस धारा के खंड (च) में विनिर्दिष्ट विषय ;
- (झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जा सकता है।

35- fofu; e cukus dh 'kDr &

- (1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और नियमों से संगति विनियम साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए बना सकेगा।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—
 - (क) वह रीति जिसमें और वे प्रयोजन जिनके लिए प्राधिकरण धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा ;
 - (ख) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;
 - (ग) ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं जो प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जानी है और वह रीति और प्ररूप जिसमें प्राधिकरण द्वारा संविदा की जा सकेगी ;
 - (घ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में कोई कृत्य किए जा सकेंगे ;
 - (ङ) राष्ट्रीय जलमार्ग पर पथ के नियम ;
 - (च) अवसंरचनाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सुरक्षित, दक्षतापूर्ण और सुविधाजनक उपयोग, प्रबंध और नियंत्रण ;
 - (छ) राष्ट्रीय जलमार्ग पर लाए गए माल का ग्रहण, ढलाई, भंडारकरण और हटाया जाना और ऐसे माल को, जिसको उतारने से पूर्व नुकसान हुआ हो या जिसके बारे में इस प्रकार नुकसान होने का अभिकथन किया गया हो, भारसाधन में लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
 - (ज) ऐसे डॉकों, घाटों, जेट्टियों और उतराई मंचों को जिन पर माल जलयानों से उतारा जाएगा और जलयानों के फलक पर लादा जाएगा, विनियमित करना, घोषित करना और परिभाषित करना।

- (झ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन राष्ट्रीय जलमार्ग पर, जलयानों पर माल लादा और उनसे उतारा जाएगा, विनियमित करना ; और
- (ञ) उपद्रवियों या अन्य अवांछनीय व्यक्तियों तथा अतिचारियों को राष्ट्रीय जलमार्ग से हटाना।
- (ट)* बंधपत्रों, डिबेंचरों या अन्य लिखतों को जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें ;
- (ठ)* अपनी बैठकों में कारबार करने के संबंध में समय, स्थान और प्रक्रिया के नियम, जिनके अंतर्गत धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उसकी गणपूर्ति भी है।
- (3) उपधारा (2) के खंड (ग) से खंड (ञ) तक के अधीन बनाए गए किसी विनियम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन जमीन से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन चालू रहता है वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, बीस रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

36- fu; eknvk fofu; eknck l d n-dsl e{kj [kk t kuk & इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

37- dfBukb; kncksnj djus dh 'kDr &

- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

ट.* भा.अ.ज.प्रा. (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा अंतः स्थापित।

ठ.* भा.अ.ज.प्रा. (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा अंतः स्थापित।

38- 1982 ds vf/kfu; e 49 dk l akku & राष्ऱीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी इलाहाबाद-हलदिया खणुड) अधिनियम, 1982 में,-

(क) धारा 3 में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "संघ" शब्द रखे जाएंगे और "इसमें उपबंधित विस्तार तक" शब्दों के स्थान पर "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में उपबंधित विस्तार तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 4 से लेकर धारा 15 तक का लोप किया जाएगा ।

● आर. वी. एस. पेरि शास्त्री
सचिव, भारत सरकार

[KM & II

पोत परिवहन मंत्रालय

(भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण)

vf/kl puk

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2004

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, राष्ट्रीय जलमार्ग पर टक्कर निवारण के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1- l {kr ule vls i jk &

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जलमार्ग पर टक्कर निवारण विनियम, 2002 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2- foLrkj vls ykxwglk &

- (1) ये विनियम राष्ट्रीय जलमार्गों पर सभी जलयानों को लागू होंगे।
- (2) सभी जलयान, जो राष्ट्रीय जलमार्गों में चलाए जा रहे हैं, सामान्य नाविक पद्धति और जलयान की सीमाओं द्वारा अपेक्षित पूर्वावधानियों को ध्यान में रखते हुए इन विनियमों का पालन करेंगे।

v/; k &1

i fj Hk'kk a

3. इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) अभिप्रेत है
- (ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
- (ग) "सक्षम अधिकारी" से प्राधिकरण द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो विकास, प्रबंध और अनुरक्षण के लिए किसी राष्ट्रीय जलमार्ग के किसी सेक्शन का भारसाधक हो ;
- (घ) "जलयान की लम्बाई और चौड़ाई" से किसी जलयान की अधिकतम लम्बाई और चौड़ाई अभिप्रेत है
- (ङ.) "यंत्र नोदित जलयान" से विद्युत, भाप या अन्य यांत्रिक विद्युत शक्ति द्वारा पूर्णतः या भागतः नोदित प्रत्येक वर्णन का जलयान अभिप्रेत है ;
- (च) "चलत जलयान" से नौकायन के अधीन कोई ऐसा जलयान अभिप्रेत है परन्तु जिसमें ऐसी मशीनरी लगी है, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

- (छ) “चालू मार्गाधीन जलयान” से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो लंगर में नहीं है या जिसे तट पर बांधा या भूयस्त नहीं किया गया है ;
- (ज) “मछली पकड़ने में लगा जलयान” से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो जालों, लाइनों, ट्रालों या अन्य मछली पकड़ने के साधनों से, कौशल को निर्बन्धित करता है, मछली पकड़ते हैं ;
- (झ) “जलयान जो कमांड के अधीन नहीं है” से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो कुछ आपवादिक परिस्थितियों में इन नियमों की अपेक्षानुसार कौशल दिखाने में असमर्थ है और इसलिए वह किसी अन्य जलयान को मार्ग से बाहर रखने में असमर्थ है ;
- (ञ) “ऐसा जलयान जो अपने कौशल दिखाने में निर्बन्धित है” से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो अपने कार्य की प्रकृति से इन नियमों की अपेक्षानुसार कौशल दिखाने में अपनी योग्यता से निर्बन्धित है और इसलिए, वह किसी अन्य जलयान को मार्ग से बाहर रखने में असमर्थ है। निम्नलिखित जलयान अपना कौशल दिखाने में योग्यता से निर्बन्धित जलयान के रूप में समझे जाएंगे ;
- (i) ऐसा जलयान जो नौवहन चिन्ह, समुद्री केबल या पाइपलाइन बिछाने, उसकी सर्विस करने या उसे उठाने में लगा है,
- (ii) ऐसा जलयान जो ड्रैजिंग, सर्वेक्षण या अंतर्जलयीय संक्रियाओं में लगा है,
- (iii) ऐसा जलयान जो ऐसी कर्षण संक्रिया में लगा है, उसे अपने पथ से विचलित नहीं होने देता है,
- (ट) “जलयान” को केवल तभी “एक दूसरे जलयान के दृष्टिगत” समझा जाएगा जब जलयान दूसरे से दृश्यमान रूप से संप्रेक्षित किया जा सकता है ;
- (ठ) “जलयान” से जलयान का ऐसा प्रत्येक वर्णन अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत लघु यान, चप्पू या पाल के अधीन जलयान, प्लवन उपस्कर और अविस्थापन क्राफ्ट भी है ;
- (ड.) “निर्बन्धित दृश्यता” से कोई ऐसी दशा जिसमें दृश्यता, कोहरे, धुंध, भारी वर्षा, तूफान या किसी अन्य वैसे ही कारणों से निर्बन्धित है, अभिप्रेत है :
- (ढ) “नियम” से सड़क के नियम अभिप्रेत हैं,
- (ण) उन शब्दों के, जिनका प्रयोग किया गया है किंतु परिभाषित नहीं है, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में हैं।

v/; k & 2

vfhpkyu vks pkyu fu; e

Hkx & I

दृश्यता की किसी दशा में जलयानों का संचालन

- 4 लागू होना – इस भाग के विनियम दृश्यता की किसी दशा में लागू होंगे।
5. अवेक्षक – प्रत्येक जलयान हर समय विद्यमान परिस्थितियों और दशाओं में दृश्य और श्रव्य द्वारा तथा सभी उपलब्ध समुचित साधनों द्वारा एक सूचित अवेक्षक रखेगा जिससे कि स्थिति और टक्कर के जोखिम का पूर्ण मूल्यांकन किया जा सके। जलसरणी चिन्हांकन के लिए उपयोग किये गये प्रदीप्त बिंदु का पता लगाने के लिए जलयानों में सर्चलाइटों का उपयोग करेगा।

6. **1 g f { k r x f r &** (1) प्रत्येक जलयान हर समय सुरक्षित गति से अग्रसर होगा जिससे कि वह टक्कर और डूबने से बचने के लिए समुचित और प्रभावी कार्रवाई कर सके और विद्यमान परिस्थितियों और दशाओं में समुचित दूरी के भीतर रोका जा सके।
- (2) सुरक्षित गति अवधारित करने में, निम्नलिखित कारक उन कारणों में से होंगे जिन पर विचार किया जाएगा –
- (क) सभी जलयानों द्वारा
- (i) दृश्यता की स्थिति,
- (ii) यातायात घनत्व जिसके अंतर्गत मत्स्य जलयान या अन्य जलयानों का संकेद्रण भी है,
- (iii) विद्यमान दशाओं में रोकने की दूरी और मुड़ने की क्षमता के प्रति विशेष निर्देश से जलयान की युक्तिचालकता,
- (iv) नदी, वायु, तरंग और नौपरिवहन परिसंकटों की संभाव्य स्थिति,
- (v) दिन और रात नौपरिवहन सहायता और जलसरणी चिन्हांकन की स्थिति तथा उपलब्धता
- (vi) जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित गति निर्बन्धन,
- (vii) उपलब्ध जल की गहराई के सापेक्ष जलयान का डुबाव,
- (viii) रातों में पृष्ठाधार बत्ती की उपस्थिति जैसे तट बत्ती से या अपनी ही बत्तियों के पृष्ठ भाग से छितराना,
- (ख) अतिरिक्त रूप से, सक्रियात्मक राडार सहित जलयान द्वारा
- (i) विशेषताएं, राडार उपस्कर की दक्षता,
- (ii) राडार द्वारा पता लगाए गए जलयानों की संख्या अवस्थिति और संचलन, और
- (iii) दृश्यता का अधिक सही निर्धारण जो तब संभव हो सकेगा जब समीप में राडार का उपयोग जलयानों या वस्तुओं की रेंज अवधारण के लिए किया जाता है।
7. **VDdj dk t k [k e &** (क) यदि टक्कर का जोखिम विद्यमान है तो उसका अवधारण करने के लिए प्रत्येक जलयान विद्यमान परिस्थितियों और दशाओं के समुचित सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा। और यदि कोई संदेह है तो ऐसा जोखिम विद्यमान समझा जाएगा।
- (ख) यदि टक्कर का जोखिम विद्यमान है तो उसका अवधारण करने में निम्नलिखित बातें उन बातों में होंगी जिनको ध्यान में रखा जाएगा –
- (i) ऐसे जोखिम को तब विद्यमान समझा जाएगा जब किसी पहुँचने वाले जलयान पर लगे कम्पास पर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है तथा अपने जलयान से स्पष्ट दूरी घटती है,
- (ii) ऐसे जोखिम कभी-कभी तब भी विद्यमान होते हैं जब सुबोध परिवर्तन स्पष्ट हो, विशिष्टतया तब जब विशाल जलयान आ रहा हो या किसी का पीछा कर रहा हो या जब आने वाला जलयान सन्निकट रेंज में किसी जलयान का पीछा कर रहा हो, और

(iii) ऐसे जलयान जिसमें कम्पास फिट नहीं किया गया है, यदि सापेक्ष स्थिति अपरिवर्तित रहती है।

8. **VDDj l s cpus ds fy, dljZkbZ&** (क) टक्कर से बचने के लिए कोई कार्रवाई यदि स्वीकार किए गए मामले की परिस्थितियाँ सकारात्मक हैं, पर्याप्त समय में और अच्छी नाविकता के संप्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए, उचित समय में कार्रवाई करेगा।

(ख) टक्कर से बचने के लिए किसी किनारे या गति में परिवर्तन तब किया जाएगा यदि मामले की परिस्थितियाँ सुकर रूप से दृश्यमान अन्य जलयान की उपलब्धता को स्वीकार करती हैं। किनारे के लघु परिवर्तनों और/या गति परिवर्तनों से बचना चाहिए।

(ग) यदि पर्याप्त स्थान है तो पथ परिवर्तन ही किसी सन्निकट क्वार्टर स्थिति से बचने के लिए अति प्रभावी कार्रवाई होगी, परन्तु यह तब जब कि यह उचित समय में की गई हो, सारवान है और इसका परिणाम कोई अन्य सन्निकट क्वार्टर नहीं होता है,

(घ) किसी अन्य जलयान के साथ टक्कर से बचने के लिए की गई कार्रवाई ऐसी कार्रवाई होगी जिसका परिणाम सुरक्षित दूरी पर से गुजरना होगा, कार्रवाई की प्रभाविकता की तब तक सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए जब तक कि अन्य जलयान अन्तिम रूप से गुजर न गया हो या निकल न गया हो

(ङ.) टक्कर से बचने के लिए यदि आवश्यक हो या स्थिति का अनुमान लगाने के लिए अधिक समय अनुज्ञात किया गया हो, तो जलयान अपनी गति कम कर देगा या अपने नौदन के साधनों को रोककर या बदलकर मार्ग पकड़ेगा।

(9) **l alh kZt yl jf. k ka&** (क) संकीर्ण जल सरणी के पथ के साथ साथ अग्रसर होने वाला कोई जलयान जलसरणी के बाह्य सीमा के इतना निकट रहेगा कि जो उसके दक्षिणी पाख पर इस प्रकार हो कि वह सुरक्षित और व्यवहार्य माना जाए। 10 मीटर से कम लम्बाई का कोई जलयान या कोई चलत जलयान किसी ऐसे जलयान के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेगा जिसका चिन्हित जलसरणी के भीतर ही सुरक्षापूर्वक परिवहन किया जा सके।

(ख) मछली पकड़ने में लगा जलयान नाव्य जलसरणी में किसी अन्य जलयान के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा।

(ग) कोई जलयान किसी नाव्य जलसरणी को पार नहीं करेगा। यदि ऐसे पार किए जाने से नाव्य जलसरणी के साथ साथ ऊपरी प्रवाह या अनुप्रवाह में अग्रसर होने वाले जलयान के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है।

(घ) संकीर्ण जलसरणी में केवल तभी ओवरटेक किया जा सकेगा यदि ओवरटेक किए जाने वाले जलयान को सुरक्षित गुजरने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जानी हो, ओवरटेक करने के लिए आशयित जलयान विनियम 34 (ख) में विहित समुचित संकेतों की ध्वनि बजाकर अपने आशय को उपदर्शित करेगा। ओवरटेक किया जाने वाला जलयान यदि करार में है तो विनियम 34 (ख) में विहित समुचित संकेतों की ध्वनि बजाएगा और सुरक्षित गुजरने की अनुज्ञा प्राप्त करेगा। यदि संदेह है तो वह विनियम 34 (ग) में विहित संकेत ध्वनि बजाएगा। यह विनियम ओवरटेक करने वाले जलयान को विनियम 13 के अधीन उसकी बाध्यता से निर्मुक्त नहीं करता है।

- (ड.) यदि कोई जलयान किसी बैंड के या संकीर्ण जलसरणी के किसी क्षेत्र के निकट है, जहां अन्य जलयानों को मध्यवर्ती बाधाओं द्वारा बाधित किया जाता है, वह विशिष्ट चेतावनी और सावधानी पूर्वक नौपरिवहन करेगा और विनियम 34 (घ) में विहित समुचित संकेत ध्वनि बजाएगा ; और
- (च) प्रत्येक जलयान, यदि मामले की परिस्थितियाँ अनुज्ञात करती है संकीर्ण जलसरणी में लंगर लगाने से बचेगा।
10. **, dy yu ; krk kr &** जब एकल लेन यातायात प्रवृत्त हो तब जलयान लेन में केवल तभी प्रवेश करेंगे जब यातायात संकेत ऐसा करने के लिए अनुज्ञात करें। लेन में रहते समय जलयान अधिकतम अनुज्ञेय गति के साथ अग्रसरित होगा और यथासंभव शीघ्र जलसरणी को रिक्त करेगा। जलयान यातायात लेन में न तो रूकेंगे और न लंगर लगाएं और लंगर पर प्रतीक्षारत जलयानों के साथ टक्कर से बचने के लिए एकल लेन में प्रवेश करने या उसे छोड़ते समय सावधानी बरतेंगे।

Hkx & II

जलयानों का एक दूसरे के दिखाई देने पर संचालन –

11. **ylxwgluk &** इस भाग के विनियम ऐसे जलयानों को लागू होंगे जो एक दूसरे को दिखाई देते हैं।
12. **pyr ty; ku &** (क) जहां दो चलत जलयान एक दूसरे की ओर इस प्रकार आ रहे हों जिसमें टक्कर की जोखिम अन्तर्वलित हो वहां इनमें से एक दूसरे के मार्ग से निम्नानुसार बाहर रहेगा –
- (i) गैर ज्वारीय नदी में जब एक जलयान ऊपरि प्रवाह की ओर अग्रसरित हो रहा है और अन्य जलयान अनुप्रवाह की ओर अग्रसर हो रहा है तो ऊपरि प्रवाह की ओर अग्रसरित होने वाला जलयान अन्य के लिए मार्ग छोड़ देगा।
 - (ii) जब दोनों ही ऊपरि प्रवाह या अनुप्रवाह की ओर अग्रसरित हो रहे हों और ज्वारीय लगून में हों, तो वह जलयान जो पवनाभिमुख है, वह उस जलयान के लिए मार्ग छोड़ देगा जो अनुवात में है।
 - (iii) वह जलयान जो मुक्त चल रहा है, वह उस जलयान के लिए मार्ग छोड़ देगा जो क्लोज हाल्ड में है,
 - (iv) ऐसा जलयान जो पत्तन टैंक पर क्लोज हाल्ड में है वह ऐसे जलयान के लिए मार्ग छोड़ेगा जो दक्षिणी पाख पर क्लोज हाल्ड में है,
- (ख) इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'ऊपरी प्रवाह' धारा के विरुद्ध दिशा और अनुप्रवाह धारा की दिशा समझी जाएगी। "पवनाभिमुख" पक्ष से वह पक्ष समझा जाएगा जो उसके विरुद्ध है जिस पर मुख्य सेल या दीर्घतम फोर और आपट सेल किया जाता है।
13. **vloj Vcl djuk &** (क) इस भाग के विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य जलयान को ओवरटेक करने वाला जलयान ओवरटेक किए जा रहे जलयान को मार्ग से बाहर रखेगा,

- (ख) ऐसे जलयान को ओवरटेक किए जाने वाला जलयान समझा जाएगा जब वह किसी दिशा से अन्य जलयान के साथ अपने बीम के पीछे 22.5 डिग्री से अधिक आ रहा हो अर्थात् ऐसी स्थिति में जिसके प्रति निर्देश से ऐसा जलयान से जिसे वह ओवरटेक कर रहा है, रात में ही वह केवल जलयान की स्टर्न बत्ती और टोइंग बत्ती को देखने में समर्थ होगा न कि उसकी साइड बत्तियों को।
- (ग) दो जलयानों के बीच होने वाले पश्चातवर्ती कोई परिवर्तन किसी ओवरटेक करने वाले जलयान को इन नियमों के अर्थान्तर्गत कोई पारगमन जलयान नहीं बनाएगा या ओवरटेक किए गए जलयान को निकासी के उसके कर्तव्य से निर्मुक्त तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह अन्तिम रूप से गुजर न जाए और उसकी निकासी न हो जाए।
14. **vleusl keusdh fLFkr &** जहाँ दो यंत्र नोदित जलयान पारस्परिक या लगभग पारस्परिक मार्गों में मिलते हैं जिसमें टक्कर का जोखिम अन्तर्वलित है, प्रत्येक अपना पथ दक्षिणी पाख पर परिवर्तित करेगा जिससे कि वह प्रत्येक पत्तन की दूसरी ओर गुजर सके।
15. **ikj djusdh fLFkr &** जहाँ दो यंत्रनोदित जलयान एक दूसरे को पार कर रहे हों जिसमें टक्कर का जोखिम अन्तर्वलित हो, तो वह जलयान अपने दक्षिणी पाख की ओर है, दूसरा दूसरी ओर है तो वह मार्ग से बाहर रखेगा, यदि मामले की परिस्थितियाँ अनुज्ञात करें तो वह अन्य जलयान से आगे निकलकर जाने से बच सकेगा।
16. **ekZnsis okyst y; ku } kjk dljZbbZ&** प्रत्येक जलयान जिसे इन विनियमों द्वारा किसी जलयान को मार्ग से बाहर रखने के लिए निर्देश दिया जाता है यथासंभव शीघ्र अच्छी निकासी को बनाए रखने के लिए सारवान कार्रवाई करेगा।
17. **[kM& t y; ku } kjk dljZbbZ&**
- (क) (i) इन विनियमों में से किसी विनियम के द्वारा दो जलयानों में से एक जलयान मार्ग से बाहर रहता है, तो अन्य जलयान अपने पथ पर चलेगा और गति बनाए रखेगा,
- (ii) तथापि, बाद वाला जलयान जैसे ही उसे यह प्रतीत होता है कि वह जलयान जिसे मार्ग से बाहर रखा जाना है, इन विनियमों के अनुपालन में कार्रवाई नहीं कर रहा है तो वह अपने केवल चाल द्वारा टक्कर से बचने के लिए कार्रवाई करेगा।
- (ख) जब किसी कारण से ऐसा जलयान जिसे अपना पथ और गति बनाए रखना अपेक्षित है और यह पाता है कि वह इतना निकट है कि जलयान को केवल मार्ग देकर ही टक्कर से नहीं बचा जा सकता है तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा जो टक्कर से बचने के लिए सर्वोत्तम हो।
- (ग) ऐसे कोई जलयान जो किसी अन्य जलयान के साथ टक्कर से बचने के लिए इस विनियम के उप – पैरा क (ii) के अनुसार स्थिति पार करने में कार्रवाई करता है, यदि मामले की परिस्थितियाँ अनुज्ञात करें तो वह अपने स्वयं के पत्तन की ओर किसी जलयान के लिए पत्तन के पथ को नहीं बदलेगा, और
- (घ) यह विनियम मार्ग देने वाले जलयान को मार्ग से बाहर रखने की बाध्यता से निर्मुक्त नहीं करता है।

18. **t y; kuladk 1ds chp 1/2mljnk; Ro &** सिवाय उसके जहां विनियम 9 और विनियम 13 में अन्यथा अपेक्षित हो, –
- (क) मार्गाधीन यंत्रनोदित जलयान निम्नलिखित के लिए मार्ग छोड़ेगा –
- कोई ऐसा जलयान जो कमांड के अधीन नहीं है,
 - कोई ऐसा जलयान जिसे उसके चलाने की योग्यता से निर्बन्धित किया गया है,
 - जलयान जो मछली पकड़ने में लगा है,
 - कोई चलत जलयान, चप्पू या देशी नाव के अधीन जलयान, और
 - यदि विद्यमान परिस्थितियाँ अनुज्ञात करें ऊपरि प्रवाह की ओर अग्रसरित जलयान द्वारा अनुप्रवाह की ओर अग्रसरित करने वाला कोई जलयान।
- (ख) मार्गाधीन कोई चलत जलयान निम्नलिखित को मार्ग देगा –
- कोई ऐसा जलयान जो कमांड के अधीन नहीं है,
 - कोई ऐसा जलयान जिसे उसके चलाने की योग्यता से निर्बन्धित किया गया है,
 - ऐसा जलयान जो मछली पकड़ने में लगा है,
- (ग) मछली पकड़ने में लगा जलयान जब वह मार्गाधीन हो तब निम्नलिखित को मार्ग से बाहर रखेगा –
- कोई ऐसा जलयान जो कमांड के अधीन नहीं है,
 - कोई ऐसा जलयान जिसे उसके चलाने की योग्यता से निर्बन्धित किया गया है।

III

fucZkr n* ; rk eat y; kuladk l pkyu

19. **ykxwgkuk &**
- (क) यह विनियम ऐसे जलयानों को लागू होता है जिनका किसी निर्बन्धित दृश्यता क्षेत्र में या उसके निकट आमने सामने नौपरिवहन किया जा रहा हो ;
- (ख) प्रत्येक जलयान जब उसका नौपरिवहन निर्बन्धित दृश्यता क्षेत्र में किया जा रहा हो, विनियम 34 के अनुसार समुचित ध्वनि संकेत देगा और बतियाँ प्रदर्शित करेगा,
- (ग) प्रत्येक जलयान विद्यमान परिस्थितियों और निर्बन्धित दृश्यता की शर्तों के अनुकूल सुरक्षित गति से अग्रसरित होगा। कोई यंत्र नोदित जलयान तुरंत चलने के लिए अपना इंजन तैयार रखेगा।
- (घ) प्रत्येक जलयान, इस भाग के विनियम का अनुपालन करते समय विद्यमान परिस्थितियों और निर्बन्धित दृश्यता की शर्तों को सम्यक् ध्यान में रखेगा।
- (ङ.) उसके सिवाय जहां यह अवधारित किया गया है कि टक्कर का जोखिम विद्यमान नहीं है, प्रत्येक जलयान जो अपने बीम पर स्पष्ट रूप से अग्रसर होते हुए दूसरे जलयान का कोहरा संकेत सुनता है या जो अपने बीम पर अग्रसरित होते हुए किसी जलयान

से टकराने की स्थिति से बच नहीं सकता, अपनी गति कम कर देगा और यदि आवश्यक हो तो वह मार्ग से अलग खड़ा हो जाएगा और किसी भी क्षण टक्कर का खतरा समाप्त होने तक अत्यधिक सावधानी से नौपरिवहन करेगा।

v/; k & 3 cfÜk; k vKj vkdkj &

20. ykxwgluk &

- (क) इस अध्याय के विनियमों का सभी मौसमों में पालन किया जाएगा।
- (ख) बतियों से संबंधित विनियमों का सूर्यास्त से सूर्योदय तक अनुपालन किया जाएगा और ऐसे समयों के दौरान कोई अन्य बतियाँ प्रदर्शित नहीं की जाएंगी, ऐसी बतियों के सिवाय जिन्हें इन नियमों में विनिर्दिष्ट बतियों के लिए भ्रमित नहीं किया जा सकता या जो उनकी दृश्यता या सुभिन्न विशेषता को क्षीण नहीं कर सकती हैं या जो समुचित अवेक्षण को बनाए रखने में हस्तक्षेप करती हैं।
- (ग) इन विनियमों द्वारा विहित बतियाँ भी, यदि लगाई जाती हैं, निर्बन्धित दृश्यता में सूर्योदय से सूर्यास्त तक संप्रदर्शित की जाएगी और जब इसे आवश्यक समझा जाए, यह अन्य परिस्थितियों में संप्रदर्शित की जा सकेंगी।
- (घ) आकारों से संबंधित विनियमों का दिन में ही अनुपालन किया जाएगा।
- (ङ) इन नियमों में जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, बतियाँ और आकार समुद्र पर टक्कर निवारण अन्तर्राष्ट्रीय विनियम (1972) के उपाबंध 1 के उपबंधों के अनुसार अवस्थापन और तकनीकी ब्यौरों का अनुपालन करेंगे।

21- ifjHKKk, a&

- (क) "मस्तूल शीर्ष बत्ती" से जलयान के केंद्र बिन्दु के अग्रभाग और पिछले भाग पर लगाई गई सफेद बत्ती अभिप्रेत है जो 225 डिग्री के क्षितिज के किसी चाप पर निरंतर प्रकाश दर्शित करती है और ये इस प्रकार लगाई गई हो ताकि जलयान के किसी भी ओर बीम के पीछे 22.5 डिग्री तक दाएं अग्र भाग से प्रकाश दर्शित हो सके। यह बत्ती यथासाध्य पेटा के ऊपर 20 मीटर या अधिक लम्बाई वाले जलयान के लिए 3 मीटर से कम ऊँचाई नहीं होगी और 20 मीटर से कम लम्बाई वाले जलयानों के लिए 2 मीटर होगी।
- (ख) "साइड लाइट" से दक्षिणी पाख की साइड पर कोई हरी बत्ती और पत्तन साइड पर कोई लाल बत्ती अभिप्रेत है जो प्रत्येक 112.5 डिग्री के क्षितिज के किसी चाप पर निरंतर प्रकाश दर्शित करती है और जिसे इस प्रकार लगाया जाए कि वह अपनी संबंधित साइड पर बीम के पीछे 22.5 डिग्री के दाएं अग्र भाग से प्रकाश दर्शित कर सके, 20 मीटर से कम की लंबाई वाले जलयान में साइड की बतियाँ जलयान के केन्द्र बिंदु के आगे और पीछे के भाग पर लगे लालटेन से संयुक्त हो सकेंगी। साइड की बतियाँ मस्तूल शीर्ष बत्ती से 1 मीटर से अन्यून से नीचे लगाई जाएगी।
- (ग) "पिच्छल बत्ती" से 135 डिग्री के क्षितिज के किसी चाप के ऊपर पीछे दर्शित करने के लिए यथासाध्य निकटतम रूप से लगाई गई कोई सफेद बत्ती अभिप्रेत है और जिसे इस प्रकार लगाया गया हो जिससे कि जलयान के प्रत्येक साइड पर पिच्छल बत्ती से 67.5 डिग्री का प्रकाश दर्शित हो सके।

- (घ) "अनुकर्षण बत्ती" से कोई ऐसी पीली बत्ती अभिप्रेत है जिसकी विशेषताएं वही हैं जो इस विनियम के पैरा (ग) में परिभाषित "पिच्छल बत्ती" की हैं।
- (ङ) "इर्द गिर्द बत्ती" से ऐसी बत्ती अभिप्रेत है जो 360 डिग्री के क्षितिज के किसी चाप पर निरंतर प्रकाश दर्शित करती है।
- (च) "कौंध बत्ती" से नियमित अंतरालों की कौंध की कोई बत्ती अभिप्रेत है।
22. **cfUk la dh n'**; **rk &** इन विनियमों में विहित बत्तियां निम्नलिखित न्यूनतम रेंजों पर दृश्यमान होगी –
- (क) लम्बाई में 20 मीटर या अधिक का कोई जलयान, मस्तूल शीर्ष बत्ती, 3 मील, साइड बत्ती 2 मील, पिच्छल बत्ती 2 मील, अनुकर्षण बत्ती 1 मील,
- (ख) लम्बाई में 20 मीटर या अधिक का कोई जलयान, मस्तूल शीर्ष बत्ती, 2 मील, साइड बत्ती 1 मील, पिच्छल बत्ती 2 मील, अनुकर्षण बत्ती 1 मील, सफेद, लाल, हरी या पीली चतुर्दिकी बत्ती 1 मील।

Tky; kul } kj k i zif' k dh t kus okyh cfUk la &

23. मार्गाधीन यंत्रनोदित जलयान द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां –
- (क) मार्गाधीन कोई यंत्रनोदित जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा –
- (i) कोई मस्तूल शीर्ष बत्ती अग्र
- (ii) साइड बत्तियां
- (iii) पिच्छल बत्ती।
- (ख) 10 मीटर से कम की लंबाई का यंत्रनोदित जलयान पैरा (क) में विहित बत्तियों के स्थान पर चतुर्दिकी सफेद बत्ती प्रदर्शित कर सकेगा और यदि साध्य हो साइड लाइटें या संयुक्त लालटेन भी प्रदर्शित कर सकेगा।
24. अनुकर्षण और धकेलने वाले जलयानों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां – (क) कोई यंत्रनोदि जलयान जब वह अनुकर्षण कर रहा हो या धकेल रहा हो –
- (i) जब अनुकर्षण की लंबाई 200 मीटर से अधिक है, तो लंबवत रेखा में अग्रभाग में दो मस्तूल शीर्ष बत्तियां प्रदर्शित करेगा। लंबवत रेखा में ऐसी 3 बत्तियां प्रदर्शित करेगा। ये बत्तियां विनियम 23 (क) में विहित बत्तियों के स्थान पर होगी। बत्तियां 1 मीटर से अत्यून दूरी पर अलग अलग लगाई जाएंगी और पोतखोल के ऊपर सबसे नीचे लगाई गई बत्ती की ऊँचाई दो मीटर से कम नहीं होगी।
- (ii) साइड लाइटें।
- (iii) पिच्छल बत्ती।
- (iv) पिच्छल बत्ती के ऊपर लंबवत रेखा में कोई अनुकर्षण बत्ती
- (ख) जब धकेलने वाला जलयान और आगे की ओर धकेले जाने वाला जलयान किसी संयुक्त यूनिट में संयोजित हैं, तो उन्हें यंत्रनोदित जलयान के रूप में समझा जाएगा और विनियम 23 में विहित बत्तियां प्रदर्शित की जाएगी।

(ग) ऐसा कोई जलयान या वस्तु जो अनुकर्षित की जा रही है, निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा—

(i) साइड लाइटें।

(ii) पिच्छल बत्ती।

परंतु किसी समूह में अनुकर्षित किए जा रहे या धकेले जा रहे जलयानों की कोई संख्या एक ही जलयान के रूप में प्रकाशित की जाएगी।

(घ) आगे धकेले जाने वाले कोई जलयान को जो संयुक्त यूनिट का भाग नहीं है, वह अग्र सिरे पर साइड बत्तियां प्रदर्शित करेगा।

(ङ.) किसी एक अनुकर्षित किए जा रहे जलयान पर पिच्छल बत्ती, अग्रभाग में सिरे की साइड बत्तियां प्रदर्शित की जाएगी।

(च) जहां किसी पर्याप्त कारण से, अनुकर्षित किए जा रहे जलयान या किसी वस्तु के लिए यह असाध्य है कि इस विनियम में विहित बत्तियां प्रदर्शित की जाएं, वहां जलयान या वस्तु पर बत्तियां लगाने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे जिससे कि कम से कम बिना बत्ती वाले जलयान या वस्तु की विद्यमानता उपदर्शित हो सके।

25. चलत जलयान और चप्पू के अधीन जलयानों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां —

(क) चलत जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा —

(i) साइड बत्तियां।

(ii) पिच्छल बत्ती

(ख) 20 मीटर से कम की लंबाई के चलत जलयान में पैरा (क) में विहित बत्तियां एक लालटेन में संयुक्त होंगी और मस्तूल पर या उसके सिरे के निकट जहां से इन्हें देखा जा सके, लगाई जाएंगी।

(ग) मार्गाधीन कोई चलत जलयान इस विनियम के पैरा (क) में विहित बत्तियों के अतिरिक्त मस्तूल पर उसके सिरे के निकट बत्तियां प्रदर्शित करेगा जहां वे किसी लंबवत रेखा में दो चतुर्दिकी बत्तियों के रूप में अच्छी तरह देखी जा सकेंगी, ऊपर लाल और नीचे हरी होगी।

(घ) 10 मीटर से कम की लंबाई के किसी चलत जलयान में चप्पू के अधीन जलयान में इस विनियम में विहित बत्तियां प्रदर्शित की जा सकेंगी किंतु यदि वे ऐसा नहीं करता है तो उसके पास विद्युत टार्च या प्रज्वलित लालटेन तत्काल उपलब्ध होगी जिसमें सफेद प्रकाश प्रज्वलित होगा जो टक्कर के निवारण के पर्याप्त समय पूर्व प्रदर्शित होगा।

26. मछली पकड़ने में लगे जलयानों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां — (क) मछली पकड़ने में लगे जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेंगे —

(i) लम्बवत रेखा में दो चतुर्दिकी बत्तियां जिनमें से ऊपर की लाल और नीचे की सफेद होगी और दिन के दौरान दो शंकुओं वाले आकार के सिरे उसी लंबवत रेखा या बास्केट के बने होंगे।

(ii) जब जलमार्ग से गुजर रहे हों,

(iii) में विहित बत्तियों के अतिरिक्त साइड लाइटें और पिच्छल बत्तियां,

- (ख) 10 मीटर से कम की लंबाई का कोई जलयान, चप्पुओं के अधीन कोई जलयान, कोई लालटेन प्रदर्शित कर सकेंगे और तत्काल उपलब्ध कोई विद्युत टार्च होगी जो टक्कर को रोकने के लिए पर्याप्त समय में प्रदर्शित की जाएगी।
27. ऐसे जलयानों, जो कमांड के अधीन नहीं हैं, या युद्धाभ्यास में उनकी योग्यता निर्बन्धित है, द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां –
- (क) ऐसा कोई जलयान जो कमांड के अधीन नहीं है, निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा,
- (i) लंबवत रेखा में दो चतुर्दिकी लाल बत्तियां जहां वे निरंतर रात्रि के दौरान अच्छी तरह देखी जा सकती हैं,
- (ii) दिन के दौरान किसी लंबवत रेखा में दो बाल्स या वैसे ही आकार में,
- (iii) जब जलमार्ग से गुजरना हो तो (i) में विहित बत्तियों के अतिरिक्त साइडों की पिच्छल बत्तियां,
- (ख) ऐसा जलयान जिसे युद्धाभ्यास की योग्यता में निर्बन्धित किया गया है, निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा,
- (i) लम्बवत रेखा में तीन चतुर्दिकी बत्तियां, इनमें से उच्चतम और निम्नतम लाल होगी और मध्यम बत्ती सफेद होगी।
- (ii) लम्बवत रेखा में 3 आकार, उच्चतम और निम्नतम आकार बाल्स होंगे और मध्यम समचतुर्भुज,
- (iii) जब जलमार्ग से गुजरना हो तो (i) में विहित बत्तियों के अतिरिक्त साइडों की पिच्छल बत्तियां,
- (iv) जब लंगर लगा हो, लंगर लगाए गए जलयानों के लिए ऊपर (i) और (ii) में विहित बत्तियों के अतिरिक्त विनियम 30 में विहित बत्तियां और आकार भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
28. निकर्षण में लगे जलयान द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां – निकर्षण में लगा जलयान 27 (ख) में बत्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा – उस दिशा को उपदर्शित करने के लिए जिस पर बाधा विद्यमान है, लम्बवत रेखा में दो निरंतर लाल बत्तियां या दो बाल।
29. पाइलट जलयान द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां – वह जलयान जो पाइलेट ड्यूटी पर लगाया गया है, निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा –
- (i) मस्तूल शीर्ष पर या उसके निकट लम्बवत रेखा में दो चतुर्दिकी बत्तियां ऊपर की बत्ती सफेद और नीचे की बत्ती लाल,
- (ii) जब मार्गाधीन हो, अतिरिक्त साइड और पिच्छल बत्तियां।
30. लंगर लगाए गए जलयानों और भूग्रस्त जलयानों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां – (क) लंगर लगाए गए जलयानों पर निम्नलिखित प्रदर्शित किया जाएगा –
- (i) अग्र भाग में, दिन के दौरान चतुर्दिकी सफेद बत्ती या लाल,
- (ii) पिच्छल और निम्न स्तर पर या उसके निकट चतुर्दिकी कोई सफेद बत्ती,
- (ख) 20 मीटर से कम की लंबाई का जलयान एक चतुर्दिकी सफेद बत्ती प्रदर्शित कर सकेगा जो अच्छी तरह दिखाई दे,

- (ग) कोई भूगर्भ जलयान पैरा (क) या (ख) में विहित बतियों के अतिरिक्त बतियां प्रदर्शित करेगा जो अच्छी तरह दिखाई दे –
- (i) लम्बवत रेखा में दो चतुर्दिकी लाल बतियां,
- (ii) दिन के दौरान लम्बवत रेखा में तीन बाल,
- (घ) 10 मीटर से कम लंबाई के जलयान में एक विद्युत टार्च या प्रदीप्त लालटेन तुरंत उपलब्ध रखी जाएगी जो सफेद प्रकाश दर्शित करेगी जो अनुगमन करने वाले जलयान को पर्याप्त समय में चेतावनी देने के लिए प्रदर्शित की जाएगी।
31. जलपत्रक और यांत्रिक देशी यान द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बतियां – जहां किसी यांत्रिक देशी यान या जलपत्रक यान को विनियमों में विहित लक्षणों या स्थितियों में की बतियों और आकारों को प्रदर्शित करना असाध्य हो वहां वह यथासंभव ऐसी बतियां और आकार जो लक्षणों में और अवस्थिति में पूर्णतः समान हों, प्रदर्शित करेगा।

v/; k & 4

/ofu vlf çdk k l dlr

32. ifjHk'k (क) "सीटी" शब्द से कोई ध्वनि द्वारा संकेत देने वाला साधित्र अभिप्रेत है जो विहित तूर्यनाद उत्पन्न करने में समर्थ हो,
- (ख) "लघु तूर्यनाद" शब्द से ऐसा कोई तूर्यनाद जो लगभग एक सेकंड की अवधि का हो,
- (ग) "दीर्घावधि तूर्यनाद" शब्द से लगभग चार से छह सेकंड की अवधि का तूर्यनाद अभिप्रेत है,
- (घ) जब तक कि विनियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, ध्वनि संकेत साधित्र समुद्र में टक्कर निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियम, 1972 के उपाबंध 3 के उपबंधों के अनुसार तकनीकी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।
33. l dlr /ofu dsfy, miLdj & 20 मीटर या अधिक लंबाई वाले जलयान पर एक सीटी और एक घंटी की व्यवस्था की जाएगी और 100 मीटर या अधिक की लंबाई वाले किसी जलयान पर इनके अतिरिक्त एक घड़ियाल की व्यवस्था की जाएगी। 34. युद्धाभ्यास और चेतावनी संकेत – (क) एकल जलयान, जब जलयान एक दूसरे को दिखाई देने की स्थिति में हो, मार्गाधीन कोई यंत्रनोदित जलयान, जब प्राधिकृत या इन नियमों द्वारा अपेक्षित युद्धाभ्यास कर रहा है, वह अपनी सीटी पर निम्नलिखित संकेतों द्वारा अपना आशय उपदर्शित करेगा।
- (i) एक लघु तूर्यनाद का अर्थ है "मैं दक्षिणी पाख की ओर अपना पथ बदल रहा हूँ।
- (ii) दो लघु तूर्यनाद का अर्थ है "मैं पत्तन की ओर अपना पथ बदल रहा हूँ।
- (iii) तीन लघु तूर्यनाद का अर्थ है "मैं पिच्छल प्रणोदन प्रचालित कर रहा हूँ"।
- (ख) ओवरटेकिंग जलयान
- (i) एक लघु तूर्यनाद के पश्चात् होने वाले दो दीर्घावधि तूर्यनाद से "मेरा आपको दक्षिण पाख पर ओवरटेक करने का आशय है,"
- (ii) दो लघु तूर्यनाद के पश्चात् होने वाले दो तूर्यनाद से "मेरा आपको पत्तन की ओर ओवरटेक करने का आशय है",

वह जलयान जिसको ओवरटेक किया जा रहा है, अपनी सीटी पर एक दीर्घावधि, एक लघु अवधि, एक दीर्घावधि, एक लघु तूर्यनाद इस क्रम में संकेतों का अनुसरण करते हुए अपनी सहमति उपदर्शित करेगा, यदि संदेह है तो वह पैरा (ग) में विहित संकेत तक ध्वनि बजाएगा।

- (ग) जब संदेह हो, जहां एक दूसरे को दिखाई पड़ने वाला जलयान एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं और किसी कारण से कोई भी जलयान दूसरे के आशय या कार्रवाई को समझने में असफल रहता है या यह संदेह है कि दूसरे द्वारा टक्कर से बचने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है या नहीं, संदेह वाले जलयान का तुरंत सीटी पर कम से कम 5 लघु और त्वरित तूर्यनाद करके ऐसा संदेह उपदर्शित करेगा। संकेत की कम से कम 5 लघु और त्वरित कौंधने वाले प्रकाश बत्तियों से अनुपूर्ति की जा सकेगी।
- (घ) **elm:ij &** कोई जलयान मोड़ के निकट है या जलसरणी के क्षेत्र में है, जहां अन्य जलयान दुर्बोध हो जाते हैं वहां एक दीर्घावधि तूर्यनाद की ध्वनि होगी, ऐसे संकेत का किसी पीछा करने वाले जलयान द्वारा लघु तूर्यनाद द्वारा किया जाएगा।
35. **fucZUkr n°; rk ea/ofu l aɽ &** निर्बन्धित दृश्यता में या उनके निकट क्षेत्र में जहां दिन या रात्रि के लिए इस विनियम में संकेत विहित किया गया है, उनका निम्नानुसार उपयोग किया जाएगा –
- (क) जल से गुजरने वाला कोई यंत्रनोदित जलयान दो मिनट से अनधिक के अंतराल पर एक दीर्घावधि तूर्यनाद की ध्वनि करेगा,
- (ख) कोई यंत्रनोदित जलयान जो मार्गाधीन है किंतु रोक दिया गया है और जल से नहीं गुजर रहा है, वह दो मिनट के अंतराल पर ध्वनि करेगा। उनके बीच में 2 सेकंड से अंतराल पर उत्तरवर्ती दो लघु तूर्यनाद,
- (ग) ऐसा कोई जलयान जो कमान के अधीन नहीं है, कोई जलयान जिसे युद्धाभ्यास योग्यता से निर्बन्धित किया गया है, ऐसा जलयान जो दबाव से ग्रसित है, ऐसा जलयान जो कर्षण में लगा है, मत्स्य या एक दूसरे को धकेलने वाले जलयान दो मिनट से अनधिक के अंतराल पर तीनों उत्तरवर्ती तूर्यनाद अर्थात् दो लघु तूर्यनादों द्वारा अंतरित और एक दीर्घावधि तूर्यनाद करेंगे।
- (घ) लंगर का कोई जलयान एक मिनट से अनधिक के अंतराल पर लगभग 5 सेकंड के लिए तीव्रता से घंटी बजाएंगे। लंगर का कोई जलयान इसके अतिरिक्त तीन उत्तरवर्ती तूर्यनाद अर्थात् एक लघु, एक दीर्घावधि और एक लघु तूर्यनाद अपनी स्थिति और किसी पीछा करने वाले जलयान को टक्कर की संभाव्यता के संबंध में चेतावनी देने के लिए करेगा। भूग्रस्त कोई जलयान त्वरित घंटी बजाने के तुरंत पूर्व और पश्चात् घंटी पर तीन पृथक और सुभिन्न प्रहार करेंगे।
- (ङ.) 10 मीटर से कम लंबाई वाले किसी जलयान को ऊपर वर्णित संकेत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किंतु दो मिनट से अनधिक के अंतरालों पर कुछ अन्य प्रभावी संकेत बजाएगा।
36. **foifUk l aɽ &** जब कोई जलयान विपत्ति में है और किसी अन्य जलयान से या तट से सहायता की अपेक्षा करता है, तो उसके द्वारा साथ साथ या पृथक रूप से निम्नलिखित संकेत उपयोग में लाए जाएंगे या संप्रदर्शित किए जाएंगे –

- (क) किसी ध्वनि संकेत साधित्र की निरंतर ध्वनि बजाना,
- (ख) ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्वज या प्रकाश को किसी सर्किल में हिलाना,
- (ग) डेक पर प्रदीप्ति,
- (घ) रेडियो टेलीफोनी द्वारा पारेषित, "मई दिवस",
- (ङ.) जलयान पर फहराए गए सिगनल एन0 सी0 का अंतर्राष्ट्रीय संकेत।

v/; k &5 NW

37. कोई जलयान या (जलयानों का वर्ग) में यह उपबंध है कि वह अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की अपेक्षाओं का पालन करेगा, जिसका नौतल इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व सन्निर्माण के समरूपी प्रक्रम पर है, निम्नलिखित उपबंधों से इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् दो वर्ष तक अनुपालन से छूट दी जा सकेगी –
- (क) विनियम 20 (ङ.) में यथाविहित रंग विनिर्देश और सघनता सहित बत्तियों का प्रतिष्ठापन,
 - (ख) विनियम 21 के विहित किए जाने के परिणामस्वरूप जलयान पर मस्तूल शीर्ष बत्तियां और साइड की बत्तियां पुनः लगाना,
 - (ग) विनियम 22 में विहित रेंजों सहित बत्तियों का प्रतिष्ठापन।

38. NW &

जलयानों या जलयानों के वर्ग में छूट में यह उपबंध है कि वह (अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, उसका नौतल जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व सन्निर्माण के समरूप प्रक्रम पर है, जीवन रक्षक नावों के अभिवहन के लिए उपबंध का अनुपालन इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् दो वर्ष तक छूट दे सकेगी परंतु यह कि इसके बदले पर्याप्त जीवन रक्षक बेडे फलक पर उपलब्ध करा दिए जाएं।

- (क) मत्स्य नावें ;
- (ख) स्थोरा जलयान

v/; k &6

fuyEcu] jİdj.k vlf vihy

39. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन को निलम्बित ओर रद्द करने की शक्ति –
- (1) सक्षम अधिकारी को तुरत जलयान के सर्वेक्षण प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन को प्रथम बार इसमें वर्णित विनियमों में से किसी के उल्लंघन की दशा में पंद्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए निलम्बित करने का अधिकार होगा।
 - (2) बार बार उल्लंघन की दशा में सक्षम अधिकारी जलयान के सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन को तुरंत रद्द करने की शक्ति रखता है।

40- vihy &

- (1) विनियम 3 के अधीन जारी सक्षम अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको वह ऐसा आदेश प्राप्त करता है, दस दिन के भीतर उसके विरुद्ध इस प्रकार अभिहित अधिकारी को अपील कर सकेगा।

- (2) इस प्रकार अभिहित अधिकारी ऐसे प्रत्येक अपील का नोटिस सक्षम अधिकारी को ऐसी रीति में दिलवाएगा जो विहित की जाए और सक्षम अधिकारी को एक अवसर दिए जाने और अपीलार्थी को सुने जाने के पश्चात् उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

v/; k &7

'kflr; kavk fof/kd dk Zkfg; ka

41. राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़क के विनियमों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति – यदि कोई व्यक्ति इसमें इसके पूर्व यथावर्णित सड़क के विनियमों में से किसी का उल्लंघन करता है, वह ऐसे जुर्माने से जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
42. अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के उपबंधों का लागू होना – ऊपर वर्णित किसी बात के होते हुए भी, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अध्याय 7 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित राष्ट्रीय जलमार्ग पर जल यात्रा करने के लिए यंत्रनोदित जलयानों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अंतर्देशीय जल में यंत्रनोदित जलयानों को लागू होते हैं।

एस. एस. पाँडियन, सचिव

[विज्ञापन III / IV / 306 / 04 . असा.]

[I & III
vf/k puk
ubZfnYyh 30 uoEcj] 2004

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, राष्ट्रीय जलमार्ग पर नौपरिवहन और पोत परिवहन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1- I kkr uke vls i kjEk &

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जलमार्ग, नौपरिवहन और पोत परिवहन की सुरक्षा विनियम, 2002 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- (3) इन विनियमों का विस्तार सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर है ।

2- ifjHk'k a

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) "अधिनियम" से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) अभिप्रेत है ;
- (ख) "उपाबंध" से इन विनियमों का उपाबंध अभिप्रेत है ;
- (ग) "सक्षम अधिकारी" से प्राधिकरण द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो विकास, प्रबंध और अनुरक्षण के लिए किसी राष्ट्रीय जलमार्ग के सैक्शन का भारसाधक हो ;
- (घ) "जलसरणी चिन्ह" के अन्तर्गत बांस चिन्ह, बोया और बीकन भी हैं ;
- (ङ) "कनवाय" से जलयान, प्लवमान उपस्कर या बेड़ा जो यंत्र नोदित जलयान द्वारा अनुकर्षित किया जाता है या धकेला जाता है, का समूह अभिप्रेत है ;
- (च) "अपवाही" से इंजन को बंद करके तरंग द्वारा चालन किया जाना अभिप्रेत है ;
- (छ) "पार नौका" से कोई ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो जलमार्ग के उस पार या साथ-साथ परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराता है ;
- (ज) "अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान" से ऐसा कोई यंत्र नोदित जलयान अभिप्रेत है जो किसी अन्तर्देशीय जल पर सामान्यतः चलाया जाता है ;
- (झ) "जलपाश" से नदी या नहर का ऐसा परिरोधित सैक्शन अभिप्रेत है जहां निकटवर्ती सैक्शन के बीच जल द्वार और जल कपाट का प्रयोग करके नावों को चलाने और धीमा करने के लिए स्तर में परिवर्तन किया जा सके ;
- (ञ) "जलपाश बेसिन" से उस जलपाश तक से पहुंच अभिप्रेत है जो जलपाश की ओर उर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह से संकीर्ण होता जाता है ;
- (ट) "मास्टर" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पाइलट, बन्दरगाह मास्टर, बर्थिंग मास्टर नहीं है, तत्समय किसी जलयान की कमान करता या भारसाधन करता है ;

- (ठ) “यंत्र नोदित जलयान” से विद्युत, भाप या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा पूर्णतः या भागतः नोदित प्रत्येक वर्णन का यान अभिप्रेत है ;
- (ड) “नाव्य जलसरणी” से पोतों के गुजरने के लिए आशयित जल सरणी अभिप्रेत है ;
- (ढ) “स्वामी” से जब उसका उपयोग माल के संबंध में किया जाए, जिसके अन्तर्गत उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए परेषक, परेषिती, माल भेजने वाला या अभिकर्ता भी है और जब उसका उपयोग किसी जलयान के संबंध में किया जाए, इसके अन्तर्गत कोई भागतः स्वामी, चार्टर परेषिती, बंधकदार या उसका भारसाधक अभिकर्ता भी है, अभिप्रेत है ;
- (ण) “पत्तन” से कोई अन्तर्देशीय पत्तन अभिप्रेत है ;
- (त) “लघु यान” से कोई ऐसा यान अभिप्रेत है जिसकी आवरण लम्बाई 10 मीटर से कम और चौड़ाई 3 मीटर से कम है ;
- (थ) “सैक्शन” से एक क्षेत्र मुख्यालय द्वारा नियंत्रित जलमार्ग का कोई भाग अभिप्रेत है ;
- (द) “टर्मिनल” से ऐसा स्थान जहां परिवहन की एक रीति से दूसरी रीति तक स्थौरा और सवारियां अदला बदली करते हैं, अभिप्रेत हैं , टर्मिनल प्रसुविधाओं के अन्तर्गत बर्थिंग, स्थौरा अन्तरण, भण्डारण और टिकटघर और सवारी विश्राम और आराम कक्ष सम्मिलित हैं, और
- (ध) “जलयान” से प्रत्येक वर्णन का जलयान अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत लघु यान चप्पू या नाव के अधीन जलयान, प्लवमान उपस्कर और अविस्थापित यान भी हैं ।

v/; k & 1

t yekZvks t yekZij l j{ks k

- 3- uk t ylj. h dk fpUgdu & कोई नाव्य जलसरणी, जलसरणी की सुरक्षित सीमाएं उपदर्शित करने के लिए बांस, बोया जैसे जलसरणी चिन्ह द्वारा चिन्हित की जा सकेगी । जलसरणी चिन्हांकन के ब्यौरे उपाबंध 1 में दिए गए हैं । उस दशा में जहां रात्रि नौपरिवहन चिन्ह है, वहां उसकी प्रकाश या प्रदीप्त पेंट द्वारा व्यवस्था की जाएगी ।
- 4- ; krk kr l dr vks fpUg – नाव्य जलसरणी पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात संकेत या चिन्ह नदी के किनारों या नदी के किन्हीं जुड़नारों पर निर्मित किए जाएंगे । संकेत चिन्ह चमकीले प्रदीप्त पेन्ट द्वारा पेन्ट किए जाएंगे । उपाबंध – II में विभिन्न संकेत और चिन्ह दिए गए हैं ।
- 5- i yk l s g k l j x q j u k & जहां कोई जलयान किसी पुल के नीचे से गुजर रहा है वहां मस्तूल या संकोच्य मस्तूल की ऊंचाई और चक्रग्रह अधिरचना की ऊंचाई जलमार्ग स्तर और सड़क पुल की ऊंचाई के बीच की ऊंचाई से कम होनी चाहिए ।
ऐसे जलयान की गति विद्यमान मौसम की दशाओं और अनुभव की जाने वाली संभाव्य तरंगों के प्रति निर्देश से विनियमित की जानी चाहिए ।

6- t y i k k l s x q j u k

- (1) जब जलपाश और जलपाश बेसिन से होकर नौपरिवहन किया जा रहा हो, तब मास्टर-पोत के सुरक्षा और व्यवस्थित चालन तथा जलपाश से होकर शीघ्र गुजरना

सुनिश्चित करने के लिए जलपाश मास्टर द्वारा उसे दिए गए किन्हीं आदेशों का पालन करेगा ।

- (2) जलपाश से होकर गुजरने के लिए पूर्विकता का क्रम निम्नानुसार होगा—
- (क) प्राधिकरण के जलयान, सरकारी जलयान, सैनिक और पुलिस के जलयान,
(ख) यात्री यान,
(ग) मछली पकड़ने की नावें,
(घ) स्थोरा जलयान
(ङ) अन्य यान ;
- (3) मास्टर, जलपाश से होकर नौपरिवहन करते समय निम्नलिखित पूर्वावधानियां बरतेगा—
- (क) जलपाश बेसिन की ओर पहुंचने वाले जलयान की गति कम कर दी जाएगी और सावधानीपूर्वक नौपरिवहन किया जाएगा । जलपाश बेसिन के निकट ओवरटेक करना तब तक प्रतिषिद्ध है जब तक कि जलपाश मास्टर द्वारा ऐसा करने के लिए अनुदेश न दिए गए हों ,
(ख) जलपाश या जलपाश बेसिन में जलयान को लंगर नहीं लगाया जाएगा या केबिल या जंजीरें नहीं लगाई जाएंगी,
(ग) जब जलपाश को भरा जा रहा है या रिक्त किया जा रहा है, जलयान को मूर किया जाएगा और मूरिंग इस प्रकार की जाएगी कि दीवारों या द्वारों के सामने उच्छलन को रोका जा सके,
(घ) जलयानों में जलपाश संरचना को नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त इंजनछाज की व्यवस्था की जाएगी ,
(ङ) पाल के अधीन जलयान जलपाश में प्रवेश करने से पूर्व अपना पाल नीचे कर देगा ।
- (4) जलपाश से होकर गुजरना जलपाश बेसिन में जलयान के आगमन क्रम में होगा ।
- (5) धारा 6(2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी जलयान को प्राधिकरण द्वारा गुजरने की स्पष्टतः अनुदत्त की गई पूर्विकता जलपाश लगाने या जलपाश को हटाने की पूर्विकता होगी ।

7- dfri ; ifjflfr; leaxfr dk de fd; k t kul&

- (1) प्रत्येक जलयान ऐसे अत्यधिक धोवन या चूषण सृजित करने से बचने के लिए जिससे खड़े हुए या गतिमान जलयानों या संरचनाओं को नुकसान होने की संभावना है, अपनी गति विनियमित करेगा ।
- (2) विशिष्टतः जलयान उचित समय पर किन्तु सुरक्षा के लिए अपेक्षित स्टीयरिंग मार्ग को छोड़े बिना गति कम कर देगा —
- (क) पत्तन प्रवेशों से बाहर,
(ख) किनारे पर बंधे जलयान के निकट या उतरते समय लदाई के प्रक्रम पर या स्थोरा उतारते समय,
(ग) जलयानों के निकट जब वे सामान्य रोक स्थानों पर खड़े हों ।

8- jkVt t yekxZij ty; ku dk violgh gkuk & राष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी जलयान का अपवाही होना तब तक प्रतिषिद्ध होगा जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत न कर दिया हो ।

9- QSh ty; kul } kjk ukQ ty l j. kh dks ikj djuk & नाव्य जलसरणी को पार करते समय, फ़ैरी जलयान नाव्य जलसरणी के साथ-साथ चल रहे जलयान या बेड़े से इतनी दूरी पर रहेगा कि बेड़े अपने दिशाकोण बदलने या गति कम के लिए बाध्य नहीं है ;

परन्तु विशेष परिस्थितियों में फ़ैरी जलयान को सक्षम अधिकारी द्वारा नाव्य जलसरणी को पार किए जाने की पूर्विकता प्रदान की जा सकेगी और ऐसे जलयान पर रात्रि में चतुर्दकी हुई हरी बत्ती और दिन में हरा ध्वज संप्रदर्शित किए जाएंगे और उन्हें अनुगमन का उतना अधिकार होगा, जितना परिस्थितियां अनुज्ञात करें ।

10- ukfjogu vls ek e foKku l xalh t kudljh & सक्षम अधिकारी, तूफान, आकस्मिक बाढ़, जलसरणी की गहराई और नौपरिवहन में खतरों के संबंध में नदी सूचनाएँ जारी करके, नद्य चार्ट प्रकाशित करेगा और उपाबंध 3 में दिए गए समुचित सावधानी संकेतों को संप्रदर्शित करके नदी पत्तनों पर जानकारी प्रसारित करने की व्यवस्था करेगा ।

v/; k & 2

t y; kul dh l g {kk

11- l o {k k dk vls jft LVtdj. k i ek ku & वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, तटीय जलयान अधिनियम, 1938 कैनल और पब्लिक फ़ैरीज अधिनियम, 1890 (1890 का मद्रास अधिनियम 2) और अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के अधीन यंत्रनोदित जलयान की बाबत जारी किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र और सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र राष्ट्रीय जलमार्ग में जलयात्रा करने के लिए, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के रूप में विधिमान्य और प्रभावी होगा :

परन्तु सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र विनियमों के अनुसार सुरक्षा अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित रूप से पृष्ठांकित किया जाएगा ।

12- l {kerk i ek ki = & वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के अधीन मास्टर, सेरंग, इंजीनियर और इंजन ड्राइवर के रूप में जारी किया गया सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र राष्ट्रीय जलमार्ग में जलयात्रा करने के लिए विधिमान्य होगा ।

13- t y; ku ij igpku fplg &

(1) किसी लघु यान के सिवाय प्रत्येक जलयान पर उसके पोत के लिए हल पर निम्नलिखित चिन्ह होगा -

(क) जलयान का नाम जलयान के प्रत्येक अग्रभाग और पिच्छ भाग पर नाम उत्कीर्णित होगा

(ख) रजिस्ट्रीकरण सं०

(ग) रजिस्ट्री का स्थान और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष,

- (2) पहचान चिन्ह 20 सेंटीमीटर से अन्धून ऊंचाई के और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के अक्षरों में उत्कीर्णित होगा और गहरी पृष्ठभूमि पर हल्के रंग में या गहरे रंग में पेंट किया हुआ होगा ।
- (3) पहचान चिन्ह के अतिरिक्त प्रत्येक जलयान पर स्थिर फलक पर निम्नलिखित जानकारी दर्शित की जाएगी और ऊपरी डैक पर प्रदर्शित होगी –
- (क) सकल रजिस्ट्रीकृत टन,
- (ख) सवारियों की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या,
- (ग) स्वामी का नाम,
- (घ) अन्तिम सर्वेक्षण की तारीख
- (4) प्रत्येक जलयान के बीच से कम से कम एक-एक मीटर दोनों ओर भार रेखा चिन्हित की जाएगी और जलयान के दोनों छोरों पर मीटरों और डेसीमीटरों में डुबाव मापमान चिन्हित किया होगा ।
- (5) प्रत्येक लघु यान पर उसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और स्वामी का नाम जलयान के दोनों छोरों पर अंकित होगा,
- (6) प्रत्येक यान पर यान के किसी सहजदृश्य भाग पर चौड़े फलक पर उसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या स्वामी का नाम या दोनों प्रदर्शित किए जाएंगे ।

14- jkVt tyekZij lpyu dsfy, dfri; 'kr'±l fgr ty; ku dks pykuk & राष्ट्रीय जलमार्ग में जलयाना करने वाला जलयान –

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दबाव और गति, कन्वाय और पास पास विरचनाएं उपयुक्त हैं और समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा यथविनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार हैं,
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान या (बेड़े) के किनारों के बाहर कोई वस्तु प्रदर्शित करने के लिए अनुज्ञात नहीं की गई है जो अन्य जलयानों, बेड़ों, प्लवन स्थापनों या जलमार्ग अथवा जलसरणी पर या इसके सन्निकट संस्थापनों को कोई नुकसान पहुंचाती हों, सिवाय उनके जो (ग) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन हैं,
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऊपरि विमीय स्थोरा के अभिवहन के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन किया गया है ।

15- i Ūku {k- eat y; kuladh efjx djus; k yaj Mkyus l sl af/kr 'kr'±& कोई जलयान पत्तन के भीतर उन क्षेत्रों के सिवाय जो सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए अभिहित किए गए हैं, किसी जलयान को मूर नहीं किया जाएगा या लंगर नहीं लगाया जाएगा ।

16- ty; ku & स्थिर जलयानों, बेड़ों और प्लवमान उपस्करों के लंगर डाले जाएं या उन्हें ऐसी रीति से सुरक्षित रूप में बांधा जाए कि वे धाराओं को सह सकें और उन्हें जलस्तर में परिवर्तन होने पर समायोजित किया जा सके ।

17- **ikbyV dk Z& ¼½l {le vf/kdkjh &**

- (क) नदी के ऐसे विस्तार को वहां वर्गीकृत करेगा जहां पाइलट कार्य अनिवार्य हो और जहां पाइलट कार्य वैकल्पिक हो,
- (ख) अनुभवी पाइलटों की तैनाती की व्यवस्था करेगा, और
- (ग) उन क्षेत्रों में जहां पाइलट कार्य घोषित किए गए हों वहां जलयानों को पाइलेट की सेवाएं उपलब्ध कराएगा ।

v/; k &3

ukfjogu l g{k vkf eKVj vkf Lokh dk nkf; Ro

18- **eKVj dsfy, vumsk &** (1) मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि जलयान नदी के लिए उपयुक्त है । वह विशिष्टतया नौपरिवहन के लिए सुरक्षोपायों से संबंधित विनियमों का अनुसरण करेगा –

- (क) राष्ट्रीय जलमार्ग में जलयान, संस्थापनों के संबंध में अपेक्षित सतर्कता बरतने और नुकसान से बचने और पोत परिवहन और नौपरिवहन में बाधा कारित करने से बचने के लिए सभी पूर्वावधानियां बरतेगा,
- (ख) आसन्न खतरे से बचना, स्थिति द्वारा अपेक्षित सभी उपाय करना (नाविक कला की साधारण परिपाटी के अनुसार) चाहे इसके लिए इन विनियमों से विचलित क्यों न होना पड़े ।
- (ग) जब उसका जलयान अन्य जलयानों के अनुकर्षण में लगा हो, तब उसके जलयान और उसके कर्मीदल और अनुकर्षण में जलयानों को लागू नियमों या विनियमों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होना,
- (घ) जलयान के रजिस्ट्रीकरण और सर्वेक्षण के विधिमान्य प्रमाणपत्रों और कर्मीदल द्वारा विधिमान्य प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति, पोत की नियमावली या कर्मीदल सूची, पोतों की लॉग और इंजन का लागू का रखा जाना सुनिश्चित करना,
- (ङ) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी समय जलयान पर अधिक भार नहीं है या उतने से अधिक सवारियों की संख्या अभिवहन नहीं कर रहा है, जितनी संख्या के लिए अभिवहन के लिए प्रमाणित किया जाए ।
- (च) यह सुनिश्चित करना कि खतरनाक माल या विस्फोटक सामग्री फलक पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत रूप में ले जाई जा रही है, और ऐसे माल या सामग्री को फलक पर अभिवहन के लिए विस्फोटक पदार्थ नियम, 1983 के अनुसार प्रक्रिया और पूर्वावधानियां बरती जा रही हैं ,
- (छ) ऐसे किसी जलयान या बेड़े को देखकर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिससे व्यक्तियों या जलयान को खतरा या जलसरणी में बाधित होने का संकट उत्पन्न हो गया है, ऐसे जलयानों को अपने जलयान की अपनी सुरक्षा को खतरे में डाले बिना तुरन्त सहायता प्रदान करना,
- (ज) किसी सामुद्रिक दुर्घटना की दशा में पहुंचने वाले जलयानों को जब उनको डूबने का खतरा हो या नियंत्रण से परे हो तो उन्हें उचित समय में आवश्यक कार्रवाई करने और जलसरणी से दूर रहने में समर्थ बनाने के लिए उनको चेतावनी देना ।

- (झ) सुनिश्चित करें कि उपाबंध IV में यथाविनिर्दिष्ट जीवन रक्षक साधित्र अच्छी स्थिति में और तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध स्थिति फलक पर ले जाए जाते हैं ।
- (ञ) सुनिश्चित करें कि किसी भी समय जलयान जलमार्ग में उन स्थानों के सिवाय जो सक्षम अधिकारी द्वारा अभिहित किए जाएं, कच्चा मल, तैलीय पदार्थ, कूड़ा करकट आदि नहीं बहाएगा ।
- (2) सवारी जलयान का मास्टर फलक पर ले जाए गए जीवन रक्षक साधित्रों के व्ययन और उसके उपयोग को संप्रदर्शित करेगा और यात्रा आरम्भ करने से पूर्व जीवन रक्षक जैकिटों के उपयोग का प्रदर्शन करेगा ।
- (3) मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नौपरिवहनीय सहायताएं, अग्निशामक सामग्री और बाढ़ नियंत्रण साधित्र फलक पर समुचित कार्यकरण की दशा में हैं और तुरन्त उपयोग किए जाने की स्थिति में उपलब्ध हैं और ऐसे साधित्रों के दक्ष उपयोग के लिए अपने कर्मिंदल से नियमित अभ्यास कराएगा ।
- (4) मास्टर निकटतम सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में तुरन्त रिपोर्ट करेगा—
- किसी अन्य जलयान को आपदा में देखने,
 - जलयान के स्थल पर आने या डूबने,
 - उसके जलयान में आग लगने या आप्लावन हो,
 - किन्हीं जलमार्ग संस्थापनों या स्थायी संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने,
 - अनियत बाधा का संप्रेक्षण करने या नौपरिवहनीय सहायता के न होने की जानकारी होने,
 - फलक पर किसी ऐसी वस्तु के गिरने, जा नौपरिवहन के लिए बाधा या खतरा हो सकेगी,
 - राजकीय जलमार्ग में तेल का बिखराव होने,
 - फलक पर जलदस्युता या चोरी होने ।
- (5) किसी जलयान का मास्टर या भारसाधक व्यक्ति सक्षम आधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इन विनियमों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देगा ।

49½ **Lokh ds fy, vuqsk &** जलयान का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान सभी बाबत नद्य योग्य है और उस पर सक्षम कर्मिंदल है ।

- (2) स्वामी —
- यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान को तब तक जलयात्रा में अग्रसरित नहीं किया जाएगा या किसी सेवा के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि जलयान के पास ऐसी जलयात्रा या सेवा के लिए लागू विधिमान्य सर्वेक्षण प्रमाणपत्र न हो,
 - यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ऐसे अर्हित कार्मिकों को जिनके पास सेवा प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति का सक्षमता का कोई विधिमान्य प्रमाणपत्र है, जलयान

के फलक पर मास्टर/सेरंग, इंजीनियर, चालक और कर्मिंदल के रूप में नियोजित किया गया है,

- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराया गया कर्मिंदल पर्याप्त रूप से विशाल और कुशल है जिससे पर्याप्त रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उन फलक पर उनकी सुरक्षा और सुरक्षित नौपरिवहन सुनिश्चित किया जाएगा,
- (घ) तृतीय पक्षकार की जोखिम के विरुद्ध अपने जलयान को बीमा उपलब्ध कराएगा,
- (ङ) किसी सहजदृश्य स्थान पर सुभेदक चिन्ह (रजिस्ट्रीकरण चिन्ह) संप्रदर्शित करने की व्यवस्था करना,
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी यान की बाबत अनुदत्त किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस जलयान के केवल विधिपूर्ण नौपरिवहन के लिए उपयोग में लाया जाएगा,
- (छ) अपने यान में किए गए परिवर्तनों की रिपोर्ट करेगा जो जलयान से संबंधित ऐसी विशिष्टियों के या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज किए गए विवरण के अनुरूप नहीं हैं,
- (ज) यदि यह परित्यक्त जलयान है, नौपरिवहन जलसरणी में अन्य जलयानों को खतरे से बचाने के लिए जलयान के तुरन्त चिन्हांकन की व्यवस्था की जाए,
- (झ) यथाशक्य शीघ्र या सक्षम अधिकारी द्वारा जैसा निदेश दिया जाए, नौपरिवहन जलसरणी से जलयान को हटाने के लिए व्यवस्था करेगा,
- (ञ) तुरन्त निकटतम सक्षम अधिकारी को सूचना देगा, जब कभी.....
 - (i) कोई जलयान क्षतिग्रस्त परित्यक्त किया गया है या तात्विक रूप से नुकसानग्रस्त हुआ है,
 - (ii) किसी जलयान के या फलक पर इसके किसी दुर्घटना होने, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य जलयान या संरचनाओं पर जीवन हानि या तात्विक नुकसान भी सम्मिलित है,
 - (iii) किसी जलयान से राष्ट्रीय जलमार्ग में तेल का बिखराव हुआ है।
- (3) यदि कोई स्वामी उप विनियम (2) के खण्ड (ज) के अधीन किसी जलयान को हटाने में असफल रहता है, सक्षम अधिकारी ऐसे जलयान को हटवाएगा और स्वामी से ऐसे हटाए जाने की लागत वसूल करेगा।

v/; k &4

fuyfCu] jİdj.k vİs vihy

20- l oİk k i İk ki = ij İk'İkdu dİsfuyfİer vİs jİ djusdh 'İDr; k&

- (1) सक्षम अधिकारी को जलयान के सर्वेक्षण प्रमाणपत्र पर तुरन्त प्रथम दृष्टि में इसमें दर्शित विनियमों में से किसी के उल्लंघन करने की दशा में, छह दिवस की अनधिक की अवधि के लिए निलम्बित करने का अधिकार है।
- (2) निरन्तर उल्लंघन की दशा में सक्षम अधिकारी को जलयान के सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन को तुरन्त रद्द करने की शक्ति होगी !

- 21- **vily &** (1) कोई व्यक्ति जो सक्षम अधिकारी के विनियम 20 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश से व्यथित है, उस तारीख से जिसको वह ऐसा आदेश प्राप्त करता है, तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध इस प्रकार अभिहित अधिकारी को अपील कर सकेगा ।
 (2) इस प्रकार अभिहित अधिकारी ऐसी प्रत्येक अपील की सूचना सक्षम अधिकारी को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, दिलवाएगा और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

v/; k; &5

'WfLr; kavkš fof/kd dk Zkfg; k

- 22- **ukQ t ylj.kh dk vuqkyu djuseavl Qy jgusdsfy,** 'WfLr & यदि जलयान का मास्टर विनियम 3 के उल्लंघन में नाव्य जलसरणी चिन्ह का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे जुर्माने से जो चार सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 23- **; krk kr l adr vkš fplg dk vuqkyu djuseavl Qy jgus ij** 'WfLr & यदि जलयान का मास्टर विनियम 4 के उल्लंघन में किसी यातायात चिन्ह या संकेत का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 24- **f' kjk fj fudk h dk vuqkyu djuseavl Qy jgus ij** 'WfLr & यदि जलयान का मास्टर विनियम 5 के उल्लंघन में अपने जलयान के शिरोपरि निकासी को सुनिश्चित करने में असफल रहता है या पुल से गुजरते समय गति को विनियमित करने में असफल रहता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा ।
- 25- **t yik'k eLVj ds bl vks'k ds vuqkyu dsfy,** 'WfLr & यदि जलयान का मास्टर जलयान की सुरक्षा तथा व्यवस्थित संचलन सुनिश्चित करने में जलपाश मास्टर द्वारा उसे दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में और विनियम 6 (1) तथा (2) के उल्लंघन में जलपाश से होकर शीघ्र गुजरने में असफल रहता है तो वह ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 26- **t yik'k ds ek; e l s crplr djrs le; i wkb/kuh cjrus ea vl Qyrk ds fy,** 'WfLr & यदि मास्टर विनियम 6(3) के उल्लंघन में जलपाश से गुजरते समय कोई पूर्वावधानी बरतने में असफल रहता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो तीन सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 27- **vR f/kd /kou ; k p'k k ds l ft r gkus l s cpus dsfy, xfr fofu; fer djus ea vl Qyrk dsfy,** 'WfLr & जब जलयान का मास्टर ऐसे अत्यधिक धोवन या चूषण के सृजन से बचने के लिए जिससे विनियम 7 के उल्लंघन में जिससे स्थैतिक या गतिमान जलयान या संरचना को नुकसान होने ही संभावना है, जलयान की गति को विनियमित करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 28- **t y; ku dks violgh dkjr djus ds fy,** 'WfLr & यदि जलयान का मास्टर जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत नहीं है, विनियम 8 के उल्लंघन में अपने जलयान को अपवाही करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

- 29- $l\{k\}kr\ njh\ cuk\ j[kuseavl\ Qy\ jgusij\ 'kLr\ \&\$ जब फ़ैरी जलयान का मास्टर नाव्य जलसरणी को पार करते समय नाव्य जलसरणी के साथ-साथ जलयानों या बेड़ों से ऐसी दूरी बनाए रखने में असफल रहता है, तब विनियम 9 के उल्लंघन में बाद वाला जलयान या बेड़ों को अपना पथ बदलने के लिए बाध्य होना पड़ता है या गति कम करनी पड़ती है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 30- $ifjogu\ l\{k\}h\ v\{k\}\ ek\ e\ l\{k\}h\ l\{k\}puk\ dk\ vu\{k\}kyu\ djus\ ea\ vl\ Qy\ jgus\ ds\ fy,\ 'kLr\ \&\$ यदि जलयान का मास्टर विनियम 10 के उल्लंघन में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए नद्य सूचनाओं या नद्य चार्टों या सावधानी संकेतों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 31- $jk\{k\}h\ t\ ye\{k\}Zeat\ y;\ k=k\ ds\ fy,\ l\ o\{k\}k\ i\{k\}k\ i = ij\ l\{k\}B\{k\}du\ v\{k\}h\ i\{k\}h\ r\ djus\ ea\ vl\ Qyrk\ ds\ fy,\ 'kLr\ \&\$ यदि कोई जलयान राष्ट्रीय जलमार्ग में विनियम 11 के उल्लंघन में सर्वेक्षण प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन अभिप्राप्त किए बिना अग्रसरित होता है तो स्वामी और मास्टर प्रत्येक ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 32- $jk\{k\}h\ t\ ye\{k\}Zij\ t\ y;\ k=k\ djus\ ds\ fy,\ l\ \{k\}erk\ i\{k\}k\ i = j[kus\ ea\ vl\ Qy\ jgus\ ij\ 'kLr\ \&\$ यदि जलयान राष्ट्रीय जलमार्ग में किसी जलयात्रा पर विनियम 12 के उल्लंघन में किसी सक्षमता प्रमाणपत्र के बिना अग्रसरित होता है तो मास्टर, सेरंग, इंजीनियर और इंजन चालक प्रत्येक ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 33- $t\ y;\ ku\ ij\ ig\{k\}p\{k\}k\ f\{k\}g\ /k\{k\}r\ djus\ ea\ vl\ Qyrk\ ds\ fy,\ 'kLr\ \&\$ यदि कोई जलयान किसी राष्ट्रीय जलमार्ग पर विनियम 13 के उल्लंघन में कोई पहचान चिन्ह धारित किए बिना कोई जलयात्रा करता है तो मास्टर और फर्म प्रत्येक प्रथम बार ऐसे जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, और निरन्तर उल्लंघन की दशा में चार सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
- 34- $t\ ye\{k\}Zl\ h\{k\}k\ v\{k\}k\ dk\ vu\{k\}kyu\ djus\ ea\ vl\ Qyrk\ ds\ fy,\ 'kLr\ \&\$ जलयान का मास्टर यह सुनिश्चित करने में असफल रहता है कि उसके जलयान की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई और डुबाव और जलयान की गति तथा कन्वाय विनियम 14 (क) के उल्लंघन में है तो वह ऐसे जुर्माने से, तीन सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 35- $t\ y;\ ku\ ds\ f\{k\}du\{k\}k\ l\ s\ i\{k\}j\ s\ f\{k\}l\ h\ o\{k\}Lr\{k\}q\{k\}k\ i\{k\}k\ i\{k\}k\ .k\ djokus\ ds\ fy,\ 'kLr\ \&\$ यदि जलयान का मास्टर जलयान के किनारों से परे किसी वस्तु का प्रक्षेपण करवाता है जो किसी अन्य जलयान या विनियम 14 (ख) के उल्लंघन में संस्थापन को खतरा हो सकता है वह ऐसे जुर्माने से, चार सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 36- $\{k\}if\{k\}j\ foek\ l\{k\}h\ l\{k\}h\ k\ ds\ fy,\ l\{k\}k\ v\{k\}k\ v\{k\}k\ ds\ vu\{k\}kyu\ djus\ ds\ fy,\ 'kLr\ \&\$ यदि जलयान का मास्टर विनियम 14 (ग) के उल्लंघन में ऊपरि विमा संबंधी स्थोरा के अभिवहन के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे जुर्माने से, तीन सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 37- $f\{k\}l\ h\ i\{k\}r\{k\}u\ ea\ v\{k\}h\{k\}g\ r\ \{k\}l\ s\ c\{k\}g\ t\ y;\ ku\ dk\ y\{k\}j\ y\{k\}kus\ ds\ fy,\ 'kLr\ \&\$ यदि जलयान का मास्टर अपने जलयान को किसी पत्तन के भीतर विनियम 15 के उल्लंघन

में ऐसे क्षेत्र में जो उस प्रयोजन के लिए अभिहित नहीं है, मूर करता है या लंगर लगाता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो प्रथम बार सौ रुपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन के जारी रहने की दशा में प्रतिदिन सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

- 38- **vuqpr efjæ dsfy, 'MfLr &** यदि किसी स्थिर जलयान, बेड़े या प्लवन उपस्कर का स्वामी या मास्टर लंगर लगाने में असफल रहता है या तरंगों को सहने के लिए जलयान को काफी मजबूती से बांध देता है और विनियम 16 के उल्लंघन में जलस्तर में परिवर्तन करता है तो, वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 39- **vfuoK Zi kbyV dkjZlgh dsfy, unh dk vuqkyu djuseafQy jgusdsfy, 'MfLr &** यदि जलयान का मास्टर राष्ट्रीय जलमार्ग पर ऐसे किसी नदी की सीमा पर जहां सक्षम अधिकारी द्वारा वर्गीकृत रूप में पाइलट कार्रवाही अनिवार्य है, विनियम 17 के उल्लंघन में जलयात्रा करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 40- **ekVj dksfn, x, vuqskædk vuqkyu djuseavl Qy jgusdsfy, 'MfLr&** यदि जलयान का मास्टर विनियम 18 के उल्लंघन में उसे दिए गए किन्हीं अनुदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 41- **Lokh dksfn, x, vuqskædk vuqkyu djuseavl Qy jgusdsfy, 'MfLr&** यदि जलयान का स्वामी विनियम 19 के उल्लंघन में उसे दिए गए किन्हीं अनुदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- 42- **vanZht t y; ku vf/ku; e] 1917 ds mi cak dk ykxwglak &** इसमें पूर्व वर्णित किसी बात के होते हुए भी, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अध्याय 7 के उपबन्ध से यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे सभी यंत्र नोदित जलयानों को जो राष्ट्रीय जलमार्ग पर जल यात्रा कर रहें हैं, इस प्रकार लागू होंगे कि किसी अन्तर्देशीय जलमार्ग पर यंत्र नोदित जलयानों को लागू होते हैं ।
- 43- **, l s vijka ds n. M ds fy, mi cak ft uds fy, vU; Fk ughafd; k x; k gS &** यदि कोई व्यक्ति, इन विनियमों में से किसी विनियम का इसके लिए किसी विनिर्दिष्ट शास्त्र का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

एस. एस. पॉडियन, सचिव

[विज्ञापन III/IV/306/04-असा.]

mi kçak & I
¼ofu; e 3 nš[k½
t yekZdk fpUgkdu

v- cks k i) fr vls t yekZdk fpUgkdu &

(i) बोया पद्धति की दिशा

बोया पद्धति की दिशा निम्नानुसार परिभाषित की जाएगी –

(क) नाविक द्वारा समुद्री ली गई साधारण दिशा जब वह समुद्राभिमुख से बन्दरगाह, नदी या ऐस्चरी या जलमार्ग पर पहुंच रहा है,

(ख) गैर ज्वारीय नदियों के मामले में नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा,

(ग) वह दिशा जिसमें ऐस्चरी के मामले में किलोमीटर ऋखला में वृद्धि होती है,

(ii) पत्तन हस्त चिन्ह –

ये चिन्ह जल सरणी के बाईं दिशा को उपदर्शित करते हैं,

fnu ds nšku & लाल बोया, अधिमानतः (सी ए एन) बेलनाकार या लाल स्पेयर्स और बोयों पर लाल बेलनाकार अग्र चिन्ह अनिवार्य है यदि वे बेलनाकार नहीं हैं,

चिन्ह

चिन्ह

चिन्ह

चिन्ह

jkr ds nšku & किसी भी प्रकार का आवर्ती लाल प्रकाश

(iii) **LVkj ckMzgLrfplg**

ये चिन्ह जलसरणी के दाईं साइड को उपदर्शित करते हैं ।

fnu ds nšku & हरा बोया अधिमानतः भुण्डाकार/या हरा स्पेयर ।

स्पर और बोय पर ऊपर की ओर हरा भुण्डाकार शीर्ष चिन्ह बिन्दु अनिवार्य है यदि वे भुण्डाकार नहीं हैं ।

jkr ds nšku & किसी प्रकार का आवर्ती हरा प्रकाश

ला – लाल

ह – हरा

(iv) अलग थलग खतरा चिन्ह

कोई अलग थलग खतरा चिन्ह ऐसा चिन्ह है जो किसी अलग थलग खतरा चिन्ह ऐसे स्थान पर सृजित किया गया है उस पर उसके ऊपर मूर किया गया है जिसके चारों ओर नाव्य जल है ।

अलग थलग खतरा चिन्ह का वर्णन

ख ख क) शीर्ष चिन्ह : एक दूसरे के ऊपर दो काले घेरे

ख ख ख) रंग : एक या अधिक रंग चौड़े क्षितिजीय लाल बैंडो से युक्त काला

चिन्ह चिन्ह ग) आकार : वैकल्पिक, इनका पार्श्विक चिन्ह से टकराव न हो, अधिमानित स्तंभ या स्पायर

रात के दौरान : प्रवाह पूर्ण सफेद प्रकाश – समूह फ्लैशिंग

ला – लाल

का – काला

vk ijEjkr fpLg

¼½ fpLgkdu dh fn'kk

परम्परागत चिन्ह बांस की पट्टियों से बनाए जाते हैं और केवल नदियों में उपयोग किए जाते हैं । चिन्हांकन के निर्देश नदी के अनुप्रवाह की ओर होंगे ।

¼½ t y l j . k h d s v l g E k e a v l g v l r e a c k l d h p v l b z d s f p l g

दाईं ओर चिन्ह

बाईं ओर चिन्ह

चिन्ह

चिन्ह

चिन्ह

¼½ c l p e a c k l d s f p l g v l g f p l g

दाईं ओर चिन्ह

बाईं ओर चिन्ह

(बाल चिन्ह)

(बांस की पट्टी चिन्ह)

चिन्ह

चिन्ह

चिन्ह

¼½ t y e x u r k d s v / k u l u s x f p l g ¼ p w s l s i w f d ; k x ; k ½

चिन्ह

क) ऐसे स्नैग उपदर्शित करना जिसे किसी भी ओर से क्रास किया जा सके ।

चिन्ह

ख) बाईं ओर रखा जाने वाला स्नैग

चिन्ह

ग) दाईं ओर रखा जाने वाला स्नैग

¼½ t y l j . k h d k c a d j u k

चिन्ह

mi kcal & II

¼ofu; e 4 ns [k ½

b- fpLg v l g l a d r

1. दिन और रात्रि चिन्हांकन

जहां विहित चिन्ह में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(क) केवल प्रकाश, बत्तियां दिन रात उपयोग में लाई जा सकेंगी ;

(ख) केवल बोर्ड, बोर्ड का उपयोग रात्रि चिन्ह के रूप में किया जा सकेगा यदि यह प्रदीप्त हैं, बोर्ड 1.5 मीटर × 1 मीटर न्यूनतम आकार की चतुर्भुज के रूप में होंगे ;

(ग) बोर्ड और बत्तियां, दिन के दौरान या तो बोर्ड अथवा रात्रि में प्रकाश बत्तियां उपयोग की जा सकेंगी या बत्तियां अथवा प्रदीप्त बोर्ड उपयोग में लाए जा सकेंगे ।

2- i z l k k Q o l F k k d j u k &

किसी पुल, पोत घाट के पुल, जलपाश के पहुंच मार्ग, लघु नहर आदि के सेक्शनों के निम्न भाग को प्रकाशित करने के लिए रात्रि में बत्तियों की व्यवस्था की जाएगी ।

3- cfRr; kadh l ?kurk &

इस नियम में सिफारिश की गई बत्तियां कम से कम दो किलोमीटर की दूरी से दृश्यमान होंगी और आस पास की बत्तियों से सुभिन्न होंगी ।

4- fLFkj cfRr; ka&

- | | | |
|----------|--|---|
| (i) | एकल लाल बत्ती
दिवस चिन्ह

लाल
सफेद
लाल
एक दूसरे के ऊपर स्थापित की गई दो लाल बत्तियां | ‘रास्ता बंद’
कुछ जलसरणियों या जलमार्ग के खम्बों या सम्पूर्ण जलमार्ग के लिए |
| ला
ला | | |
| (iii) | एक दूसरे से पृथक या अधिक लाल बत्तियां
चिन्ह | रास्ता बंद (बत्तियों के बीच)

चिन्ह |
| (iv) | एकल हरी बत्ती
दिवस चिन्ह

हरा हरा सफेद हरा | “आगे चलिए” (हरी बत्ती सदैव नाव्य जल— सरणी के किनारे पर लगाई जाती है)। तथापि, इस संकेत का उपयोग उन मामलों तक निर्बन्धित है जहां एकल हरी बत्ती को यह उपदर्शित करने के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त है कि रास्ता खुला है । अन्य मामले में, एक दूसरे से पृथक दो हरी बत्तियों के उपयोग और रास्ता उपदर्शित करने की सिफारिश की गई है । |
| (v) | दो हरी बत्तियां एक दूसरे से पृथक्
हरा हरा | बत्तियों के बीच से चलिए |
| (vi) | हरी बत्तियों के साथ-साथ या बीच में एकल पीली बत्ती

पीला पीला | “आगे चलिए किन्तु दूसरी ओर से आने वाले यातायात को देखिए”
जलयान पर बत्ती की ओर बढ़ सकेंगे, जो नाव्यसरणी के ऊपर लगाई गई है

या
सावधानी से आगे बढ़ें |

- (vii) किसी सफेद बत्ती के ऊपर कोई लाल बत्ती
लाल आकृति
सफेद
- (viii) 12 उपदर्शित गति को पार न करें
(किलोमीटर प्रति घंटा)
- (ix) जलस्तर सीमा से ऊपर निकासी
- (x) शहरी या जलसरणी की चौड़ाई सीमा
- चिन्ह
स – सफेद
ला – लाल
ह – हरा
पी – पीला
का – काला

मि कक & III 1/2 of u; e 10 nf [k 1/2

रकू प्रकूह ल अर

- | | दिन | रात्रि |
|---|------|---------------------|
| 1. चेतावनी – आप शीघ्र ही तूफान से प्रभावित हो सकते हैं | काला | लाल |
| 2. खतरा – तूफान तुरन्त आप पर प्रभाव डालेगा | काला | लाल
लाल |
| 3. खतरा – पत्तन किसी छिद्र, ज्वारभाटा या आकस्मिक बाढ़, अचानक जलस्तर में वृद्धि और प्रत्याशित तेज तरंगों से संकटस्थ है । | काला | सफेद
लाल
सफेद |
| 4. महा खतरा – अति तीव्र तूफान से आप पर तुरन्त प्रहार होगा । | काला | लाल
लाल
लाल |

(ख) जलयान के प्रत्येक ओर कम से कम एक जीवन रक्षक बोया स्वतः प्रज्वलित प्रकाश प्लावन जीवन लाइन से फिट होगा जो 25 मीटर से कम लम्बी न हो, और जो किसी हुक से सुरक्षित रूप में बंधी हुई हो ।

(घ) प्रत्येक कठोर जीवन रक्षक बेड़े की इस प्रकार संरचना की जाएगी कि इसकी बनावट को मौसम की सभी दशाओं में डैक पर और जल में बनाए रखे जा सकें ।

3. जीवन रक्षक जैकेटें –

कोई जीवन रक्षक जैकेट निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगी –

क यह समुचित रूप से डिजाइन की जाएगी और उपयुक्त सामग्री की बनी होगी ।

ख यह चौबीस घंटे तक ताजा जल में 7.5 किलोग्राम की संहति को संभालने समर्थ होगी ।

ग यह किसी अशक्त या अचेतन व्यक्ति के सिर को जल से ऊपर रखने में समर्थ होगी ।

घ यह इस प्रकार से डिजाइन की जाएगी कि यथाशक्य सम्भव इसे गलती से भी पहना जाए तो सभी जोखिमों को दूर कर सके तथापि यह उलटकर पहनने योग्य होगी ।

ङ यह इसे पहनने वाले व्यक्ति के शरीर को जल में प्रवेश करने पर ऊर्ध्वाकर से कुछ पीछे की ओर हल्की आनत सुरक्षित प्लावन स्थिति में लाने में समर्थ होगी ।

च यह तेल और तेल उत्पादों तथा 50 डिग्री तक के तापमान के प्रभाव को सह पाएगी ।

छ यह सन्तरी रंग में परावर्तित होगी ।

ज इसे शीघ्रता और सहजता से पहना जाएगा और शरीर से सुरक्षित रूप से बांधी जाएगी ।

झ इसकी जेब में एक सीटी लगी होगी ।

ञ इसमें निम्न विशिष्टियां होगी –

मि लक & IV

1/2 ofu; e 18 1/2 1/2 nf [k 1/2

(अन्तर्देशीय जलयानों के फलक पर वहन किए जाने वाले जीवन रक्षक साधित्रों के ब्यौरे)

1- t y; kuldk oxlzlj .k

अन्तर्देशीय जलयानों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा

प्रवर्ग 1 सवारी जलयान

प्रवर्ग 2 फैरी लांचर और नावें

प्रवर्ग 3 स्थोरा जलयान और वे जलयान जो श्रेणी I, II, IV और V के अर्न्तगत आने वाले जलयानों से भिन्न हैं ।

प्रवर्ग 4 गैर नोदित जलयान (बार्ज)

प्रवर्ग 5 विलास यान

2- ioxl1 dst y; ku &

2.1 प्रवर्ग 1 के प्रत्येक जलयान पर निम्नलिखित व्यवस्था होगी –

(क) उपनियम 2.2 की अपेक्षानुसार नाव (वों) की पर्याप्त संख्या और फलक पर सवारियों की और कर्मीदल की कुल संख्या को समायोजित करने वाले जीवन रक्षक बेड़े

(ख)(i) फलक पर सवारियों और कर्मीदल के 50 प्रतिशत के लिए डब्ल्यू सी सी में एक जीवन रक्षक जैकेट और एन डब्ल्यू 1 और 2 की बाबत शत प्रतिशत

- (ii) बालकों के लिए जीवन रक्षक जैकेट अभिवहन के लिए प्रमाणित कुल सवारियों की संख्या के 10 प्रतिशत के लिए इस धारा के प्रयोजन के लिए बालक ।
- (ग) 25 मीटर लम्बाई तक के जलयान के लिए कम से कम 4 जीवन रक्षक बोय, 24 से 25 मीटर लम्बाई के जलयान के लिए 6 जीवन रक्षक बोय और 45 मीटर लम्बाई से अधिक के जलयान के लिए 8 जीवन रक्षक बोय । यदि जलयान रात्रि में नौपरिवहन करता है तो प्रदाय किए गए जीवन रक्षक बोयों में से कम से कम दो स्वतः प्रज्वलित प्रकाश से सज्जित होंगे ।
- 2.2 लघु यानों के सिवाय 25 मीटर तक के लम्बाई वाले प्रत्येक जलयान के लिए 10 व्यक्तियों को ले जाने की न्यूनतम क्षमता वाली कम से कम एक नाव की और 25 मीटर लम्बाई के अधिक के जलयान के लिए कम से कम दो नावों का व्यवस्था की जाएगी । नाव पर आरम्भ करने के लिए आवश्यक डेबिट की व्यवस्था की जाएगी । नावें जलयान की प्रत्येक ओर समान रूप से चलाई जाएंगी यदि एक से अधिक नाव की व्यवस्था की गई है ।

3- **oxZ2 dsik d ty; ku &**

- 3.1 वर्ग 2 के प्रत्येक जलयान पर निम्नलिखित व्यवस्था होगी :-
- (क) उपनियम 3.2 की अपेक्षानुसार नाव (वों) की पर्याप्त संख्या और फलक पर सवारियों और कर्मीदल की कुल संख्या को समायोजित करने वाले जीवन रक्षक बेड़े,
- (ख)(i) फलक पर सवारियों और कर्मीदल के 50 प्रतिशत के लिए डब्ल्यू0 सी0 सी0 में एक जीवन रक्षक जैकेट और एन डब्ल्यू 1 और 2 के बाबत शत प्रतिशत,
- (ii) बालकों के लिए जीवन रक्षक जैकेट अभिवहन के लिए प्रमाणित कुल सवारियों की संख्या के 10 प्रतिशत के लिए इस धारा के प्रयोजन के लिए बालक से 30 किलो से नीचे वजन वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं ।
- (ग) कम से कम आठ जीवन रक्षक बोया जिनमें से कम से कम दो स्वतः प्रज्वलित प्रकाश से सज्जित होंगे यदि जलयान का रात्रि में नौपरिवहन किया जाता है ।
- 3.2 25 मीटर से 45 मीटर लम्बाई के बीच के प्रत्येक जलयान के लिए न्यूनतम 10 व्यक्तियों को ले जाने वाली कम से कम एक नाव की और 25 मीटर लम्बाई के अधिक के जलयान के लिए कम से कम दो नावों का व्यवस्था की जाएगी । नाव पर आरम्भ करने के लिए आवश्यक डेबिट की व्यवस्था की जाएगी । नावें जलयान की प्रत्येक ओर समान रूप से चलाई जाएंगी यदि एक से अधिक नाव की व्यवस्था की गई है । ऐसे जलयानों के लिए, जो 5 किलोमीटर से अनधिक के एकल निरन्तर जलयात्राओं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं । सक्षम अधिकारी नावों के स्थान पर बोया साधित्रों या जीवन रक्षक बोयों का उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

4- oxZ3 dst y; ku &

वर्ग 3 के प्रत्येक जलयान पर निम्नलिखित व्यवस्था होगी –

- (क) 10 मीटर से अधिक के जलयान के लिए सभी कर्मीदल को समायोजित करने के लिए कम से कम एक जीवन रक्षक बेड़ा,
- (ख) फलक पर प्रत्येक कर्मीदल या व्यक्ति के लिए एक जीवन रक्षक जैकिट,
- (ग) 25 मीटर तक की लम्बाई वाले जलयान के लिए कम से कम 2 जीवन रक्षक बोया और 25 मीटर से अधिक की लम्बाई के जलयान के लिए 4 जीवन रक्षक बोया जिनमें से एक स्व प्रज्वलित प्रकाश से सज्जित होगा यदि जलयान रात्रि में नौपरिवहन करते हैं ।

5- oxZ4 dst y; ku &

वर्ग 4 के प्रत्येक मानव संचालित जलयान के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी –

- (क) कम से कम दो जीवन रक्षक बोया जिनमें से एक स्व प्रज्वलित प्रकाश से सज्जित होगा यदि जलयान का रात्रि में नौपरिवहन किया जाता है,
- (ख) फलक पर प्रत्येक कर्मीदल के लिए एक जीवन रक्षक जैकिट,

6- oxZ5 dst y; ku &

10 मीटर लम्बाई वाले प्रत्येक वर्ग 5 के जलयान पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जीवन रक्षक जैकिट होगी । 10 मीटर से अधिक के जलयान पर पर्याप्त जीवन रक्षक बेड़ा/जीवन रक्षक बोया फलक पर सभी व्यक्तियों के लिए होगा । तथापि, वर्ग 5 के सभी जलयानों पर कम से कम 2 जीवन रक्षक बोया होंगे जिनमें से एक स्व प्रज्वलित प्रकार का होगा यदि जलयान रात्रि में नौपरिवहन करता है ।

7- rduh dh vi {kk a&

इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार उपलब्ध कराया गया प्रत्येक जीवन रक्षक अनुसूची 1 की अपेक्षाओं को पूरा करेगा ।

8- ukkj . k &

इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपलब्ध कराया गया प्रत्येक जीवन रक्षक साधित्र यथा लागू अनुसूची 1 की अपेक्षाओं के अनुसार नौभरण किया जाएगा ।

9- i Fkk dk l a n' k a &

वर्ग 1 और वर्ग 2 के प्रत्येक जलयान पर जीवन रक्षक साधित्रों की सूची और उनके उपयोग के संबंध में अनुदेश सहजदृश्य स्थानों पर संप्रदर्शित किए जाएंगे ।

10- NW &

जलयानों या जलयानों के वर्ग में छूट में यह उपबंध है कि वह (I.V. अधिनियम, 1917) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, जिसका नौतल जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व सन्निर्माण के पश्वर्ती प्रक्रम पर है, जीवन रक्षक नावों के अभिवहन के लिए उपबन्ध के साथ अनुपालन की तारीख के दो वर्ष पश्चात तक छूट दे सकेगी परन्तु यह कि इसके बदले जीवन रक्षक बेड़े फलक पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं ।

mi kcaak 4 dh vuq ph 1
t hou j {kd l k/k=ksdsfy, fofunzk

1- ukoa&

- (क) सभी नावें अच्छी तरह डिजाइन की गई होंगी और ऐसे आकार और अनुपात में होंगी कि वे पर्याप्त रूप से स्थिर हों और शीर्षोत्तर हों जब वे व्यक्तियों और उपस्कर के पूर्ण भार का अभिवहन कर रही हों । इसकी स्थिरता तब पर्याप्त समझी जाएगी यदि नाव एक की ओर अधिकतम अनुज्ञेय संख्या से आधे व्यक्ति खड़े हों तो वहां 100 किलोमीटर से अन्धन का शीर्षोत्तर शेष रहता हो ।
- (ख) सभी नावें व्यक्तियों और उपस्करों के अपने पूर्ण भार सहित जल में उतारे जाने के लिए सक्षम होंगी । वे ऐसी प्रबलता की होंगी कि यदि 25% से अति भार के अधीन रहते हुए भी उनमें कोई स्थायी विरूपण न हो ।

2- t hou j {kd cM&

- (क) प्रत्येक जीवन रक्षक बेड़े पर सुरक्षित रूप से गांठ फिट की हुई होंगी ।
- (ख) प्रत्येक जीवन रक्षक बेड़े की इस प्रकार संरचना की जाएगी कि उसमें समाहित इकाइयों में 0.096 एम 3 की वायु का घनत्व समाविष्ट हो ।
(या कठोर जीवन रक्षक बेड़ों की दशा में समतुल्य बाय पद्धति युक्तियाँ) प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे इसके अभिवहन के लिए अनुज्ञात किया गया है, जो कम से कम 0.372 वर्गमीटर के किसी डैक के हैं ।
- (ग) जीवन रक्षक बेड़े की संरचना इस प्रकार की जाएगी कि उन्हें जल में उच्चतम डैक से छोड़ा जाता है तो न तो जीवन रक्षक बेड़ा और न ही उसके उपस्कर को कोई नुकसान पहुंचे ।
- (घ) प्रत्येक कठोर जीवन रक्षक बेड़े की इस प्रकार संरचना की जाएगी कि इसकी बनावट को मौसम की सभी दशाओं में डैक पर और जल में बनाए रखे जा सकें ।

3- t hou j {kd t fcdV&

कोई जीवन रक्षक जैकित निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगी –

- (क) यह समुचित रूप से डिजाइन की जाएगी और उपयुक्त सामग्री की बनी होगी ।
- (ख) यह चौबीस घंटे तक ताजा जल में 7.5 किलोग्राम के संहति को संभालने में समर्थ होगी ।
- (ग) यह किसी अशक्त या अचेतन व्यक्ति के सिर को जल से ऊपर रखने में समर्थ होगी ।
- (घ) यह इस प्रकार से डिजाइन की जाएगी कि यथाशक्य सम्भव इसे गलती से भी पहना जाए तो सभी जोखिमों को दूर कर सके तथापि यह उलटकर पहनने योग्य होगी ।
- (ङ.) यह इसे पहनने वाले व्यक्ति के शरीर को जल में प्रवेश करने पर ऊर्ध्वाधर से कुछ पीछे की ओर हल्की आनत सुरक्षित प्लावन स्थिति में लाने में समर्थ होगी ।
- (च) यह तेल और तेल उत्पादों तथा 50 डिग्री तक के तापमान के प्रभाव को सह पाएगी ।

- (छ) यह सन्तरी रंग में परावर्तित होगी ।
 (ज) इसे शीघ्रता और सहजता से पहना जाएगा और होगी और शरीर से सुरक्षित रूप से बांधी जाएगी ।
 (झ) इसकी जेब में एक सीटी लगी होगी ।
 (ञ) इसमें निम्न विशिष्टियां होंगी –

विनिर्माता का नाम

प्रकार

विनिर्माण का वर्ष

5- t hou j{k d c k &

1/2 i k d t hou j{k d c k &

- (i) 24 घंटे के लिए ताजा जल में 14.5 किलोग्राम की संहति को संभालने में समर्थ होगी ।
 (ii) समुचित सामग्री की बनी होगी और तेल तथा तेल उत्पादों और 50 डिग्री तापमान तक के प्रभाव को सह पाएगी ।
 (iii) यह सन्तरी रंग में परावर्तित होगी ।
 (iv) इसकी संहति 6.5 किलोग्राम से अन्यून होगी ।
 (v) इसका आन्तरिक व्यास 0.5 लीटर + 10% होगा ।
 (vi) चारों ओर इस प्रकार रस्सी बंधी होगी जिसे कसकर पकड़ा जा सके ।
 (ख) जलयान के प्रत्येक ओर कम से कम एक जीवन रक्षक बोय स्वतः प्रज्वलित प्रकाश प्लावन जीवन लाईन से फिट होगा जो 25 मीटर से कम लम्बी न हो, और जो किसी हुक से सुरक्षित रूप में बंधी हुई हो ।

mi k a k 4 dh vu d ph 2

t hou j{k d l k/k= k d k u k j . k v k m B h Z / k j h Z

सभी जल प्लावन साधित्र और जीवन रक्षक बोय इस प्रकार रखे जाएंगे कि वे जलयान से दूर मुक्त रूप से प्लवन कर सकें ।

नावों और बेड़ों तक पहुंच के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी ।

जीवन रक्षक साधित्रों और उनके आरम्भ करने की युक्तियों को प्रकाशित करने के लिए प्रभावी साधन उपलब्ध कराए जाएंगे ।

नावों के लिए आरम्भ की जाने वाली युक्तियां इस प्रकार डिजाइन और व्यवस्थित की जाएंगी कि नावों को विश्वासपूर्वक, शीघ्रता से और व्यक्तियों को खतरा पहुंचाए बिना उतारा जा सके ।

युक्तियाँ डेविट, फाल, ब्लाक और अन्य गियर इतनी प्रबलता के होंगे कि नावों को झुकाव या कटाव की प्रतिकूल दशा में किसी भी ओर सुरक्षापूर्वक उतारा जा सके ।

जीवन रक्षक साधित्र इस प्रकार नौभरित किए जाएंगे कि वे आसानी से पहुंच में हों और उन्हें यथासंभव शीघ्र आरम्भ किया जा सके ।

l fpo

[KM & IV

ikr ifjogu] l Md ifjogu vls jkt ekxZea-ky;

¶Hjrh vrnZkr tyeKZiK/kdj.k½

ubZfnYylj fnukd

2006

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि.... प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का वर्गीकरण) विनियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं – इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
(क) 'अधिनियम' से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 अभिप्रेत है;
(ख) 'अध्यक्ष' से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
(ग) 'अंतर्देशीय जलमार्ग' से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के अधीन परिभाषित कोई नहर, नदी, झील अथवा अन्य कोई नाव्य जल अभिप्रेत है;
(घ) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।
3. अंतर्देशीय जलमार्ग का वर्गीकरण – (1) स्व प्रणोदित 2000 टन का डेड वेट टन (डी0 डब्ल्यू0 टी0) और 800 टन तक माल ढोने वाले पुश – टो यूनिटों में टग – बार्ज करने वाले जलयानों को सुरक्षित रूप में परिचालन कराने के लिए जलमार्गों को निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्:-
(क) वर्ग – I – निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग
(i) नदियाँ – न्यूनतम गहराई 1.2 मीटर, तल की चौड़ाई 30 मीटर, झुके हुए व्यास की लंबाई 300 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 4 मीटर और स्तंभों के बीच 30 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी, और
(ii) नहरें – न्यूनतम गहराई 1.5 मीटर, तल की चौड़ाई 20 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 300 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 4 मीटर और स्तंभों के बीच क्षैतिज निकासी, 20 मीटर।
(ख) वर्ग – II – निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग:-
(i) नदियाँ – 1.4 मीटर न्यूनतम गहराई, तल की चौड़ाई 40 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 500 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 5 मीटर और स्तंभों के बीच 40 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी, और
(ii) नहरें – न्यूनतम गहराई 1.8 मीटर, तल की गहराई 30 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 500 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 5 मीटर और स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर निकासी 30 मीटर।
(ग) वर्ग – III – निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग
(i) नदियाँ – 1.7 मीटर न्यूनतम गहराई, तल की चौड़ाई 50 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 700 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 7 मीटर और स्तंभों के बीच 50 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी, और
(ii) नहरें – न्यूनतम गहराई 2.2 मीटर, तल की गहराई 40 मीटर, झुके हुए व्यास की लंबाई 700 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 7 मीटर और स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर निकासी 40 मीटर।

- (घ) वर्ग – IV – निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग :-
- नदियाँ – 2.0 मीटर न्यूनतम गहराई, तल की चौड़ाई 50 मीटर, झुके हुए व्यास की लंबाई 800 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 10 मीटर और स्तंभों के बीच 50 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी, और
 - नहरें – न्यूनतम गहराई 2.5 मीटर, तल की चौड़ाई 50 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 800 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 10 मीटर और स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर निकासी 50 मीटर।
- (ङ) वर्ग – V – निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग
- नदियाँ – 2.0 मीटर न्यूनतम गहराई, तल की चौड़ाई 80 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 800 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 10 मीटर और केवल नदियों के मामले में स्तंभों के बीच 80 मीटर ऊर्ध्वाधर निकासी।
- (च) वर्ग – VI – निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग :-
- नदियाँ – न्यूनतम 2.75 मीटर न्यूनतम गहराई, तल की चौड़ाई 80 मीटर, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 900 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 10 मीटर और स्तंभों के बीच 80 मीटर क्षैतिज निकासी, और
 - नहरें – न्यूनतम गहराई 3.5 मीटर, तल की 60 मीटर, झुके हुए व्यास की लंबाई 900 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 10 मीटर और स्तंभों के बीच क्षैतिज निकासी 60 मीटर।
- (छ) वर्ग – VII – निम्नलिखित आकृति के नाव्य चैनल वाले जलमार्ग
- नदियाँ – न्यूनतम 2.75 मीटर और उससे अधिक गहराई, तल की चौड़ाई 100 मीटर और उससे अधिक, झुके हुए त्रिज्या की लंबाई 900 मीटर, ऊर्ध्वाधर निकासी 10 मीटर और केवल नदियों के मामले में स्तंभों के बीच 100 मीटर क्षैतिज निकासी।
- (2) 3(1) में उल्लिखित सभी वर्गों के जलमार्गों के लिए पारेषण प्रयोजन हेतु पावर केबल अथवा टेलीफोन लाइन अथवा केबलों के लिए ऊर्ध्वाधर निकासी निम्नलिखित होगी-
- टेलीफोन लाइन सहित निम्न वोल्टेज पारेषण लाइन – 16.5 मीटर
 - उच्च वोल्टेज पारेषण लाइन जो 110 किलो वोल्ट से अधिक न हो – 19.0 मीटर
 - उच्च वोल्टेज पारेषण लाइन जो 110 किलो वोल्ट से अधिक हो – 19.0 मीटर तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलो वोल्ट के लिए अलग से 1 सेंटीमीटर
- (3) पानी के अन्दर के पाइल लाइन के मामले में पावर केबल और अन्य केबलों हेतु लागू होने वाले मानक स्थान की दशा और नौचालन संबंधी अपेक्षा के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे।

परन्तु यह वर्गीकरण तभी प्रभावी होगा जब-

- चैनल में न्यूनतम गहराई वर्ष में सामान्यतया लगभग 300 दिन उपलब्ध हो।
- जलमार्ग के ऊपर क्रॉस संरचना पर ऊर्ध्वाधर निकासी जलमार्ग की पूरी चौड़ाई में प्रत्येक भाग में कम से कम 75 प्रतिशत उपलब्ध हो।

इस विनियम के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण, – विभिन्न प्रकार के चैनल में ऊर्ध्वाधर निकासी हेतु संदर्भ स्तर होगा-

- नदियों हेतु नौचालन संबंधी उच्च बाढ़ स्तर (एनएचएफएल) विगत बीस वर्षों की अवधि में किसी वर्ष में 5 प्रतिशत की बारंबारता से उच्चतम बाढ़ स्तर है।
- ज्वारीय कैनलों हेतु अधिकतम जल स्तर।
- अन्य कैनलों हेतु सब तरह से पूर्ण आपूर्ति स्तर।

4. (i) वर्ग – I के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी ढुलाई क्षमता लगभग 100 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 32 मीटर कुल लंबाई, 5 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 1.0 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टग और दो बार्ज के मेल से बने 200 टन डेड वेट टनेज (लगभग 80 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 5 मीटर और 1.0 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।
 - (ii) वर्ग – II के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी ढुलाई क्षमता लगभग 300 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 45 मीटर कुल लंबाई, 8 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 1.2 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टग और दो बार्ज के मेल से बने 600 टन डेड वेट टनेज (लगभग 110 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 8 मीटर और 1.2 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।
 - (iii) वर्ग – III के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी ढुलाई क्षमता लगभग 500 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 58 मीटर कुल लंबाई, 9 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 1.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टग और दो बार्ज के मेल से बने 1000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 141 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 9 मीटर और 1.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।
 - (iv) वर्ग – IV के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी ढुलाई क्षमता लगभग 1000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 70 मीटर कुल लंबाई, 12 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टग और दो बार्ज के मेल से बने 2000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 170 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 12 मीटर और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।
 - (v) वर्ग – V के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी ढुलाई क्षमता लगभग 1000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 70 मीटर कुल लंबाई, 12 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टग और चार बार्जों के मेल से बने 4000 टन डेड वेट टनेज (लगभग 170 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 24 मीटर और 1.8 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।
 - (vi) वर्ग – VI के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी ढुलाई क्षमता लगभग 2000 टन डेड वेट टनेज तक (लगभग 86 मीटर कुल लंबाई, 14 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) अथवा एक टग और दो बार्जों के मेल से बने 4000 टन डेड वेट टनेज (लगभग 210 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 14 मीटर और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट) हो।
 - (vii) वर्ग – VII के जलमार्ग का उपयोग ऐसे स्वप्रणोदित जलयान के लिए होगा जिसकी ढुलाई क्षमता लगभग 2000 टन डेड वेट टनेज और उससे अधिक हो (लगभग 86 मीटर कुल लंबाई, 14 मीटर मोल्डेड चौड़ाई और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट अथवा उससे बड़े आकार का) अथवा एक टग और चार बार्जों के मेल से बने 8000 टन डेड वेट टनेज और उससे अधिक हो (लगभग 210 मीटर कुल लंबाई, मोल्डेड चौड़ाई 28 मीटर और 2.5 मीटर भारित ड्राफ्ट अथवा उससे बड़े आकार का) हो।
5. इन विनियमों के अधीन वर्गीकृत राष्ट्रीय जलमार्गों पर बनने वाली सभी नई संरचनाएं दिए गए जलमार्गों के समुचित वर्ग के अपने-अपने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज निकासी के अनुरूप होंगी।
 6. राष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी संरचना के संनिर्माण से पहले कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के लिए इन विनियमों से उपाबद्ध प्रारूप में आवेदन करेंगे।

inhi delhi
सचिव

1/2/3 के प्रस्तावित संरचना का स्थान : (कृपया विनियम 6 देखें)

(कृपया विनियम 6 देखें)

प्रस्तावित संरचना का स्थान :

राष्ट्रीय जलमार्ग :

अधिसूचित वर्ग :

संरचना के प्रकार :

स्तम्भों के बीच क्षैतिज निकासी :

ऊर्ध्वाधर निकासी (नौचालन संबंधी उच्च बाढ़ स्तर से ऊपर)

नजदीक की विद्यमान संरचना से दूरी,

यदि कोई हो :

यदि ऐसा है तो क्या स्तम्भ

एक सीध में है अथवा नहीं :

प्रवाह की दिशा के अनुरूप

संरचना की तिर्यकता :

संनिर्माण की अवधि :

(क्षैतिज निकासी, ऊर्ध्वाधर निकासी और स्थल मानचित्र को इंगित करने वाले आवश्यक सामान्य अभियांत्रिकी का खाका इस प्रारूप के साथ प्रस्तुत करें)

?

..... के पक्ष में मैं यह वचन देता हूँ कि उपर्युक्त उल्लिखित संरचना का संनिर्माण प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ही प्रारंभ होगा और संनिर्माण भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का वर्गीकरण) विनियम, 2006 के अनुसार समुचित वर्ग के जलमार्ग हेतु दिए गए दिशानिर्देश के अनुरूप ही किया जाएगा।

(कार्यालय मुहर)

(तारीख सहित हस्ताक्षर)

..... के कृते और निमित्त
अधिकारी का नाम और पदनाम

1/2/3 के प्रस्तावित संरचना का स्थान :

राष्ट्रीय जलमार्ग 1 / 2 / 3 के प्रखंड में स्थान पर संरचना के लिए अनुमति दिए जाने के संदर्भ में तारीख को से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

हो व 0 त 0 i हो ds dk; क; क dsirso न्यहक l d; k

ed; ky; %

न्यहक l a

QOl l a

होर्ह वूर्नर्ह tyeKZiH/kdj.k

(पोल परिवहन मंत्रालय),
ए-13, सैक्टर-1, नौएडा-201301 (उ०प्र०)
ई.मेल: iwainoi@nic.in

0120-2544036
0120-2543972
0120-2544009
0120-2521664

0120-2543973
0120-2521764
0120-2544009
0120-2544041

{k=l; dk; क;

होर्ह वूर्नर्ह tyeKZiH/kdj.k

गायघाट टर्मिनल - सह कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना-800 007 (बिहार)
ई.मेल: iwaipn@rediffmail.com, dirpat.iwai@nic.in

0612-2630012
0612-2630005
0612-2630114

0612-2630100

होर्ह वूर्नर्ह tyeKZiH/kdj.k

पी-78, गार्डन रीच रोड,
dlydk - 700 043 (पश्चिम बंगाल)
ई.मेल: iwaical@yahoo.com, dirkol.iwai@nic.in

033-24390393
033-24395577
033-24396055

033-24395570
033-24391710

होर्ह वूर्नर्ह tyeKZiH/kdj.k

पांडु पोर्ट काम्प्लेक्स, पांडु,
गुवाहाटी - 781 012 (असम)
ई.मेल: iwaighy@yahoo.co.in, dirguw.iwai@nic.in

0361-2570109
0361-2676925
0361-2676927
0361-2676929

0361-2570099
0361-2570055

होर्ह वूर्नर्ह tyeKZiH/kdj.k

एन० एच० 47 बाइपास, कन्नाडिकाडू, मरदू,
एर्नाकुलम - 682 304 (केरल)
ई.मेल: iwai_kochi@yahoo.co.in, dirkoc.iwai@nic.in

0484-2389804
0484-2389208

0484-2389445

mi & dk; क;

होर्ह वूर्नर्ह tyeKZiH/kdj.k

360/एफ/44, नवाब सुसुफ रोड, सिविल लाइन्स,
इलाहाबाद - 211 006 (उ० प्र०)

0532-2561151
0532-2560537

0532-2561152

होर्ह वूर्नर्ह tyeKZiH/kdj.k

52, द्वितीय तल, पटेल नगर, नंदेसर,
वाराणसी - 221 002 (उ० प्र०)
ई.मेल: iwaivns@rediffmail.com

0542-2505329

0542-2505329

होर्ह वूर्नर्ह tyeKZiH/kdj.k

नवीन गांगुली रोड, दुर्गा स्थान (मंदिर घाट),
बड़ी खंजरपुर, भागलपुर - 812 001 (बिहार)
ई.मेल: akmishra59@rediffmail.com

0641-2400651

0641-2400651

होर्ह वूर्नर्ह tyeKZiH/kdj.k

ऑफिस बिल्डिंग संख्या-1, एफबीपी
ऑफिस काम्प्लेक्स, पी० ओ०- फरक्का बैरेज,
जिला - मुर्शिदाबाद -742 212 (पश्चिम बंगाल)

03485-255809

03485-255809

होर्ह वूर्नर्ह tyeKZiH/kdj.k

दुर्गाबाड़ी रोड, तिनियाली, ए०टी० रोड,
नलिआपूल, डिब्रूगढ- 786001(असम)
ई.मेल: iwaidib@yahoo.in

0373-2302540

Addresses and Telephone numbers of IWAI Offices

Head Office:	Telephone No.	Fax No.
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA (Ministry of Shipping) A-13, Sector-1, Noida-201301, (U.P) E-mail: iwainoi@nic.in	0120-2544036 0120-2543972 0120-2544009 0120-2521664	0120-2543973 0120-2521764 0120-2544009 0120-2544041
Regional Offices:		
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA Gaihat Terminal – Cum office, Guljarbagh, Patna – 800007 (Bihar) E-mail: iwaiptn@rediffmail.com, dirpat.iwai@nic.in	0612-2630012 0612-2630005 0612-2630114	0612-2630100
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA P-78, Garden Reach Road, Kolkata - 700 043 (West Bengal) E-mail: iwaical@yahoo.com, dirkol.iwai@nic.in	033-24390393 033-24395577 033-24396055	033-24395570 033-24391710
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA Pandu Port Complex, Pandu, Guwahati – 781012 (Assam) E-mail: iwaighy@yahoo.co.in, dirguw.iwai@nic.in	0361-2570109 0361-2676925 0361-2676927 0361-2676929	0361-2570099 0361-2570055
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA N. H. 47 Bye pass, Kannadikkadu, Maradu, Ernakulam - 682 304 (Kerala) E-mail: iwai_kochi@yahoo.co.in, dirkoc.iwai@nic.in	0484-2389804 0484-2389208	0484-2389445
Sub Offices:		
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 360/F/44, Nawab Yusuf Road, Civil Lines, Allahabad - 211 006 (U.P.)	0532-2561151 0532-2560537	0532-2561152
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 52, 2 nd floor, Patel Nagar, Nadesar, Varanasi - 221 002 (U.P.) E-mail: iwaiivns@rediffmail.com	0542-2505329	0542-2505329
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA Navin Ganguli Road, Durga Asthan (Mandir Ghat), Badi Khanjarpur, Bhagalpur – 812001 (Bihar) E-mail: akmishra59@rediffmail.com	0641-2400651	0641-2400651
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA Office Building No. 1, FBP Office Complex, P.O. Farakka Barrage, Distt. Murshidabad - 742212 (W.B)	03485-255809	03485-255809
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA Durgabari road, Tiniali, A. T. Road, Naliapool, Dibrugarh- 786001(Assam) E-mail: iwaidib@yahoo.in	0373-2302540	